

६ सस्ता साहित्य मण्डल
सर्वोदय साहित्य माला : अट्टासीवाँ शत्य

[गांधी साहित्य माला : पहली पुस्तक]

स्वदेशी और ग्रामोद्योग

लेखक

महात्मा गांधी

सस्ता साहित्य मण्डल
दिल्ली :: लखनऊ

प्रकाशक,
मार्टण्ड उपाध्याय, मंत्री,
सत्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

संस्करण
मार्च १९३९ . २०००
मूल्य
आठ आना

मुद्रक,
एस. एन. भारती,
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,
नई दिल्ली ।

प्रकाशक की ओर से

हमें इस बात की खुशी है कि महात्माजी का यह लेख-संग्रह 'गांधी-साहित्य माला' के प्रथम पुण्य के रूप में पाठकों की भेट कर रहे हैं। यह विषय हमने सबसे पहले इसलिए चुना है कि यह महात्माजी के हृदय के बहुत निकट है। आशा है इससे पाठकों को 'स्वदेशी और ग्रामोद्योग' के बारे में महात्माजी के विचारों को जानने में मदद मिलेगी और 'सच्ची' स्वदेशी और ग्रामोद्योगों के पुनरुद्धार के कार्य में वे महात्माजी की आशाओं को पूर्ण करेंगे।

इसके बाद हम 'अर्हिसा धर्म' और 'देशी राज्यों में पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई' विषयों पर महात्माजी का लेख-संग्रह तैयार करा रहे हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे।

—मन्त्री

विषय सूची

१ एक नई व्याख्या	—३
२. स्वदेशी	—८
३ स्वदेशी के बारे में कुछ और	—१२
४ स्वदेशी . पुराला और नया	—१५
५ इसका आशय ?	—२०
६ ग्राम-उद्योग-संघ	—२३
७ ग्राम-उद्योग	—३२
८ ग्राम-उद्योग-सभ	—४१
९ उसका अर्थ	—४९
१०. आरम्भ कैसे करे ?	—५१
११ चमड़े का घन्धा	—६३
१२ यन्त्र क्यों नहीं ?	—७०
१३ अ. भा. ग्रामोद्योग-संघ क्या है ?	—७४
१४. निराशा कैसी ?	—८०
१५ आन्तिर्याँ	—८६
१६ एक घातक विचार-धारा	—९१
१७ 'हिन्दुस्तानी' उद्योग	—९५
१८ ग्राम-सेवा	—९८
१९. वीरभूमि का एक नम्र देहाती	—१०८
२० हमारे गाँव	—१११

२१ एक महान् प्रयोग	— ११५
२२ अपूर्व प्रदर्शनी	— ११८
२३. लखनऊ की प्रदर्शनी	— १२७
२४ ग्रामवासियों की प्रदर्शनी	— १३१
२५ एक आध्यात्मिक प्रवचन	— १३९
२६ सालाना शिक्षण-शाला	— १५२
२७ खादी का रहस्य	— १५४
२८ जुलाहों को कैसे बचायें	— १५७
२९ खादी को लोकप्रिय कैसे बनायें ?	— १६०
३० 'सच्चा' स्वदेशी	— १६६
३१ स्वदेशी व्रत	— १६८

स्वदेशी और ग्रामोद्योग



१ :

एक नई व्याख्या

[पिछले महीनो कई 'स्वदेशी' कार्यकर्त्ता अपने पथप्रदर्शन के लिए 'स्वदेशी' की व्यापक परिभाषा जानने गाँधीजी के पास गये । 'स्वदेशी' की व्यापक परिभाषा बनाने की कोशिश करते हुए और सुदूर दक्षिण में अपने सहयोगियों से चर्चा करते हुए उन्हे ऐसा लगा कि ऐसी परिभाषा बना लेना करीब-करीब नामुमकिन है । और फिर 'स्वदेशी' स्वयम ही अपनी परिभाषा है । यह तो एक ऐसी भावना है, जिसका रोजमर्रा विकास होता है, रोज़ जिसमें परिवर्तन होते हैं । परिभाषा ही बनाने का यत्न किया जायगा तो वह न सिर्फ वेकार होगा, बल्कि 'स्वदेशी' की भावना का विकास रुक जायगा, इसलिए उन्होंने अखिल भारतीय स्वदेशी सघ (लीग) और सहयोगी संस्थाओं के पथप्रदर्शन के लिए जो काम-चलाऊ गुर ढूढ़ निकाला वह यह है—

'अखिल-भारतीय-स्वदेशी-सघ' के लिए तो 'स्वदेशी' में वे सब चीजें आ जाती हैं जो भारत में उन छोटे-छोटे घन्घों से मिलती हैं जिन्हे प्रोत्साहन देने के लिए जनता को ज्ञान कराने की आवश्यकता होगी और जो स्वदेशी-सघ के नियन्त्रण में रहे, ताकि वह उन चीजों का मूल्य निर्धारित करे और उनके अधीन मजूरों की मजूरी और खुशहाली का स्थान रखें । इसलिए 'स्वदेशी' में वे चीजें नहीं आती, जो उन बड़े-बड़े संगठित व्यवसायों या कारखानों से मिले; जिनका अखिल-भारतीय

स्वदेशी-संघ से कोई सम्पर्क या वास्ता नहीं है और जिनको राज की मदद मिलती या मिल सकती है।”

इस सिद्धान्त ने कार्यकर्ताओं को विस्मित कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जब जून १९३४ में गांधीजी हरिजन-यात्रा के सिलसिले में वर्मड़ आये तो वहाँ संघ के सदस्यों ने गांधीजी से चर्चा की। गांधीजी ने जो-कुछ कहा उसका सार नीचे लिखे अनुसार है—]

“मैंने स्पष्ट कह दिया है कि मेरा यह सिद्धान्त तो स्वदेशी-संघ के ही पथप्रदर्शन के लिए है। वह ‘स्वदेशी’ के समस्त क्षेत्र में व्यापक होने का दावा नहीं करता। यह तो संघ को मेरा एक सुमाव-मात्र है कि वह अपने कार्यक्रम को छोटे-छोटे, खासकर घरेलू धन्यों के प्रोत्साहन और प्रचार तक ही सीमित रखें और बड़े-बड़े संगठित धन्यों का बहिकार करे। इस सुमाव को प्रस्तुत करने का उद्देश्य भी उन व्यवसायों की निन्दा करना, या उन फ़ायदों की उपेक्षा करना नहीं है, जो हमें उन बड़े व्यवसायों से हुए हैं या भविष्य में हमारे देश को होंगे। लेकिन यह ज़ल्दी नहीं है कि स्वदेशी-संघ-जैसी कोई संस्था उन धन्यों का विज्ञापन करनेवाली स्वयंनियुक्त एजेंट बन जाय, जैसाकि वह अवश्यक रही है। उनके पास पर्याप्त साधन हैं और वे अपनी रक्षा आप करने में समर्थ हैं। लोगों में स्वदेशी की भावना बहुत काफ़ी उदय हो चुकी है और स्वदेशी संस्थाओं के प्रयत्न के बगैर भी उन्हें इससे मदद मिलती है। अगर उन्हें उपयोगी बनना है तो उन्हें उन धन्यों और व्यवसायों पर ध्यान देना चाहिए जिनका दम घुटा जा रहा है। बड़े-बड़े संगठित व्यवसायों से प्राप्त वस्तुओं का विज्ञापन करने की कोशिश से उनकी कीमत बढ़ेगी ही। यह चीज बरतने वालों के साथ अन्याय होगा। जो कारोबार बड़ी सफलता के साथ

चल रहे हैं, उन्हें मदद पहुँचाने की उदार भावना लेकर किसी संस्था की स्थापना करना केवल शमित का अपव्यय है। अगर हमारा ऐसा विश्वास हो कि हमारी ही कोशिशों से इन उद्योगों की उत्पत्ति और वृद्धि हुई है, तो यह भ्रम है। यह तो एक थोथा आत्म सन्तोष होगा, जिसका कोई सत्य आधार नहीं है! मुझे याद है कि १६२० ई० में जब मैं स्वदेशी-आनंदोलन आरम्भ करने जा रहा था, फजल भाई से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने अपने खास ढंग से मुझे कहा था—‘अगर आप कांग्रेसी-लोग हमारी चीजों का विज्ञापन करने लग जावें तो सिवाय इसके कि हमारी चीजों पर किश्त लग जायगी और हमारी उत्पादित चीजों के दाम चढ़ जायेंगे, देश का कोई हित नहीं होगा।’ उनकी दृढ़ील अकाङ्क्षा थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं तो हाथ-कती, हाथ-बुनी खादी को बढ़ावा देना चाहता हूँ। मुझे दुःख होता है कि हम इसकी उपेक्षा करते रहे हैं और अगर हमें लाखों-करोड़ों भूखों-वेकारों की छिद्रमत करनी है तो उसका पुनर्जीवन करना ही होगा।’ तो वे हृके-बक्के रह गये।

“लेकिन सिर्फ़ खादी ही ऐसा मृतप्राय उद्योग नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आप अपना ध्यान और अमल उन सब छोटे पैमाने पर चलनेवाले असंगठित धन्यों की तरफ लावें, जिन्हे आज जनता के संरक्षण की आवश्यकता है। अगर उनकी रक्षा की कोई कोशिश नहीं हुई तो वे शायद मिट भी जायें। इनमें से कुछ तो उन बड़े उद्योगों के कारण पछाड़ खाये हुए हैं, जिन्होंने अपनी चीजों से बाजार पर कब्जा जमा रखा है। ये धन्ये आप से चिल्हा-चिल्हाकर कहते हैं कि हमें बचाओ।

“शक्कर-व्यवसाय ही को लीजिए। कपड़े के बाद दूसरा बड़ा

व्यवसाय शक्कर का ही है। इसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। शक्कर के कारखाने जोरों से बढ़ रहे हैं। लोकप्रिय एजेन्सियों ने इस व्यवसाय की बढ़ती के लिए कुछ भी नहीं किया; हाँ, अनुकूल कानून बन जाने से इनकी बढ़ती जरूर हुई। और आज तो यह व्यवसाय इतना सम्पन्न और व्यापक होगया है कि गुड बनाना गई गुजरी बात होगई। पौष्टिक भोजन की दृष्टि से साफ़ की गई शक्कर से गुड़ कहीं बढ़-चढ़ कर है। यह ऐसा बहुमूल्य घरेलू व्यवसाय है, जो आपकी सहायता चाहता है। इस व्यवसाय में हमें अन्वेषण के लिए क्षेत्र मिलने के साथ-साथ कुछ आर्थिक मदद भी मिलती है। हमें इसे जीवित रखने के उपायों और साधनों का पता लगाना है। मैं जो-कुछ कहना चाहता हूँ, यह उसका उदाहरण-भर है।

“मुझे तो इसमें जरा भी शक नहीं है कि अगर हम इन छोटे धन्धों की मदद करें तो हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति अवश्य बढ़ जाय। मुझे इस बात में भी कर्तव्य शुभ ह नहीं है कि इन घरेलू धन्धों को प्रोत्साहन और पुनर्जीवन देना ही वास्तव में ‘स्वदेशी’ है। केवल इसीसे लाखों मूक प्राणियों को मदद पहुँच सकती है। यह लोगों की रचनात्मक और युक्ति-साधक वृत्ति को मार्ग सुझाती है। एक और फ़ायदा यह है कि इससे देश के सैकड़ों बेरोजगार नौ-जवानों को रोटी मिल सकती है, जो शक्ति आज व्यर्थ वरबाद हो रही है, वह सब इसमें लग सकती है। मैं नहीं चाहता कि वे लोग, जो दूसरे ज्यादा आमदनी के व्यवसायों में लगे हैं, उन्हें छोड़-छाड़कर छोटे धन्धों को अपनायें। मैं तो सिर्फ उन लोगों से जो वेकारी और दरिद्रता से पीड़ित हैं, यह कहूँगा कि वे चरखे की तरह एक किसी धन्धे में लगकर, अपने थोड़े-से कर्माई के वसीलीं को थोड़ा और बढ़ाले।”

“इस तरह हम देखेंगे कि मेरे सुनाव के मुताबिक कार्यक्रम बदल देने से बड़े व्यवसायों के हितों को किसी तरह का धक्का नहीं पहुँचेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रीय कार्यकर्त्तीगण अपने कार्यक्रम को छोटे धन्धों तक ही सीमित रखें और बड़े व्यवसायों को जैसे वे करते चले आरहे हैं, अपनी मदद आप करने दें।

[मेरी धारणा है कि छोटे धन्धे बड़े धन्धों की जगह नहीं ले सकते, बल्कि उनको मदद ही पहुँचावेंगे।] मेरी तो अकांक्षा है कि मैं बड़े-बड़े व्यवसायों के स्वामियों तक से कहूँ कि वे इस काम में दिलचस्पी लें, क्योंकि यह शुद्ध मानवहित का कार्य है। मैं तो मिल-मालिकों का भी हितचितक हूँ और वे भी इस बात को मानेंगे क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जब मैं उन्हे मदद दे सकता था, मैंने उन्हें मदद दी है।”

जुलाई १९३४।

: २ :

स्वदेशी

गत वर्ष मेरे उपवास के उपरान्त, 'स्वदेशी' का प्रचार करने वालों की ओर से यह आग्रह किया गया था, कि मैं 'स्वदेशी' की एक ऐसी परिभाषा बना दूँ, जिससे उनके मार्ग में आनेवाली अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जायें। मिल के बने कपड़े में स्वदेशी के जो अनेक पहलू हैं, उन सबका ध्यान मुझे रखना था। कई परिभाषायें, जो मुझे सुभार्द्ध गईं उन सबको मैंने मिलाया। श्री शिवराव और श्री जालभार्द्ध नौरोजी तथा अन्य सज्जनों के साथ मैंने लिखा-पढ़ी भी की। मैं कोई ऐसी परिभाषा न बना सका, जो सभी प्रसंगों पर काम दे सके। मुझे मालूम हुआ, कि व्यापक व्याख्या का बनाना तो असम्भव है। बाद को मेरे देश-व्यापी प्रवास में मुझे अनेक अनुभव हुए, और संस्थाओं का काम किस तरह चल रहा है, यह देखने के भी मुझे अनेक अवसर प्राप्त हुए। इस सबसे मैं इस नतीजे पर पहुँचा, कि 'स्वदेशी' का काम जिस तरह आज चल रहा है, वह तो एक प्रकार का धोखा है—पर यह बात नहीं, कि जान-बूझ कर कोई आंखों में धूल भाँक रहा है। यह भी मैंने देखा, कि हमारे बहुत-से कार्यकर्ताओं की शक्ति इसमें व्यर्थ ही नष्ट हो रही है और अपने आपको वे खुद ठग भी रहे हैं। मैं यहाँ जो ऐसी सहत भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, उससे यह न समझ लिया जाय, कि स्वदेशी के प्रचार का काम करनेवाले वैर्मान हैं; स्वदेशी के सम्बन्ध के केवल

मेरे मनोगत विचार ही इन कड़े शब्दों से प्रकट हो रहे हैं। वे बेचारे तो काम करते चले जा रहे थे, उन्हे यह थोड़े ही मालूम था, कि इस काम में किसी तरह की कोई धोखा-धड़ी या आत्म-प्रवंचना है।

मैं अपने अभिग्राय को और अधिक स्पष्ट करूँगा। जिन चीजों के प्रचार के लिए खास सहायता करने की जरूरत नहीं, उन्हीं चीजों की प्रदर्शनी हम करते-फिरते हैं। इसका यह परिणाम होता है, कि उन चीजों की या तो कीमत बढ़ जाती है। या एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करनेवाली उन्नतिशील कोठियों में अवांछनीय रस्साकशी होने लगती है।

कपड़े की, शकर की और चावल की मिलों को हमारी मदद की दरकार नहीं है [किन्तु यदि हम अनमाँगी मदद इन मिलों को देते रहेंगे, तो चरखा, करघा, खादी, ऊख पेरने का कोल्हू, और जीवन-प्रद तथा पोषक तत्त्वों से भरा हुआ गुड़ और इसी तरह ओखली-मूसल का कुड़ा चात्रल—गाँव की इन सब चीजों—का हम नाश कर देंगे] इसलिए हमारा यह स्पष्ट कर्तव्य है, कि गाँव के चरखे को, गाँव के कोल्हू को और गाँव की ओखली को किस रीति से जिन्दा रखा जा सकता है, इसकी हमें वराबर खोज करते रहना चाहिए। चरखे, कोल्हू और ओखली के ही माल का प्रचार किया जाय। उनके गुणों को बतलाया जाय। उनमें काम करनेवाले लोगों की स्थिति की जाँच-पड़ताल की जाय और कल-कारखानों के बेकार बैठे हुए कारीगरों की गणना करके ग्राम के इन साधनों में—उनके ग्राम्यरूप में ही—सुधार करने के तरीके ढूँढ़कर मिलों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबिला करने में उन बेकार कारीगरों को मदद पहुँचाई जाय। गाँव के इन उद्योग-धन्यों के सम्बन्ध में हमने कितनी भयंकर और अक्षम्य

उपेक्षा दिखाई है। इन उद्योगों को ज़िन्दा रखने के प्रयास में कपड़े या शक्तर या चावल की मिलों के साथ कोई भगड़ा नहीं है। विदेशी कपड़ा विदेशी शक्तर या विदेशी चावल की अपेक्षा तो अपने देश की मिलों में ही बनाँ हुआ कपड़ा, शक्तर या चावल हमे काम में लाना चाहिए। अगर विदेशी सर्वधार्म के मुकाबिले मेरे खड़े रहने की उनमें शक्ति न हो, तो उन्हे पूरी मदद भी मिलनी चाहिए। पर आज नो ऐसी किसी मदद की जरूरत देशी मिलों के माल को है नहीं। विदेशी माल से देशी मिलों का माल बराबर टकर ले रहा है। आवश्यकता तो आज-ग्रामीण उद्योगों को है। बचे-खुचे ग्राम-उद्योगों मेरे लगे हुए लोगों की हमे रक्षा करनी है, और विदेशी या स्वदेशी मिलों के आक्रमण से उन बेचारों को बचाना है। सम्भव है कि खादी, गुड़ और ओखली का कुटा चावल मिल के माल से घटिया हों, और इसीसे वे इसके मुकाबिले मेरे न टिक सकते हों। पर असल बात तो यह है, कि खादी के उद्योग के बारे मेरे जितनी खोज-बीन हुई है, उतनी गुड़ और हथ-कुटे चावल के धन्धे मेरे लगे हुए हजारों आदमियों की स्थिति के सम्बन्ध मेरी हुई। इस काम में तो देश-भक्तों की एक भारी सेना खप सकती है। पाठक कहेंगे—‘पर यह तो बड़ा कठिन काम है।’ किन्तु यह काम जितने महत्त्व का है, उतना ही रसमय है। मेरा तो यह दावा है, कि यही काम सच्चा, सफल और सौ-फीसदी ‘स्वदेशी’ है।

पर यह तो मेरी भूमिका मात्र है। मैंने तो ऊपर सिफ़्र तीन ही वड़े-वड़े उद्योगों का उदाहरण देकर बताया है, कि स्वदेशी का प्रचार करनेवाले इन्हीं ग्रामीण उद्योगों के ऊपर अपना सारा ध्यान एकाग्र करें और इनकी ज्ञानपूर्वक संगठित सहायता करके इन्हें अब भी मृत्यु-मुख से बचालें।

इनके अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसे ग्रामीण और नागरिक उद्योग-धन्धे हैं, जिन्हें जीवित रखने के लिए सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता है, कारण कि इन उद्योगों की बढ़ोलत हजारों गरीब कारीगरों को रोटी मिल रही है। इस सम्बन्ध में जितना भी काम किया जाय, थोड़ा है। यह समझ लेना चाहिए कि इस काम में जितना समय हम देंगे, वह योग्य कारीगरों के जीवित बनाये रखने से खर्च होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर यह काम एक सलीके से किया जाय, तो इसे चलाने के लिए पैसा तो इसीमें से निकल आयगा, स्वदेशी के इस खाते को दूसरों का मुँह न ताकना पड़ेगा। अनेक शिक्षित और अशिक्षित लोगों की शक्ति के उपयोग को उत्तेजन मिलेगा, बेकार आदमियों को, बिना दूसरों के मुँह का कौर छीने, अनायास काम मिल जायगा और हमारे देश की सम्पत्ति में, जो नित्य-प्रति अधिकाधिक दरिद्र होता चला जा रहा है, करोड़ों को वृद्धि हो जायगी।

इसमें सन्देह नहीं, कि इस काम में लाभ काफी है, और मन भी इसमें खूब लगेगा। हमारे यहाँ आज जितने भी स्वदेशी-संघ काम कर रहे हैं, वे सब-के-सब इस काम में लागा दिये जायें, तो भी पूरा न पड़ेगा। हमारे सामने काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। मैंने ऊपर जो लिखा है, वह सब, और उससे भी अधिक कांग्रेस की कार्यसमिति के 'स्वदेशी' सम्बन्धी हाल के प्रस्ताव में आ जाता है। हमारे मुल्क में कितने ही उद्योग-धन्धे चलाने की शक्ति, जो योंही बेकार पड़ी है, उसका भी इसमें पूरा-पूरा उपयोग हो सकता है।

स्वदेशी के बारे में कुछ और

१० अगस्त के 'हरिजन' मे प्रकट किये गये अपने विचारों का सूत्र मैं फिर चलाना चाहता हूँ। हरिजनों के खास-खास धन्यों को ही लीजिए। हरिजनों मे जो दो हजार से भी ऊपर जातियाँ हो गई हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। इनमे से अधिकांश तो उनके धन्यों को ही बतलाती हैं, जैसे टोकरी बुनना, माडू बनाना, रससी बेटना, दरी बुनना आदि। अगर इन सबकी मुकम्मिल सूची तैयार करें तो काफी बड़ी सूची बनेगी। इन धन्यों को या तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए या फिर अगर वे बेकार और व्यर्थ हैं तो उनको जान-बूझ कर मटियामेट कर देना चाहिए। लेकिन वे लाभदायक हैं कि नहीं; उपर्योगी हैं कि नहीं इसका निर्णय कौन करे? अगर कोई सच्चमुच ही स्वदेशी संस्था हो, तो उसका कर्तव्य है कि इन तमाम अनगिनती दस्तकारियों के बारे मे सचाई की खोज करे और इन दस्तकारों में दिलचस्पी लें। मैं जिस स्याही से लिख रहा हूँ, वह तेनाली की बनी है। इससे करीब १२ मजदूर पलते हैं। वह विषम परिस्थितियों का मुकाबिला करती हुई चल रही है। मेरे पास तीन भिन्न-भिन्न स्याही बनानेवालों की भेजी नमूने की स्याहियाँ थीं। वे सब तेनालीवालों की ही तरह संकटापन्न स्थिति में हैं। मुझे उनमें दिलचस्पी पैदा हुई और मैंने उनसे पत्र व्यवहार शुरू किया। लेकिन मैं उनके लिए और कुछ कर नहीं सका। कोई स्वदेशी संस्था होती तो इस

नमूने की स्याहियों की वैज्ञानिक ढँग से परीक्षा करती, उन्हे पथ-प्रदर्शन करती और जो अच्छी होती, उसे प्रोत्साहन देती। स्याही का व्यवसाय अच्छा और उन्नतिशील व्यवसाय है। उसमें रसायन-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है।

कानपुर से एक भाई ने मेरे पास कागजों के कुछ नमूने भेजे जो उनके एक मित्र पास के एक गाँव में तैयार करते थे। मैंने उस कारोबार की बाबत पूछताछ की। उससे नौ की रोजी चलती है। कागज मज़बूत और चिकना था। मगर लिखने के लिए जैसा चाहिए वैसा नहीं था। उस धन्धे में लगे मनूर अपनी रोजी कमाभर लेते हैं। उस काम में चतुराई एक कब्र में पैर लटकाये हुए वूढ़े आदमी की लगती थी। अगर उस व्यवसाय को ठीक-ठीक पथ-प्रदर्शन नहीं मिल पाया तो वह उसकी मृत्यु के साथ ही मिट जानेवाला है। मुझसे यह कहा गया कि अगर उन लोगों के पास काफी आर्डर आवें तो वे कागज उसी कीमत पर दे सकते हैं, जिसपर मिल का बना कागज मिलता है। मैं यह जानता हूँ कि हाथ का बना कागज रोजमर्रा की बढ़ती हुई मांग को कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ७,२०,००० गाँवों और उनकी दस्तकारियों के प्रेमी हमेशा ही हाथ का कागज बरतेगे। हाँ, अगर वह आसानी से मिल सके। जो लोग हाथ का कागज बरतते हैं, जानते हैं कि उसमें अपनी एक खूबी और खासियत रहती है। अहमदाबाद के मशहूर कागज को कौन नहीं जानता? चलने में और चमक से मिल का कागज उसकी क्या वरावरी करेगा?

पुराने ढँग की खाते-वहियाँ अब भी उसी कागज की बनती हैं, लेकिन यह धन्धा भी दूसरे ऐसे ही धन्धों की तरह गिर रहा है।

थोड़ा-सा ही प्रोत्साहन इसे मिल जाय तो यह कभी मिटे नहीं। अगर इस व्यवसाय पर देखरेख और निगरानी हो तो कागज बनाने की क्रिया में सुधार हो सके और जो-कुछ खामियाँ ऐसे हाथ के कागज में नजर आया करती हैं, वे आसानी से दूर की जा सके। इन अज्ञात व्यवसायों में लगे अनगिनती लोगों की आर्थिक स्थिति की ठोक-ठीक जांच होना जरूरी है। वे तो खुशी से पथ-प्रदर्शन करने और बाजिब सलाह लेने के लिए तैयार हो जायेंगे और जो उनके काम में दिलचस्पी लेंगे उनके कृतज्ञ भी होंगे।

मेरी समझ में मैंने इस बात के काफी हृष्टान्न दे दिये हैं कि वास्तविक स्वदेशी का यह क्षेत्र सर्वोत्तम होते हुए भी कितना अद्भुत है। उसका अभी अभर्यादित विस्तार किया जा सकता है और उससे बिना किसी खर्चवाली पूँजी के देश में बड़ी सम्पत्ति आ सकती है और जो लोग आज उसके अभाव में भूखों मर रहे हैं उन्हे आदर के साथ रोज़ी मिल सकती है।

: ४ :

स्वदेशी : पुराना और नया

[गांधीजी के स्वदेशी-विषयक लेख पढ़कर अनेक लोगों ने इस विषय पर स्वतन्त्र रीति से विचार किया है, और जबूतक गांधीजी के मन का स्वदेशी-संघ स्थापित नहीं हो जाता, तबतक यह विचार-विनिमय जारी रहना ही चाहिए। इधर अनेक सज्जनों ने गांधीजी से मिलकर इस विषय पर बहस की है। गांधीजी की स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाय, इसी दृष्टि से उस बातचीत का सारांश मैं नीचे देता हूँ —म० ह० द०]

प्रश्न—यह नया स्वदेशी पुराने स्वदेशी से किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तर—पुराने स्वदेशी में इसी बात पर जोर दिया जाता था, कि माल इसी देश का बना हुआ है। इस सब पर विचार नहीं किया जाता था, कि वह माल किस तरह तैयार हुआ है, किसने बनाया है, अथवा उसके खपने की कितनी सम्भावना है। अच्छे पाये पर खड़े हुए संगठित उद्योगों को मैंने जो रद्द कर दिया है उसका यह कारण नहीं, कि वे उद्योग स्वदेशी नहीं हैं, पर इसलिए, कि उन्हे अब खास सहायता की जरूरत नहीं है। वे अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं, और वर्तमान जागृति की अवस्था में उस स्वदेशी माल की सहज ही खपत हो सकती है। स्वदेशी को यदि नव-विधान देना है, तो उस नये स्वरूप के अनुसार मैं अपने स्वदेशी-संघ के द्वारा इतना अवश्य कराऊंगा, कि वह तमाम ग्राम-उद्योगों का पता लगावे और इस बात की भी जाँच-पड़ताल करे, कि आज उनकी क्या दशा है। हम ऐसे

कुशल कारीगर और रासायनिक विद्वानों को रखेंगे, जो अपने ज्ञान का लाभ गाँवों की जनता को देने को तैयार हों। इन कुशल वैज्ञानिकों के द्वारा हम गाँवों के कारीगरों की बनाई हुई चीजों की परीक्षा करायेंगे, उनमें क्या-क्या सुधार हो सकते हैं, यह सब उन्हें बतलायेंगे और उन्होंने अगर हमारी शर्तें स्वीकार करलीं, तो उनकी बनाई चीजों को हम बेच भी देंगे।

प्र०—आप, एक-एक करके क्या हर ग्राम-उद्योग को हाथ मे लेना चाहते हैं?

उ०—ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो एक-एक धन्धे का पता लगाऊँगा, और यह देखूँगा, कि आम-जीवन में उनका क्या स्थान है। अगर मुझे यह मालूम पड़ा, कि उन उद्योगों में उत्तेजन देने लायक गुण हैं, तो उन्हे उत्तेजन दूँगा। उदाहरण के लिए, इस भाड़ को ही ले लीजिए। गृहस्थी की पुरानी भाड़ को फेंककर उसकी जगह पर आधुनिक भाड़ या ब्रश को घर में लाना मैं कभी पसन्द न करूँगा। मैं तो कस्तूरबाई और घर की दूसरी बहनों से पूछूँगा, कि दोनों प्रकार की भाड़ों के क्या-क्या गुण हैं। सभी दृष्टियों से मैं लाभ को देखूँगा। इस प्रकार देखते हुए मेरा विश्वास है कि गाँव की पुरानी भाड़ को ही पसन्द करना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग में मुझे सूक्ष्म जीव-जन्तुओं के प्रति कोमलता और दृढ़ा-भाव दिखाई देता है। ब्रश में यह बात कहाँ है? वह तो सूक्ष्म जीव-जन्तुओं का जैसे संहार कर डालता है। इस तरह भाड़ के अन्दर मैं समस्त जीवन की फिलासफी देखता हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं मानता, कि सिरजनहार सूक्ष्म जीव-जन्तुओं और (अपनी दृष्टि में) सूक्ष्मातिसूक्ष्म मनुष्यों के बीच कोई भेद-भाव रखता है। इस तरह मैं गाँवों के उन सभी

प्रकार के उद्योग-धन्यों को अलग छाँट लूँगा, जो लोप हो जानेवाले हैं, किन्तु उपयोगी होने के कारण जो उत्तेजन मिलने के पात्र हैं। इसी रीति से मेरा अनुसन्धान कार्य चलेगा। उदाहरण के लिए नगर्य दत्तौन को ही ले लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि बम्बई के लाखों नागरिक अगर दत्तौन करना छोड़ दें, तो जरूर उनके दाँतों को नुकसान पहुँचेगा। दत्तौन के बदले जो यह दूथ-ब्रश का उपयोग किया जा रहा है, इसकी कल्पना ही मेरे लिए असहा है। यह ब्रश अस्वच्छ होता है। एक बार दाँतों पर फेरने के बाद उसे फेंक देना चाहिए। उसे साफ करने के लिए चाहे जितनी कीटाणुनाशक दवाइयाँ काम में लाई जायें, तो भी ताजे ब्रश की तरह तो साफ वह हो ही नहीं सकता। उससे हमारी बबूल या नीम की दत्तौन कहीं अच्छी कि उससे एक बार दाँत साफ किये और फेंक दिया। दत्तौन मेरे दाँत के मसुदों को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा गुण है। फिर दत्तौन की फाँक जीभ साफ करने का भी काम देती है। हमारे यहाँ की दत्तौन-जैसी किसी स्वच्छ वस्तु का तो परिच्चमवालों ने अभी तक अनुसन्धान ही नहीं किया है। आप लोगों को शायद मालूम न होगा, कि दक्षिण अफ़्रीका के एक डाक्टर का यह दावा था कि बाँदू जाति के खान-खोदकों मेरे दत्तौन का आप्रहपूर्वक उपयोग कराके उन्होंने उन लोगों मेरे फैलते हुए क्षय रोग को रोक दिया था। दूथ-ब्रश हिन्दुस्तान का बना हुआ हो, तो भी मैं उसका प्रचार न होने दूँगा। दत्तौन के प्रति मेरा जो पक्षपात है, मैं तो उसीका प्रचार करूँगा। यह सो फी सदी स्वदेशी है। इसको यदि मैं खबर रखूँगा, तो वाकी चीज़ें तो अपनी सार-संभार स्वर्य ही कर लेंगी। मुझसे अगर आप सम्झोण की परिभाषा पूछें तो मैं उसे सहज ही बतला सकता हूँ। पर

१ और १८० अंश के बीच के कोण को यदि आप बना सकें, तो उसकी परिभाषा आप मुझसे न करतें। अगर मुझे समकोण की परिभाषा आती होगी, तो मैं चाहे जैसे कोण बना सकूँगा। स्वदेशी शब्द में ही उसकी विस्तृत व्याख्या आजाती है। तो भी मैंने अपने स्वदेशी को ‘सौ फ़ी सदी स्वदेशी’ कहा है क्योंकि मुझे आज स्वदेशी में दूसरी चीजों के घोटाला होजाने का भय है। सौ फ़ी सदी स्वदेशी में सेवा करने की अनन्त इच्छा रखनेवालों के लिए भी काफ़ी क्षेत्र पड़ा हुआ है, और इसमें हर तरह की वृद्धि का उपयोग हो सकता है।

प्र०—इस स्वदेशी के अन्त में आप ‘स्वराज्य’ देखते हैं ?

उत्तर—क्यों नहीं ? एक बार मैंने कहा था कि चर्खे में स्वराज्य है। फिर कहा कि मध्य-निषेध में स्वराज्य है। इसी तरह मैं यह भी कहता हूँ कि सौ फ़ी सदी स्वदेशी में स्वराज्य समाया हुआ है। यह बात उन अन्यों के ‘गाज-दर्शन’ के ही समान है। उन सभी अन्यों का कथन सत्य था, तो भी सम्पूर्ण सत्य नहीं था।

अगर हम अपनी सारी साधन-सामग्री को खपा सकें, तो मुझे पूरा विश्वास है, कि हमारा भारतवर्ष पहले जैसा था एक बार फिर संसार में वैसा ही समृद्ध-से-समृद्ध देश बन जाय। अगर हम आलस्य को तिलाजलि देकर करोड़ों देश भाइयों के अवकाश के समय का सदुपयोग करा सकें, तो अपने अतीत के उस वैभव को एक बार फिर हम लौटा ला सकते हैं। पर यह तभी हो सकता है, जब हम मशीन की तरह नहीं, बल्कि मधुमक्खियों की तरह उद्धमी बन जायें। आपको मालूम है, कि आजकल मैं ‘निर्दोष’ मधु का प्रचार कर रहा हूँ।

प्र०—यह ‘निर्दोष’ मधु क्या चीज है ?

उत्तर—वैज्ञानिक ढंग से मधु-मक्खियाँ पालनेवाले वैज्ञानिक रीति से जो शहद निकालते हैं वह। ये लोग मधु-मक्खियाँ पालते हैं और फिर बिना उन्हें मारे हुए उनका मधु इकट्ठा कर लेते हैं। इसी-लिए मैं उसे निर्दोष या हिंसा-हीन मधु कहता हूँ। बढ़ाया जाय तो यह धन्या काफ़ी बढ़ सकता है।

प्र०—पर क्या आप उस शहद को पूर्णतया हिंसा-हीन कह सकते हैं? जैसे बछड़े का दूध हम छोन लेते हैं, उसी तरह मधु-मक्खियों को क्या हम उनके मधु से वचित नहीं कर देते?

उ०—ठीक है। पर दुनिया का काम इस तरह के कोरे तर्क से ही नहीं चला करता। हम जीते हैं, इसीमें कितनी हिसा है। हमें तो वही मार्ग ग्रहण करना है, जिसपर चलने से कम-से-कम हिंसा होती हो। यों तो अनाज के खाने में भी हिसा है—है या नहीं? इसी तरह यदि मुझे मधु की जरूरत ही है, तो मुझे मधु-मक्खियों के साथ मैत्री-भाव रखना होगा, और जितना वे मधु दे सकें, उतना ही हमें उनसे लेना चाहिए। फिर वैज्ञानिक रीति से जो मधुमक्खी पाली जाती है, उसमें उसका सारा मधु थोड़ा ही कोई निचोड़ लेता है।

इसका आशय ?

उस दिन मेरे एक आदरणीय मित्र ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा था, कि 'ग्राम-उद्योग कार्य से आपका जो मतलब है, उसका सम्पूर्ण चित्र मेरी दृष्टि के सामने नहीं आ रहा है' प्रश्न यह अच्छा है। अवश्य ऐसी शंका बहुतों के मन में उठ रही होगी। मैंने उन्हें उत्तर में जो लिखा, उसका सारांश यह है—

"संक्षेप में पूछा जाय तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें अपने नित्य के उपयोग की चीजें सिर्फ़ वही खरीदनी चाहिए, जो कि गाँवों में बनती हैं। हो सकता है कि गाँव की बनी चीजें अभी भद्री या बेड़ौल हैं। तब हमें चाहिए कि गाँवों की कारीगरी को उत्तेजन देने का हम प्रयत्न करें, न कि इस दलील को सामने रखकर उन चीजों को लेने से इन्कार करदें कि विदेशी अथवा बड़े-बड़े कल-कारखानों की बनी स्वदेशी चीजे उनसे कहीं बढ़िया है। असल बात यह है कि ग्रामवासी की सोई हुई कारीगरी या कलापूर्ण प्रतिभा को हमें जागृत कर देना चाहिए। सिर्फ़ इसी एक तरीके से हम उस भारी ऋण को थोड़ा-बहुत चुका सकेंगे, जो कि गाँववालों का हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। इस विचार से भयभीत होने का कोई कारण नहीं कि ऐसे प्रयत्न में क्या हम कभी कामयाब हो सकेंगे। हमें अपने ही युग की ऐसी कई मिसालें याद आ सकती हैं, कि जब हमें यह ज्ञान होगया कि अमुक काम देश की तरक्की के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं तो हमारे

मार्ग में आनेवाली कठिनाइयाँ हमें जरा भी विचलित नहीं कर सकतीं और उन कामों में हम असफल भी नहीं हुए। इसलिए हममें से अगर हरेक इसपर विश्वास करने लग जाय कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए भारतीय ग्रामों का पुनर्संगठन अत्यन्त आवश्यक है, और अगर हमारा इसमें जीवित विश्वास हो कि ग्रामों के पुनरुज्जीवन के द्वारा ही हम इस व्यापक अस्पृश्यता को निर्मूल करके अपने अन्दर सम्प्रदाय या धर्म का भेद-भाव छोड़कर आत्मैक्य का अनुभव कर सकते हैं, तो हमें सचे हृदय से गांवों की ओर जाना ही होगा, और बजाय इसके कि हम ग्राम-वासियों के सामने उन्हें लुभाने के लिए शहर के कृत्रिम जीवन को रखें, हमें खुद गांव की बनी चीज़ों को नमूने के रूप में अपनाना होगा। अगर यह विचार-दृष्टि ठीक है, तो हमें खुद-ब-खुद आगे बढ़कर गांव की बनी चीज़ों को व्यवहार में लाना चाहिए—जैसे, जहाँ सम्भव हो फाउण्टेनपेन या होल्डर के बजाय हम गांव की बरु की क़लम को और बड़े-बड़े कारखानों की बनी स्थाही की जगह गांव की बनी स्थाही को काम में लावें। मैं ऐसे और भी अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। नित्य के उपयोग की शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो, जो आज से पहले गांववालों ने न बनाई हो, और जिसे वे आज न बना सकते हैं। अगर हम इस तरफ पूरी तरह से अपना मन लगा दे और गांवों पर अपना ध्यान एकाग्र करलें तो हम वात-की-वात में लाखों रूपये गांववालों की जेब में पहुँचा सकते हैं। आज तो हम उन्हें विना कुछ मुआवजा दिये उलटे उन गरीबों को लूट-खोट रहे हैं। इस भयंकर सर्वनाश को आगे बढ़ने से हम अभी रोक सकते हैं। जो लोग आज अस्पृश्य माने जाते हैं, उनकी प्रथानुमोदित अस्पृश्यता दूर करने की अपेक्षा अस्पृश्यता-

निवारण का यह आन्दोलन मेरे लिए अधिक व्यापक मानी रखने लगा है। शहरवालों की दृष्टि में गांव अस्पृश्य हो गये हैं। शहरवाला उन्हे जानता नहीं, पहचानता नहीं। न वह गांवों में जाकर रहना चाहता है; अगर वह किसी गांव में जा पहुँचता है, तो वह वहाँ भी अपना वही नागरिक जीवन जमाना चाहता है। यह तो तभी सह्य हो सकता है, जबकि हम अपने मुल्क में इतने शहर बना सकें कि उनमें ३० करोड़ मनुष्य समा जायें। ग्राम-उद्योगों का पुनरुज्जीवन और बलात्कार की वेकारी तथा दूसरे कारणों से उत्पन्न देश की दिन-दिन चढ़ती हुई दण्डिता का दूरीकरण अगर असम्भव है तो भारत के गांवों को शहरों में परिणत कर देने की कल्पना तो और भी अधिक असम्भव है।

ह० न० ३०-११-३४

ग्राम-उद्योग-संघ

[“चूंकि स्वदेशी के कार्य को आगे बढ़ाने का दावा करनेवाले अनेक मंडल सारे देश में, काँप्रेसजनों की सहायता से और बिना सहायता के भी, खुल गये हैं और चूंकि इससे स्वदेशी के सच्चे स्वरूप के सम्बन्ध में जनता के मन में भारी भ्रम उत्पन्न होगया है, चूंकि काँप्रेस का ध्येय उसके जन्म-काल से ही जन-साधारण के साथ आत्मीयता बढ़ाते रहने का रहा है, और चूंकि गांधी के इस नये सगठन में चर्खे के मुख्य उद्योग के बाद मरे हुए या मरते हुए ग्राम-उद्योगों को पुनर्जीवित करने और उन्हे प्रोत्सान देने का समाचेश होजाता है, और चर्खा-संघ के विधान की तरह, काँप्रेस की राजनैकि प्रवृत्तियों से अलिप्त तथा स्वतंत्र रहकर तन्मयता और विशेष प्रयत्न-पूर्वक ही यह काम हो सकता है, इसलिए इस प्रस्ताव के द्वारा श्री कुमारप्पा को, गांधीजी के परामर्शानुसार और देख-रेख के अधीन, काँप्रेस की प्रवृत्ति के एक अश के रूप में, ‘अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ’ नामक संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। यह संघ घरेलू उद्योगों के पुनरुद्धार तथा प्रोत्साहन और गांव की नैतिक तथा ज्ञारीरिक उन्नति के लिए प्रयास करेगा; और उसे अपना विधान बनाने, धन-संग्रह करने तथा अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिए तमाम आवश्यक काम करने का अधिकार रहेगा।”]

गत २४ अक्टूबर को बम्बई में कॉंग्रेस की विषय-निधारिणी समिति के आगे 'ग्राम-उद्योग-सघ' का उपरोक्त प्रस्ताव पेश करते हुए गाँधीजी ने जो भाषण किया था, उसका मुख्य भाग नीचे दिया जाता है—]

गाँवों की दरिद्रता

इस साल जब मैं हरिजन-दौरा कर रहा था तब लोग मेरे पास आकर अपनी मुसीबतों को सुनाते थे। इस यात्रा में मैंने जितना भ्रमण किया उतना कभी नहीं किया। और उड़ीसा की पैदल-यात्रा में तो मुझे असाधारण अनुभव प्राप्त हुए। हमारे सात लाख गाँवों में कुछ पार है बेकारी का! लोग खेती-पाती से किसी तरह अपनी जीविका चला रहे हैं। पर लाखों लोगों को खेती में नुकसान पहुँचता है। और आज की मुसीबत का तो कुछ लेखा ही नहीं। आज तो किसान जितना बोते हैं, उतना भी पैदा नहीं होता। इतनी दरिद्रता गाँवों में पहले कभी न हुई होगी। जो लाखों-करोड़ों का सोना देश से निकल गया है उसके राजनैतिक कारण तो है ही, पर एक कारण लोगों की यह लाचारी भी है। इस बेकारी से ही चर्खे की उत्पत्ति हुई है। हिन्दुस्तान को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा देश है कि जहाँ लोग केवल खेती पर ही गुजर-बसर करते हों? मधुसूदनदास ने कहा था, कि खेती के साथ-साथ गाँवालों के लिए कोई-न-कोई ऊपरी धन्या तो होना ही चाहिए। जमीनी जाकर वे चमड़े का काम सीख आये थे। उनका एक बाक्य मुझे आज भी याद है, कि हमेशा बैल के साथ काम करनेवाले की अक्तल भी बैल की जैसी ही होजाती है। हमारे किसान भाई आज काम-धन्ये से हाथ धो बैठे हैं, और उनमें एक प्रकार की जड़ता-सी आगई है।

वेकारी का इलाज

साम्यवादियों का एक अखबार एक सज्जन मेरे हाथ मे दे गये थे। उसमे एक बड़ा सुन्दर लेख है। उसमे लिखा है, कि हिन्दुस्तान के लोग मानों पशु हो रहे हैं। आज से दस ही वरस पहले देश मे अनेक उद्योग-धन्धे देखने मे आते थे, पर आज उन सबका जैसे लोप हो गया है। अब तो सिर्फ खेती पर ही लोग निर्वाह कर रहे हैं, और इससे वेकारी अनेक गुनी बढ़ गई है। मैंने तो उस लेख मे से यही सार निकाला, कि इस वेकारी का आखिर इलाज क्या हो सकता है? इसपर विचार करते समय स्वदेशी का शुद्ध स्वरूप मेरे आगे आया। अकेली खादी मे ही २,२०,००० कातनेवाली खियाँ काम में लगी हुई हैं। इस साल मे क़रीब ७५ लाख रुपये हमने इन्हे दिये हैं। इस काम की देव-रेव रखनेवाले मध्यम-वर्ग के ११०० आदिमियों की जीविका खादी से चल रही है। इन लोगों के द्वारा यह घैन करोड़ रुपया गाँवों में पहुँचा है। खादी का यह काम आज पांच-छै हजार गाँवों मे चल रहा है। और २० लाख रुपये से अधिक मूलधन इसमे नहीं लगा हुआ है।

पर इतने से हिन्दुस्तान की सारी वेकारी थोड़े ही दूर हो जाती है। बढ़ी की ही बात लेता हूँ। अपने यहाँ का बढ़ी किसी समय बड़ा अच्छा कारीगर था। आज वह सब कारीगरी भूल गया है। आज तो गाँव का बढ़ी चर्खा तक नहीं बना सकता। विहार की ही बात लीजिए। भूकम्प ने वहाँ खेतों का नाश कर दिया है। वाल्ही-वाल्ही जहाँ-तहाँ दिखाई पड़ती है और खेती करना असम्भव-सा होगया है। वहाँ यह निश्चय किया गया, कि जो लोग भूखों मर रहे हैं, उन्हे

हर रोज़ भीख देना तो ठीक है नहीं, इससे और नहीं तो चर्खा चलवाकर ही उनकी बेकारी दूर करने का कुछ प्रयत्न किया जाय। पर प्रश्न यह था कि इतने चर्खे लावें कहाँ से? अच्छा हुआ कि वहाँ के बढ़ी चर्खे बना तो सकते थे।

अपने देश में शहरों की तो तीन ही करोड़ की आबांदी है। बाकी के ३२ करोड़ आदमी दस हजार से कम जन-संख्यावाले गाँवों में रहते हैं। उनका हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। वे क्या तो खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या धन्धा करते हैं इन बातों का कभी विचार तक न करते हुए हम उन बेचारों के कल्याण पर सवारी किये हुए हैं। इन लोगों के लिए आपसे चर्खा चलाने को कहता हूँ तो आपको मेरी यह बात पुसाती नहीं। चर्खा-संघ इन लोगों को चर्खा पकड़ा तो रहा है, पर जो काम बाकी रहता है, उसे यह नया संघ पूरा करेगा। चर्खे के अतिरिक्त बाकी के जिन उद्योगों को लोग घर बैठे ही कर सकते हैं, उन सबका पता यह संघ लगायेगा। जिन उद्योगों का पुनरुद्धार हो सकता है, उनका पुनरुद्धार करेगा; जो चीजें तैयार होती होंगी उन्हें और भी अच्छी तरह तैयार कराने की योजना यह संघ बनायगा; और नई-नई और क्या-क्या चीजें बन सकती हैं, इसका भी वह पूरा-पूरा पता लगायगा। इस काम के द्वारा गरीब लोगों की जेब में कुछ करोड़ रुपये तो पहुँचेंगे ही। चर्खे के विषय में जितनी मुझे आशा थी, उतनी दिलचस्पी आपने नहीं ली। मेरी तो यह कल्पना थी, कि विदेशी कपड़े के पीछे अपने देश का जो साठ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विदेश चला जाता है, उसे हम चर्खे के द्वारा बचा लेंगे, पर मेरी यह कल्पना सफल नहीं हो सकी।

अब यह प्रस्ताव आपसे यह पूछता है, कि आप चर्खा नहीं

चलाना चाहते तो क्या इतना भी स्वदेशी का काम आप दिल से करेंगे या नहीं ? यह काम आपको अच्छा लगे तभी इस प्रस्ताव को पास कीजिए, नहीं तो नहीं । इसमें मेरे साथ सौदा करने या मुझे रिखाने की कोई बात नहीं है ।

राजनीति से अलग

इस संघ का कांग्रेस के साथ, बस, वैसा ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि चर्खा-संघ का है । चर्खा-संघ को शंकरलाल, जमनालाल आदि चला रहे हैं, तो भी कांग्रेस उनके काम की जांच कर सकती है । कुमारपा तो कांग्रेस के आदमी हैं ही । बिहार में हमारे भूकम्प निधि के लाखों रुपये का हिसाब-किताब यही रख रहे हैं । भारत-सरकार द्वारा जनता के मध्ये मढ़े हुए झूण की जांच-पड़ताल करने के लिए कांग्रेस ने जो कमेटी नियत की थी, उसके मंत्री यही कुमारपा थे । वह एक 'चारटर्ड एकाउण्टेण्ट' है । उन्होंने बड़ा त्याग किया है । रुपये-पैसे की उन्हें कोई कमी नहीं है । इस काम से वह बड़ी दिलचस्पी लेते हैं । मैंने उनसे इस विषय में बात की है और उन्होंने मेरी देख-रेख में यह काम करना स्वीकार भी कर लिया है ।

इस काम को मैं राजनीति दृष्टि से नहीं करना चाहता, पर इस दृष्टि से करना चाहता हूँ, कि गरीब बेकार ग्रामवासियों को इससे दो पैसे मिलें । इसीलिए इसे मैं राजनीति से अलग रखना चाहता हूँ । आप लोगों को यह जानकर आश्वर्य होगा कि, जो दो लाख वीस हजार करतैये, वीस हजार धुनिये और बुनकर चर्खा-संघ का दिया हुआ काम कर रहे हैं, उनमें कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है । कांग्रेस-विधान में सूत-मताधिकार भी है, इसलिए वे चाहें तो उसके

सदस्य हो सकते हैं, पर इसके लिए हमने प्रयत्न किया ही नहीं। ऐसा करने से भी वे हमारे राजनैतिक कार्य से अपरिचित तो हैं नहीं। वे यह जानते हैं, कि कांग्रेस में तो हम उनकी सेवा करने के लिए ही गये हैं, न कि राजनीति में उनका उपयोग करने की नीयत से। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के ऊपर रुपये-पैसे की जबाबदारी तो कोई आती ही नहीं; वह तो सिर्फ़ कांग्रेस का नाम-भर चाहता है। यह चीज़ अगर अपको पसन्द हो तो इस प्रस्ताव के पश्च में अपनी राय दें, नहीं तो नहीं।

[नोट—इस प्रस्ताव पर कई संशोधन पेश हुए और कुछ पर वाद-विवाद भी हुआ। वाद को उन सब संशोधनों का जवाब देने हुए गाधीजी ने कहा—]

नीति से कोई विरोध नहीं

एक सज्जन ने यह संशोधन पेश किया है, कि इस प्रस्ताव में से 'मेरे हुए या मरते हुए धन्धे' यह शब्द निकाल दिये जायें। इस प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे उद्योग-धन्धों की हमें दरकार ही नहीं। जो धन्धे मर गये हैं, जिनका खात्मा होगया है, या जो मरने ही वाले हैं, उन्हे प्राण-दान देना इस संघ का मुख्य काम होगा।

दूसरे संशोधन 'नैतिक तथा शारीरिक उन्नति' इन शब्दों को निकाल देना चाहते हैं। ये शब्द इसलिए रखे गये हैं, कि इस प्रताव का उद्देश्य गांववालों को सिर्फ़ पैसा देने का ही नहीं है, वहिंकि उनके चरित्र की रक्षा करने का भी है। कोई मनुष्य दारु या ताड़ी का धन्धा करता हो, तो उसे हम यह समझायेंगे, कि वह उस चीज़ को छोड़कर कोई दूसरा धन्धा हाथ में ले ले। हम तो खुदाई लिंदमतगार

बनकर उनके पास जायेंगे। मैं तो सभी उच्चोग-धन्धों की खोज-बीन करना चाहता हूँ, और वह केवल अर्थ-शास्त्री की दृष्टि से नहीं। इन लोगों की सभी प्रकार की स्थिति का पता लगाना होगा। इस काम में अच्छापक डाक्टर आदि की मदद तो मुझे लेनी ही होगी।

इस संस्था को कांग्रेस की राजनीति से जो मैंने अलिङ्ग रखा है, उसका एक खास उद्देश्य है। राजनैतिक स्थिति चाहे जैसी हो तो भी इस काम को तो चलता ही रहना चाहिए। हम अपने ग्राम-वासी भाइयों के पास सेवा करने के इरादे से ही जायें, उनके कान में राजनीति का मंत्र फूँकने नहीं। हमें तो उन्हे स्वस्थ बनाने, रोग-मुक्त करने, उनकी गन्दगी छुड़ाने, उन्हे उच्चम में लगाने और बेकारी दूर करने की नीयत से ही उनके पास जाना चाहिए। हमारा अगर यह हेतु हो तो हम इस काम में राजनीति को नहीं ला सकते। कांग्रेस जव गैर-कानूनी क्रारार दे दी गई थी तब भी चर्चा-संघ गैर-कानूनी नहीं ठहराया गया, और उसका काम बगावर बैसा ही चलता रहा, तो भी वह कांग्रेस की ही संस्था है। पर कांग्रेस की राजनीति से चर्चा-संघ अलग ही रहता है। ठीक यही स्थिति इस नये संघ की भी रहेगी।

करांची मे मैंने यही बात कही थी। उस दिन जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था, बाद को वे मुझसे कहते थे, कि तुम्हारा कहना सच था। मैंने उस समय अस्पृश्यता-निवारण-समिति और मद्य-नियेध-समिति को कांग्रेस की राजनीति से अलग रखने की सलाह दी थी, और वह सलाह ठीक ही थी। एक सज्जन ने कहा है कि यह काम तो 'कुमारप्पा एण्ड को०' के द्वारा होगा। फिर कांग्रेसवालों के लिए क्या काम रह जायगा? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। इस संघ मे तो उस प्रत्येक कांग्रेस-जन के लिए स्थान रहेगा, जिसकी इस काय

मेरे श्रद्धा होगी। आज चर्खा-संघ में जो ११०० खादी-सेवक कामकर रहे हैं, वे सब-के-सब काँप्रेसवादी ही हैं।

सच्चा समाजवाद

श्री गोविन्दसहाय ने कहा है, कि यह सब मैं प्राचीन युग की बात कर रहा हूँ, और मैं यन्त्रों का कट्टर दुश्मन हूँ। मेरे लेखों को, जान पड़ता है, उन्होंने कुछ बक्रटष्ठि से पढ़ा है। मेरे सामने जो यह चर्खा रखा है, क्या यह यन्त्र नहीं है? अरे, यन्त्रों से कौन इन्कार करता है? पर हमें उनका गुलाम नहीं बनना है। गुलाम तो वे हमारे बने। हमें तो गरीबों का गुलाम बनना है, अमीरों का नहीं। पैसेवालों से मैं गरीबों के लिए पैसों की मदद ले लेता हूँ; पर कोई मिल-मालिक या कल-कारखानेदार मुझे पांच हजार रुपये दे तो क्या इसमें मैं उस की मदद करूँगा? जो मुझे दें उन्हें तो यह समझकर ही देना चाहिए, कि गरीबों के पास से जो हमने बहुत-सा पैसा इकट्ठा कर लिया है, उसमें से यह थोड़ा पैसा उनके काम के लिए हम दे रहे हैं। धनिकों से पैसा लेकर मैं तो उन्हे लूट रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं, कि मैं धनिकों का दलाल हूँ। पर मुझसे पूछो तो मैं तो एक मजूर हूँ। मैंने मजूरों के साथ मजूरी की है। मैं उनके साथ रहा हूँ। उनके साथ मैंने खाया है, पीया है। मैं मजूरों का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ, और उनके लिए धनिकों से दैसा लेता हूँ। अपने देश के ३५ करोड़ लोगों को मैं यन्त्रों का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं इसमें साम्यवाद या समाजवाद की कल्पना नहीं कर सकता। समाजवाद का अर्थ तो मैं यह करता हूँ, कि लोग स्वावलम्बी हो जायं। ऐसा करने से ही वे धनिकों की लूट-मार से

वचेंगे। मैं तो मज़दूरों को यह समझा रहा हूँ, कि पूँजीपतियों के पास सोना-चाँदी है, तो उम्हारे पास हाथ-पैर है और सोना-चाँदी की तरह यह भी एक तरह की पूँजी ही है। पूँजीपति का काम बिना मज़दूर के नहीं चल सकता। कोई इसे यह न समझ बैठे, कि हम इस इस संघ के द्वारा पूँजीपतियों का काम करके मज़दूरों को गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं। बात तो बल्कि इससे उल्टी है। हमें तो इसके द्वारा गुलामी के बन्धन से मुक्त करना है। बात तो उन्हे स्वावलम्बी बनाने की है। इसमें उन्हे गुलाम बनाने की कल्पना कैसे हो सकती है? इस सारी योजना पर मैंने खूब अच्छी तरह विचार किया है, और उसके बाद ही इसे उपस्थित किया है। ग्राम-उद्योगों को जिलाने का यही एक मार्ग है, और इसमें मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ।

ह० से० ९-११-३४

: ७ :

ग्राम-उद्योग

ग्राम-उद्योगों के सम्बन्ध में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया है उसका रचयिता मैं हूँ, और इन उद्योगों की उन्नति के लिए जो संघ रथापित होनेवाला है, उसका एकमात्र सलाहकार भी मैं ही हूँ। इसलिए इन उद्योगों के सम्बन्ध में, और इनसे जनता के चरित्र तथा स्वास्थ्य को जिस लाभ के होने की आशा है, उसके विषय में मेरे मन में जो विचार चक्र लगा रहे हैं उन विचारों को मैं क्यों न जनता के आगे रख दूँ।

हरिजन-यात्रा के सिलसिले में जब इस वर्ष के आरम्भ में मैं मलाबार गया था, तभी इस ग्राम-उद्योग-संघ के स्थापित करने का विचार एक प्रकार से निश्चित हो गया था। कोचीन राज्य के एक खादी-सेवक के साथ बात करते हुए मैंने देखा, कि शहर के लोगों ने गाँववालों के पास से जिस चीज को क्रूरता और अविचारपूर्वक छीन लिया है, वह चीज अगर हमे ईमानदारी के साथ उन्हे लौटा देनी है, तो एक ग्राम-उद्योग-संघ के स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। गाँववालों में भी सबसे सख्त मार गरीब हरिजनों पर पड़ी है। साधारण ग्रामवासियों के लिए जिन उद्योगों के करने की स्वतन्त्रता है, उनमें थोड़े से ही धन्धे हरिजन कर सकते हैं। इसलिए जब उनके हाथ से उनके उद्योग-धन्धे खिसक गये तब जिन

पशुओं के साथ वे दिन-रात रहते हैं, उन्हींकी तरह वे जड़, बुद्धि-हीन और निस्तेज बन गये।

मगर सामान्य ग्रामवासियों की भी आज इससे कुछ अच्छी स्थिति नहीं है। धीरे-धीरे अब वहाँ धरती खरोंच-खरोंच कर दो ग्रास अन्न से पेट भरने की नौबत पहुँच रही है। आज यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे बचे-खुचे खेत-खलिहानों में खेती करने में किसान को लाभ के बदले हानि ही हो रही है। गाँव के लोगों में आज जीवन नहीं दिखाई देता। उनके जीवन में न आशा रही है न उमंग और न उत्साह है न सूर्ति। भूख धीरे-धीरे उनके प्राणों को चूस रही है। उधर कृष्ण के गर्दन-तोड़ बोझ से जुदे दबे जा रहे हैं। साहूकार उन्हे कङ्जा देता है, क्योंकि न दे तो जाय कहाँ? न देने से तो उसका सारा पैसा छूब जाय। कितनी ही जांच-पड़ताल की जाय, गाँवों के कङ्जों का यह गोरख-धन्या कभी सुलझने का नहीं। जांच तो हमने इसकी काफ़ी बारीकी से की है, फिर भी इस विषय की हमारी जानकारी नगण्य ही है।

ग्राम-उद्योगों का यदि लोप होगया तो भारत के ७ लाख गाँवों का सर्वनाश या निर्वाण ही समभिए।

ग्राम-उद्योग सम्बन्धी मेरी प्रस्तावित योजना पर इधर दैनिक पत्रों में जो टीकायें हुई हैं, उन्हे मैंने पढ़ा है। कई पत्रों ने तो मुझे यह सलाह दी है, कि मनुष्य की अन्वेषण बुद्धि ने प्रकृति की जिन शक्तियों को अपने वश में कर लिया है, उनका उपयोग करने से ही गाँवों की मुक्ति होगी। उन आलोचकों का यह कहना है कि प्रगति-शील पश्चिम मे जिस तरह पानी, हवा, तेल और विजली का पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है उसी तरह हमें भी इन चीज़ों को काम में

लाना चाहिए। वे कहते हैं, इन निर्गूढ़ प्राकृतिक शक्तियों पर क्रब्जा कर लेने से प्रत्येक अमेरिकावासी ३३ गुलामों को रख सकता है, अर्थात् ३३ गुलामों का काम वह इन शक्तियों के द्वारा ले सकता है।

इस रास्ते अगर हम हिन्दुस्तान में चलें तो मैं यह बेधड़क कह सकता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को ३३ गुलाम मिलने के बजाय इस मुल्क के एक-एक मनुष्य की गुलामी ३३ गुनी बढ़ जायगी।

उद्योगों के यन्त्रीकरण की बात लीजिए। यंत्रों से काम लेना उसी अवस्था में अच्छा होता है, जबकि किसी निर्धारित काम को पूरा करने के लिए आदमी बहुत ही कम हों, या नपे-तुले हों। पर यह बात हिन्दुस्तान में तो है नहीं। यहाँ काम के लिए जितने आदमी चाहिए, उससे कहीं अधिक बेकार पड़े हुए हैं। इसलिए उद्योगों के यन्त्रीकरण से यहाँ की बेकारी घटेगी या और बढ़ेगी? कुछ वर्ग-गत्त जमीन खोदने के लिए मैं हल का उपयोग नहीं करूँगा। हमारे यहाँ यह सवाल तो है नहीं, कि हमारे गाँवों में जो लाखों-करोड़ों आदमी भरे पड़े हैं, उन्हें परिश्रम की चक्की से निकालकर किस तरह छुट्टी दिलाई जाय। हमारे आगे तो प्रश्न यह है कि उन्हे साल में जो छः महीने का समय योही बैठे-बैठे आलस में बिताना पड़ता है, उसका उपयोग कैसे किया जाय? कुछ लोगों को मेरी यह बात शायद विचित्र लगेगी। दरअसल बात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यतः गाँवों की जनता के लिए आज त्रासरूप हो रही है। उनकी रोजी पर ये मायाविनी मिलें छापा मार रही हैं। मैंने बारीकी से आंकड़े एकत्र नहीं किये, पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि गाँवों में बैठकर कम-से-कम दस मजूर जितना काम करते हैं, उतना ही काम मिल का एक मजूर करता है। इसे यों भी कह सकते हैं, कि दस

आदमियों की रोजी छीनकर यह एक आदमी गाँवों में जितना कमाता उससे कहीं अधिक कमा रहा है। इस तरह कर्ताई और दुनर्ही की मिलों ने गाँवों के लोगों की जीविका का एक बड़ा भारी साधन छीन लिया है। ऊपर की दलील का यह कोई जबाब नहीं है कि ये मिलें जो कपड़ा तैयार करती हैं वह अधिक अच्छा और काफ़ी सस्ता होता है। कारण यह है कि इन मिलों ने अगर हजारों मजूरों का धन्धा छीनकर उन्हे बेकार बना दिया है तो सस्ते-से-सस्ता मिल का कपड़ा गाँवों की बनी हुई महँगी-से-महँगी खादी से भी महँगा है। कोयले की खान में काम करनेवाले मजूर जहाँ रहते हैं, वहीं वे कोयले का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्हे कोयला महँगा नहीं पड़ता। इसी तरह जो ग्रामवासी अपनी ज़खरत भर के लिए खुद खादी बना लेता है, उसे वह महँगी नहीं पड़ती, पर मिलों का बना कपड़ा अगर गाँवों के लोगों को बेकार बना रहा है तो चावल कूटने और आटा पीसने की मिलें हजारों स्त्रियों की न केवल रोज़ी ही छीन रही हैं, बल्कि बदले में तमाम जनता के स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचा रही है। जहाँ लोगों को मास खाने में कोई आपत्ति न हो और मासाहार जहाँ पुसाता हो, वहाँ मैदा और पालिशदार चावल से शायद हानि न होती हो; पर हमारे देश में जहाँ करोड़ों आदमी ऐसे हैं कि उन्हे मांस मिले तो वे खाने में आपत्ति नहीं करेंगे पर उन्हे मांस मिलता ही नहीं, वहाँ उन्हे हाथ की चक्की के पिसे गेहूँ के आटे और हथकुटे चावल के पौष्टिक तथा जीवन-प्रद तत्वों से वंचित रखना एक प्रकार का पाप है। इसलिए डाक्टरों तथा दूसरे आहार-विशेषज्ञों को चाहिए कि मैंदे और मिल के, कुटे पालिशदार चावल से लोगों के स्वास्थ्य को जो हानि हो रही है उससे वे जनता को आगाह कर दें।

मैंने सहज ही नज़र में आनेवाली जो कुछ मोटी-मोटी बातों की तरफ यहाँ ध्यान खींचा है, उसका यही उद्देश्य है कि अगर ग्राम-वासियों को कुछ काम देना है तो वह यंत्रों के द्वारा सम्भव नहीं। उनके उद्धार का सच्चा मार्ग तो यही है, कि जिन उद्योग-धन्धों को वे अबतक किसी कदर करते चले आ रहे हैं, उन्हींको भली-भांति जीवित किया जाय।

इसलिए मेरे अभिप्राय के अनुसार अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ का काम यह होगा, कि जो उद्योग-धन्धे आज चल रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय, और जहाँ हो सके, और जहाँ वांच्छनीय हो, वहाँ नष्ट या नष्ट होनेवाले ग्राम-उद्योगों को गाँवों की पद्धति से—अर्थात् वह रीति कि जिस रीति से अनादिकाल से गाँववाले अपनी भोपड़ियों में काम करते आ रहे हैं—सजीव किया जाय। जिस प्रकार हाथ की ओटाई, धुनाई, कताई और बुनाई की क्रियाओं और औजारों में बहुत उन्नति हुई है, उसी प्रकार ग्राम-उद्योगों की पद्धति में भी काफ़ी सुधार किया जा सकता है।

एक आलोचक ने यह आपन्ति उठाई है कि प्राचीन पद्धति का अनुसरण करके प्रत्येक मनुष्य अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा की पूति कर लेता है; इस रीति से सामूहिक कार्य कभी नहीं हो सकता। यह दृष्टि मुझे घड़ी थोथी मालूम देती है। इसके पीछे कोई गहरा विचार नहीं है। ग्रामवासी भले ही वस्तुओं को अपने भोंपड़ों में बैठकर बनावें पर यह बात नहीं कि वे सब चीजें इकट्ठी न की जा सकें और उनसे होनेवाला मुनाफ़ा लोगों में न बंट सके। ग्रामवासी किसी की देख-रेख में किसी खास योजना के अनुसार काम करें। कच्चा माल सार्वजनिक भण्डार से दिया जाय। अगर सामूहिक कार्य करने की

इच्छा ग्रामवासियों के अन्दर पैदा कर दी जाय तो सहयोग, श्रम-विभाग, समय के बचाव और कार्य-कुशलता के लिए तो निश्चय ही काफ़ी अवकाश है। आज ये सारी चीजें अखिल-भारतीय-चर्चा-संघ ५००० से ऊपर गांवों में कर रहा है।

किन्तु खहर गांवों के सौर-मण्डल का सूर्य है, और अन्यान्य विविध उद्योग इस मण्डल के गृह हैं। इन उद्योग-रूपी गृहों को खहर-रूपी सूर्य से जो उष्णता और प्राण-शक्ति मिल रही है, उसके बढ़ले में वे खहर को टिकाये हुए हैं। बिना खादी के अन्य उद्योगों का विकास होना असम्भव है। किन्तु मैंने अपनी गत हरिजन-यात्रा में यह देखा कि अगर दूसरे उद्योग-धन्धे जिन्दा न किये गये तो खादी की अधिक उन्नति नहीं हो सकती। ग्राम-वासियों में अगर उनके फुर्सत के समय का सटुपयोग करने की क्रिया-शीलता और क्षमता उत्पन्न करनी है, तो ग्राम-जीवन का सभी पहलुओं से स्पर्श करके उसमे नव-चेतना का संचार करना होगा। आशा है, कि यह नवीन संघ यह सब काम करेगा।

स्वभावतः राजनीति या राजनैतिक दलों के साथ इस संघ का कोई वास्ता नहीं है। मेरा विश्वास है, कि कांग्रेस ने इन दोनों ही संघों को, जो सर्वांश में स्वतन्त्र और राजनीति से सर्वथा अलिप्त रखा है, यह अच्छा ही किया है। गांवों की अर्थिक, नैतिक और आरोग्य सम्बन्धी उन्नति करने का काम सभी दल और सभी जातियाँ कल्यासे-कल्या भिड़ाकर कर सकती हैं।

मुझे मालूम है, कि एक वर्ग ऐसा है, जो खादी को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक मानता ही नहीं। मुझे आशा है कि इस वर्ग के लोग मेरे इस कथन से भड़क नहीं जायेंगे कि खादी ग्राम-सेवा की प्रवृत्तियों

का केन्द्र है। खादी तथा अन्य ग्राम-उद्योगों का पारस्परिक सम्बन्ध बताये बिना मैं अपने अन्तर का कल्पना-चित्र ठीक-ठीक अंकित नहीं कर सकता था। जो लोग खादी और अन्य ग्राम-उद्योगों के इस सम्बन्ध को न मानते हों, वे दूसरे उद्योगों में भले अपनी शक्ति लगावें। पर मैंने इस लेख में जिस भूमिका के बांधने का प्रयत्न किया है, उसे अगर उन्होंने समझ लिया हो तो इन ग्राम-उद्योगों को सजीव करने का काम भी वे लोग इस नये संघ के द्वारा कर सकेंगे।

ह० से० २३-११-३४

ग्राम-उद्योग-संघ

[कांग्रेस के बाद पिछले हफ्ते इधर गांधीजी को बहुत काम करना पड़ा है। उनके मन में आज-कल ग्राम-उद्योग-सघ के ही विचार धर किये हुए हैं, और उनका इस विषय का पत्र-व्यवहार इतना अधिक बढ़ गया है, कि उनका निपटाना मुश्किल हो गया है। पर दो सप्ताह पहले गांधी-सेवा-सघ के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर तो काम बहुत बढ़ गया था। गांधी-सेवा-सघ में ऐसे कितने ही चुने हुए देश-सेवक हैं, जो रचनात्मक कार्य के लिए अपना सारा समय देने को सतत तत्पर रहते हैं। उनके आगे गांधीजी ने उन दिनों अपना जो तीसरा भाषण दिया, उसमें उन्होंने ग्राम-उद्योग सघ का अर्थ और उसका कार्य-विस्तार भलीभाति समझाया था। नीचे उस भाषण का सारांश दिया जाता है।—म०ह०वे]

संघ की बात उठी कैसे ?

यह तो आप लोगों में से कई सज्जन जानते ही होंगे कि यह ग्राम-उद्योग-संघ की बात किस तरह मेरे मन में आई। गत वर्ष हरिजन-कार्य के निमित्त जब मैं समस्त देश का भ्रमण कर रहा था, तब मुझे यह सूर्य-प्रकाश की नाई स्पष्ट दिखाई दिया कि जिस प्रकार आज हम खादी का कार्य चला रहे हैं, उस प्रकार से तो खादी देश-व्यापी होने की नहीं, और इस तरह हमारे ग्रामों को नया जीवन भी मिलने का नहीं। मैंने देखा कि खादी पहननेवाले देश में बहुत ही थोड़े हैं, और जो लोग केवल खादी पहनते हैं, वे भी कुछ ऐसा मानते हैं, कि

बस अब हमने जग जीत लिया, और अब करने को रहा ही क्या—
 चाहे जिन चीजों को, वे चाहे जिस तरह तैयार हुई हों, हम उनका
 उपयोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दिया, कि खादी के पीछे
 हमारी जो भावना है उसे भुलाकर केवल एक जड़ रुद्धि की तरह हम
 खादी का उपयोग करने लगे हैं। मैंने देखा, कि अगर यही दशा बनी
 रही तो केवल पोषण के अभाव से ही खादी का खात्मा हो जायगा।
 अगर एकाग्रता और उत्कटतापूर्वक हम केवल खादी के ही कार्य में
 अपने को लगा दें तो उसमें निश्चयेन हमें सफलता मिले। पर मुझे
 न तो वैसी कहीं एकाग्रता ही दिखाई दी, न उत्कटता ही। हम सब
 लोगों ने न तो अपना अवकाश का सारा समय ही कभी चर्खे या
 तकली को दिया और न हम सबने केवल खादी ही पहनने का ब्रत
 लिया—यद्यपि कत्तैर्यों की संख्या से खादी पहननेवालों की संख्या
 अवश्य अधिक रही। मगर बाकी के सब आदमी हाथ-पर-हाथ धरे
 ही बैठे रहे। लाखों मनुष्य अनिच्छापूर्वक व्यर्थ दिन काटते रहे। मैंने
 देखा कि यह स्थिति तो हमारा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। मुझे
 यह लगा कि इन लोगों को कभी स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि
 ये लोग चाहे अनिच्छा से आलस मे बैठे-बैठे दिन काट रहे हों, या
 स्वेच्छा सं, तो भी विदेशी तथा देशी लुटेरों का शिकार तो इन्हे सदा
 बना ही रहना है। इन्हे लूटनेवाले विलायत के हों या हिन्दुस्तान के
 शहरों के हों, इनकी स्थिति तो ऐसी ही सदा रहेगी, इन्हे स्वराज्य
 मिलने-मिलाने का नहीं। इसलिए मैंने अपने मन मे कहा, कि ये
 लोग अगर खादी में रस नहीं लेना चाहते तो इनसे कुछ दूसरा काम
 करने के लिए कहना चाहिए; ये लोग कोई ऐसा काम क्यों न करें,
 जो इनके वाप-दादे करते थे, पर जो-कुछ समय से बन्द हो गया

है ?' थोड़े ही वरस हुए कि ये लोग अपने नित्य के उपयोग की अनेक चीजें खुद ही बना लेते थे, पर अब उनके लिए उन्हे बाहर की दुनिया के आसरे रहना पड़ता है। छोटे-छोटे कस्बों में रहनेवाले लोगों के नित्य के उपयोग की ऐसी बहुत-सी चीजें थीं, जिनके लिए उन्हे गाँववालों पर निर्भर रहना पड़ता था, पर अब उन चीजों को वे लोग शहर में मंगा लेते हैं। जिस क्षण ग्रामवासी अपने अवकाश के सारे समय को किसी उपयोगी काम में लगाने का पक्का इरादा कर लेंगे, साथ ही, शहरवाले इन गाँव की बनी हुई चीजों को काम में लाने का सकल्प कर लेंगे, उसी क्षण गाँववालों तथा शहरवालों का जो पारस्परिक प्रेम-सम्बन्ध दूट गया है, वह फिर से जुड़ जायगा। मृत अथवा मृतप्राय ग्राम-उद्योगों और कलाओं में से कौन-कौन उद्योग और हुनर सजीव किये जा सकते हैं, इस विषय में तो हम निचश्य-पूर्वक तबतक कुछ भी नहीं कह सकते, जबतक कि हम गाँवों में जाकर उनकी ठीक-ठीक तहकीकात करके उनके कोष्टक न बनालें और उनका वर्गीकरण न कर लें। पर मैंने सबसे महत्व की तो अभी से दो चीजें चुनली हैं, खाने-पीने की चीजे और पहनने-ओढ़ने की चीजे। पहनने-ओढ़ने की चीजों में खादी तो हमारी है ही। रही आहार की चीजे, सो इस विषय में हम पहले दूसरों के आसरे नहीं रहते थे; पर आज वह स्थिति नहीं रही, आज तो खाने-पीने की चीजों में भी हम परावलम्बी हो गये हैं। थोड़े ही वरस पहले हम हाथ से ओखली में चावल कूट लेते और जांते में आटा पीस लेते थे। थोड़ी देर के लिए स्वास्थ्य के प्रश्न को अलग रख दीजिए, तो भी यह तो निर्विवाद है, कि आटे और चावल की मिलों ने लाखों स्थियों का काम वड़ी बेदर्दी से छीन लिया है, न जाने कितनी असहाय

बेवा और अनाथ स्थियों का पेट पल जाता था, पर आज तो इन जालिम मिलों ने उनकी रोजी को भी पीस डाला है। गुड़ का स्थान यह शक्कर लेती जा रही है; और विस्कुट और मिठाई जैसी-बनी-बनाई चीजें हमारे गाँव में विना किसी रोक-टोक के पैठती चली जा रही हैं। इसका यह अर्थ है, कि गाँवों के प्रायः सभी उद्योग धीरे-धीरे ग्राम-वासी के हाथ से जा रहे हैं और बेचारा ग्राम-वासी अपने लुटेरों के लिए कच्चा-माल पैदा करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता। वह एकदम असमर्थ और पंगू हो गया है। वह हमेशा देता ही है, बदले में उस बेचारे को मिलता-मिलता कुछ भी नहीं। कच्चे माल के बदले उसे जो नगण्य-सा पैसा मिलता है, उसे भी बह शक्कर और कपड़े के व्यापारी के हवाले कर देता है। उसके पहले एक पाई भी नहीं रहती। जिन पंशुओं के संग-साथ वह दिन-रात रहता है, उन्हींके जैसा उसका मन और शरीर होगया है। जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं, कि पचास बरस पहले के ग्रामवासी में जितनी समझ या चतुराई थी, उससे आधी भी तो आज के ग्रामवासी में नहीं रही। कारण यह है, कि आज का ग्रामवासी तो दारिद्र्य, परावलम्बन और आलस्य के गर्त में गिर पड़ा है, जबकि पचास बरस पहले का ग्रामवासी अपनी जरूरत भर की चीजों को अपनी बुद्धि और अपने हाथ से खुद तैयार कर लेता था। गाँव के कारीगर की भी दशा गाँव के दूसरे लोगों से कुछ बेहतर नहीं। उसकी भी बुद्धि उन्हींकी-जैसी जड़ हो गई है। गाँव के बढ़ी के पास आप जायें, चर्खा बना देने के लिए कहे या गाँव के लुहार से तकुआ बना देने को कहें तो आपको निराश होना पड़ेगा। यह बड़े दुःख की अवस्था है। इस रोग का इलाज करने

के लिए ही ग्राम-उद्योग-संघ का यह विचार मेरे मन में उठा है।

पश्चाद्गमन है क्या ?

कुछ आलोचक कहते हैं, कि 'गाँवों की ओर' की इस पुकार से तो हमारी प्रगति का काँटा उलटा पीछे की ओर धूम जायगा। पर क्या यह बात सच है ? इसमें गाँव की ओर हमारे पिछड़ने की बात है, या जिस चीज पर गाँव का अपना अधिकार था, उसे लौटा देने की बात है ? शहर के लोगों से मैं यह तो कहता नहीं कि तुम गाँवों में जाकर वस जाओ। मैं तो उनसे सिर्फ़ इतना ही कहता हूँ, कि तुम्हारे ऊपर गाँवों का जो कर्जा चढ़ा हुआ है, उसे अदा कर दो। गाँववाला न दे तो शहरवाले को कच्चे-माल की एक भी चीज बताओ कहाँ से मिल सकती है ? पहले तो ये गाँवों के लोग अपने निस्तार की चीजें खुद तैयार करते ही थे और आज भी तैयार करते होते, पर शहरवालों की लृट-खसोट के मारे बेचारे कर ही कहाँ सकते हैं ? तो हम क्यों न उन्हें पुनः उनके मृत अथवा मृतप्राय उद्योग-धन्यों की ओर ले जायें ?

भगीरथ कार्य

पर ग्राम-वासी को उसकी उसी प्राकृतिक स्थिति पर पुनः पहुँचा देना कोई आसान काम नहीं है। मैंने यह सोचा था कि श्री कुमारप्या की सहायता से मैं शीघ्र ही इस संघ का विधान बना लूँगा और इसका काम चालू कर दूँगा। मगर मैं इस काम में ज्यों-ज्यों गहरा उत्तरता जाता हूँ, त्यों-त्यों मैं और नीचे धंसता चला जाता हूँ। इस काम की अगम थाह मुझे अवतक मिल नहीं सकती। एक तरह से यह काम खादी से कठिन है। खादी में तो कोई

ऐसा अटपटा सवाल ही नहीं आड़े आता। तमाम विदेशी और मशीन के बने कपड़े का त्यागकर दिया कि खादी मजबूत पाये पर खड़ी होगई। पर यह क्षेत्र तो इतना विशाल है, उद्योगों में इतनी अथार विविधता है, कि हमारे अन्दर जितनी कुछ व्यापारी प्रतिभा होगी, जितना कुछ विशेष कौशल और वैज्ञानिक ज्ञान होगा, उस सबको कसौटी पर कसना है। बिना सख्त मेहनत के, बिना अविराम प्रयत्न के और इस महान् कार्य में अपनी समस्त व्यापारिक तथा वैज्ञानिक प्रतिभा लगाये बिना हमारा मतलब पूरा होने का नहीं। मैंने अपने यहाँ के अनेक डाक्टरों और रसायन-शास्त्रियों के पास एक प्रश्नावली भेजी थी, और उनसे यह प्रार्थना की थी, कि आप लोग पालिश किये हुए और बिना पालिश के चाकल, गुड़ और खाँड़ इत्यादि का रासायनिक विश्लेषण तथा आहार की दृष्टि से इन सब चीजों के मूल्य के विषय में कृपया अपनी सम्मति मेरे पास भेज दें। मैं आभार मानता हूँ, कि मेरे अनेक मित्रों ने तुरन्त ही मेरे प्रश्नों का जवाब लिख भेजा; पर इतना कठूल करने के लिए ही, कि मैंने जिन विषयों के बारे में पूछा था, उनमें कितने ही विषयों का अभी विलक्ष्य ही शोध नहीं हुआ। इससे बड़ी दुःख की बात और क्या हो सकती है, कि गुड़-जैसी सादी चीज का रासायनिक विश्लेषण कोई विज्ञान-शास्त्री न बता सके? इसका कारण यह है कि हमने ग्रामवासियों के सम्बन्ध में कभी विचार किया ही नहीं। शहद को ही ले लीजिए! मैंने सुना है कि विदेशों में शहद का विश्लेषण इतनी बारीकी से किया जाता है, कि जो नमूना अमुक कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे बाजार में विकने के लिए शीशी में भरते ही नहीं। हिन्दुस्तान में हमारे पास सुन्दर-से-सुन्दर शहद पैदा करने के लिए इतनी अधिक

सामग्री पढ़ी हुई है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं। पर बात तो यह बिगड़ी है न, कि इस विषय का हमे कोई विशेष ज्ञान नहीं। मेरे एक डाक्टर मित्र ने लिखा है कि हमारे अस्पताल मे तो पालिश किये हुए चावल का उपयोग हो ही नहीं सकता—चूहों तथा दूसरे प्राणियों पर प्रयोग करके देखा गया तो यह साबित हुआ कि यह पालिश किया हुआ चावल हानिकारक है। किन्तु सभी डाक्टरों ने अपने संशोधन तथा प्रयोगों के परिणाम प्रकाशित क्यों नहीं किये, और एक स्वर से यह स्पष्टतया क्यों नहीं घोषित कर दिया कि यह पालिशदार चावल निश्चय ही हानिकारक है?

आवश्यकता स्वयंसेवकों की है

मैंने तो केवल एक-दो उदाहरण देकर अपनी कठिनाइयों का आशय बतलाया है। हमे किस प्रकार का विधान बनाना चाहिए? हमें प्रयोग-शालाओं मे किस प्रकार का शोधन कराना चाहिए? हमें ऐसे अनेक वैज्ञानिकों और रासायनिकों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें अपने ज्ञान का लाभ देने के लिए तत्पर हों, और इतना ही नहीं बल्कि जिस दिशा का मैंने ऊपर निर्देश किया है, उस दिशा मे प्रयोग करने-कराने के लिए जो अवैतनिक रूप से अपना काफ़ी समय देने को राजी हों। हमें इन प्रयोगों का परिणाम समय-समय पर प्रकाशित करना पड़ेगा और उन्हें प्रमाण-पत्र देने होंगे। इसके अलावा हमे इसका भी पता लगाना होगा कि ग्राम-वासी एकाध अपने उपयोग या आहार की वस्तु बनाते हैं, उसे बे बाहर मेज कर खुद बाहर से आई हुई चीज़ को अपने उपयोग मे तो नहीं लाते। हमे यह भी देखना पड़ेगा कि ग्राम-वासी सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं की

पूर्ति खुद कर लेते हैं, और इसके बाद ही शहरवालों की आवश्यकताओं के लिए माल पैदा करते हैं न।

इस सब काम के लिए हमें जिला-संघ बनाने पड़ेंगे—और जहाँ ज़िला बहुत बड़ा होगा, वहाँ हमें जिले के भी विभाग कर देने होंगे। ऐसे जिले लगभग २५० हैं। ऐसे प्रत्येक जिला-संघ में हमारा एक एजेण्ट होगा। प्रधान कार्यालय से उसके पास जो सूचनायें भेजी जायेंगी, उनके अनुसार वह गाँवों के उद्योग-धन्यों की जाँच-पढ़ताल करेगा और उस विषय की रिपोर्ट तैयार करके भेज देगा। ये एजेण्ट ऐसे होने चाहिए, जो इस काम में अपना सारा समय दे सकें और जो बात दूसरों से कहें उसपर खुद भी पूरी तरह से अमल करें। उनके अन्दर संघ के कार्यक्रम के विषय में जीती-जागती अद्वा होनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में तत्क्षण आवश्यक हेर-फेर करने के लिए सदा उद्धत रहना चाहिए। इस काम में पैसा तो चाहिए ही, पर पैसे की अपेक्षां इसमें ऐसे मनुष्यों की जरूरत पड़ेगी, जो अटूट अद्वावान हों और इस काम में ही अपना जीवन खपावें।

प्रश्नोत्तरी

प्रश्न—खादी-कार्य तो अभी अधूरा ही पटा हुआ है, और आपने यह और एक काम छेड़ दिया है, क्या इससे खादी-कार्य विछिन्न नहीं जायगा? क्या इससे खादी को हानि नहीं पहुँचेगी?

उत्तर—कभी नहीं। खादी तो एक मध्य-विन्दु है, इससे वह अपने स्थान से हट नहीं सकती। समरत उद्योगों के ग्रह-मण्डल में खादी सूर्य के समान होगी। दूसरे सब उद्योगों को हमारे सूर्यस्त्रप खादी-उद्योग से ऊपरा तथा पोपणा प्राप्त हुआ करेगा।

प्रश्न—हमें किन-किन उद्योगों को सजीव करना अथवा बढ़ाना चाहिए ?

उत्तर—मैंने तो केवल दिशा दी है। जो उद्योग पहले जीवित-जागृत थे, और जिनके नष्ट होने से आज लोगों में वेकारी फैल गई है, ऐसे प्रत्येक उद्योग को हमें सहारा देना है।

प्रश्न—क्या हमें चावल और आटे की मिलों का वहिष्कार घोषित कर देना चाहिए ?

उत्तर—वहिष्कार की हमें कोई घोषणा नहीं करनी है। हम तो लोगों से यह कहेंगे, कि तुम चावल को खुद अपने हाथ से घर की ओखली में कूट लो और चक्की में अपना अनाज धीस लो। हम तो हमेशा इस प्रकार का प्रचार करते रहेंगे कि हाथ का कुटा चावल और हथ-चक्की का पिसा आटा ही स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार की बढ़िया चीज़ें हैं।

प्रश्न—इस काम मे क्या हम काँग्रेस-कमेटियों का उपयोग कर सकते हैं ?

उत्तर—अवश्य। हमें तो जहाँ से मदद मिले वहाँ से लेनी है। इस काम मे हमें राजनीति का विचार नहीं करना है, इसमे पक्ष-विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं।

प्रश्न—सघ का सेण्ट्रल बोर्ड बना तो इसका तो यही मतलब हुआ न कि यह कारबार इकहत्या होगया।

उत्तर—नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्य के केन्द्र तो जिले रहेंगे, प्रधान कार्यालय तो बीच मे बैठकर सारे हिन्दुस्तान में सिर्फ सूचनायें भेजा करेगा, सारे देश का कारबार वह नहीं चलायगा। इसके जिस्मे तो केवल पत्र-व्यवहार करने-कराने का काम रहेगा। इसके द्वारा देश-भर के एजेण्ट केवल विचारों तथा अनुभवों का

विनिमय किया करेंगे। हमें तो कारबार की इकहत्था होने से रोकना, है। हमें तो एक ऐसा मध्यवर्ती केन्द्र तै करना है, जहाँ से विचारों कल्पनाओं और वैज्ञानिक ज्ञान की धारा एक स्थान से फूटकर अनेक दिशाओं में प्रवाहित हो।

ह० से० २१-१२-३४

: ६ :

उसका अर्थ

“मेरी मौलिक राय में आप आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध एक अनन्त और अद्भुत लडाई छेड़ने का सूत्रपात कर रहे मालूम होते हैं। बहुत पहले आपने घोषणा की थी कि मैं इसका जागरूक शब्द हूँ और अब आप, आपका बस चला तो, इसे अपने कुछ हजार बरस पहलेवाले मार्ग पर लौटा लायेगे। मैं तो इसकी कल्पना से ही चक्ररा गया हूँ।”

एक स्नेही मित्र ने, जिनसे मैंने इस उद्योग में अपना सहयोग देने की वात पूछी, मेरे पत्र के जवाब में ये शब्द लिखे थे। मैं जानता हूँ कि, इन मित्र ने जैसी यह स्पष्ट राय जाहिर की है, वही बहुत-से मित्रों की भी है, इसलिए मुझे अपनी स्थिति को समझा देना चाहिए। अगर मेरी स्थिति अखिल-भारतीय-ग्रामोद्योग संघ जैसी नहीं होती, तो मेरा ऐसा करना ढिढाई होती।

जब मैं ऐसे ग्रामीण धन्यों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न करता हूँ, जो पुनर्जीवित किये जाने के काविल हैं, तो मैं ऐसा कोई उद्योग नहीं कर रहा हूँ, जैसी मेरे मित्र समझते हैं। मैं तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कोई भी ग्रामीण-जीवन का प्रेमी या गांवों के भिन्न-भिन्न हो जाने का दुखभरा अर्थ समझनेवाला कर रहा है या करने की कोशिश में है। अगर मैं गांववालों से कहता हूँ कि वे अपना आदा खुद ही पीसें और उसमें से पौष्टिक चोकर को बिना निकाले ही खायं या कहता हूँ कि वेचने के लिए नहीं तो अपने व्यव-

हार के लिए ही सही तुम गन्ने का गुड़ बनाओ, तो मैं आधुनिक सभ्यता की धारा को कब लौटा रहा हूँ ? और जब मैं गाँववालों से कहता हूँ कि तुम सिर्फ कच्चा-माल उपजाकर ही न बैठ जाओ बल्कि उससे बाजार में खप जानेवाली चीजें भी बना डालो और अपनी रोजमर्ग की आमदनी में कुछ पैसे और बढ़ा लो, तो मैं क्या आधुनिक सभ्यता को उलटा लेजा रहा हूँ ?

और निश्चय ही आधुनिक सभ्यता तो हजार वर्ष पुरानी नहीं है। हम तो इसके आविर्भाव की सही-सही तिथि बता सकते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं यकीनन या तो उस सबको नष्ट करदूँ या आमूल परिवर्तित कर दूँ जिसे आज आधुनिक सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। लेकिन यह तो जिन्दगी की एक पुरानी कहानी हुई। निस्सन्देह इसका प्रयत्न तो वहाँ है ही। उसकी सफलता परमात्मा पर निर्भर है। लेकिन ऐसे प्रयत्न में आमदनीवाले ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने का प्रयत्न नहीं आता। मेरा हरेक काम—अहिंसा का प्रचार भी—थोड़ा-वहुत ऐसा प्रयत्न समझ लिया जा सकता है। ग्रामोद्योगों का पुनर्जीवन तो खादी-उद्योग का ही एक विस्तार मात्र है। हाथ-कता-बुना कपड़ा, हाथ-बना कागज़, हाथ-कुटा चावल, घर-बनी रोटी और मुरब्बे पश्चिम के लिए नई चीजें नहीं हैं। हाँ, हिन्दुस्तान में इनका जितना महत्व है, उसका सौवाँ हिस्सा भी वहाँ नहीं है। कारण यह है कि हमारे लिए उनके पुनर्जीवन का अर्थ है ग्रामोद्योगों का नवजीवन और उनके विनाश का अर्थ है ग्रामीणों की मृत्यु। यह अन्त्र-युग और चाहे कुछ भी कर सके लेकिन यह उन लाखों करोड़ों को रोजी नहीं दे सकता, जिन्हें इन मशीनों का प्रभाव बेकार किये बिना न रहेगा।

: १० :

आरम्भ कैसे करें ?

१

वहुत-से सज्जन तो पत्र लिख-लिख कर और अनेक मित्र खुद सुझासे मिलकर यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार तो हम ग्राम-उद्योग-कार्य आरम्भ करें और सबसे पहले किस चीज को हाथ में लें।

इसका स्पष्ट उत्तर तो यही है, कि “इस कार्य का श्रीगणेश आप खुद ही करें, और सबसे पहले उसी काम को हाथ में ले, जो आपको आसान-से-आसान जान पड़े।”

पर इस सूत्रात्मक उत्तर से पूछताछ करनेवालों को सन्तोष थोड़े-ही होता है। इसे मैं जरा और स्पष्ट कर दूँ।

हममे से हरेक आदमी खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने और अपने नित्य के उपयोग की चीजों को जाँच-परख सकता है, और विलायती अथवा शहर की बनी चीजों की जगह वह ग्रामवासियों की बनाई हुई उन चीजों को काम में ला सकता है, जिन्हे कि वे अपनी मढ़ौया मेरा खेत-खलिहान मेरा चार-छः पैसे के मामूली औजारों से सहज ही तैयार कर सकते हैं। इन औजारों को वे लोग आसानी से चला सकते हैं, और विगड़ जायें तो उन्हे सुधार भी सकते हैं। बिदेशी या शहर की बनी चीजों की जगह गाँवों की बनी चीजों को आप काम में लाने लों, तो ग्राम-उद्योग-कार्य का यह बड़ा अच्छा आरम्भ होगा और आपके लिए यह खुद ही एक बड़े महत्व की चीज़ होगी।

इसके बाद फिर क्या करना होगा, यह तो आप ही मालूम हो जायगा। मान लीजिए कि आजतक कोई बस्कई के किसी कल-कारखाने के बने दूथ-ब्रश से दाँत साफ़ करता आ रहा है, अब उसकी जगह गाँव का बना दूथ-ब्रश चाहता है, तो आप उसे बबूल या नीम की दतौन से दाँत साफ़ करने की सलाह दें। अगर उसके दाँत कमज़ोर हैं या दाँत हैं ही नहीं, तो वह दतौन का एक सिरा लोटी या हथौड़ी से कुचल ले, और दूसरे सिरे को चीरकर उसकी फाँकों से वह जीभी का काम ले सकता है। दतौन का यह ब्रश उसे सस्ता भी काफ़ी पड़ेगा और कारखानों के बने हुए रोगोत्पादक ब्रशों से वह स्वच्छ भी अधिक होगा। शहरों के बने हुए दन्तमंजनों को तो वह छुएगा भी नहीं। वह तो लकड़ी के कोयले को खूब महीन पीसकर और उसमें थोड़ा-सा साफ़ नमक मिलाकर अपने घर में ही बढ़ा बढ़िया मंजन तैयार कर लेगा। मिल के बने कपड़े के बजाय वह गाँव की बुनी खादी पहनेगा, मिल के दले चावल की जगह हाथ के दले, बिना पालिश किये चावल का और सफेद शक्कर के स्थान पर गाँव के बने गुड़ का वह उपयोग करेगा। इन चीजों को मैंने यहाँ बताए नमूने के ही लिया है और इनकी चर्चा यद्यपि मैं ‘हरिजन सेवक’ में पहले कर चुका हूँ, तो भी इस विषय पर मेरे साथ जिन लोगों की लिखा-पढ़ी, या बात-चीत चल रही है, उनकी बताई हुई कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर मैंने पुनः खादी, चावल और गुड़ का यहाँ उल्लेख किया है। जैसे, कुछ-लोग चावल के विषय में कहते हैं, कि ‘हाथ का दला चावल, मिल के चावल से बहुत महँगा पड़ता है।’ फिर दूसरे लोगों का यह कहना है, कि ‘हाथ की दलाई का हुनर लोग भूल-भाल गये हैं, न कहीं आज चकिकर्या ही मिलती हैं, न दलनेवाले।’

एक तरफ तो यह शिकायत है, और दूसरी तरफ लोग यहाँतक कहते हैं, कि 'हमारे उपर तो मिल का ढांचा चावल कभी दिखता भी नहीं। हाथ का ढांचा चावल हम रुपये का १६ सेर तक दे सकते हैं।' ये सब कथन सही भी है और गलत भी। सही तो उस हद तक है, जहाँतक कि उनका अपने जिले के अनुभव से सम्बन्ध है। और इस हाउडि से सारे कथन गलत है, कि वाम्तविक सत्य का उन्हें पता नहीं। मुझे इस सिलसिले में नियंत्रण ही आश्वर्यजनक अनुभव हासिल हो रहे हैं। ये सब अनुभव तभी प्राप्त होते हैं, जब मनुष्य किसी चीज़ का आरम्भ खुद ही कर देता है। अदत्तक चावल के सम्बन्ध में मैंने जो विचार या निरीक्षण किया है, उसका यह परिणाम आया है।

बाजार में ऐसा चावल हुल्म है, जिसपर जरा भी पाँलिश या छिलक न हो। पाँलिश का जिस चावल पर नाम-निशान भी नहीं होता वह देखने में भी सुन्दर होता है, और पौष्टिक तथा स्वादिष्ट भी होता है। इस चावल की बराबरी मिले कभी नहीं कर सकतीं। चावल ढुलने का बड़ा सीधा-सादा तरीका है। ज्यादातर धाने तो विना किसी कठिनाई के हल्की-सी चक्कियों में ढुली जा सकती हैं। हाँ, कुछ ऐसी धाने हैं जिनकी भूसी ढुलने से अलग नहीं होती। ऐसी धान की भूसी निकालने का सब से अच्छा तरीका तो यह है, कि पहले उसे हम थोड़ा उताल लें, और फिर उसकी भूसी को अलग कर दें। कहने हैं, कि यह चावल अत्यधिक पौष्टिक होता है, और वह सस्ता तो होगा ही। गाँवदाले अपनी धान अगर खुद ही ढल ले, तो मिल के ढले चावल से तो—फिर वह पाँलिशदार हो या विना पालिश का—उनका चावल हर हालत में सस्ता पड़ेगा। बाजार में जो चावल विक्री है, वह ज्यादातर न्यूनाधिक रूप में पालिशदार ही होता है—

फिर चाहे वह हाथचक्रकी का दला हुआ हो या मिठ का। जिसवर जरा भी पालिश या चिलक न हो ऐसा चावल हाथ का ही दला हुआ होता है, और वह उसी जाति के मिल के दले चावल से काफ़ी सस्ता पड़ता है।

अभी पूरा-पूरा शोध तो हुआ नहीं, पर जहाँतक और जितना शोध अभी हुआ है, उससे तो यही प्रकट होता है कि हमारी अपराध-पूर्ण लापरवाही के ही कारण चावल खानेवाले हमारे लाखों-करोड़ों भाई नित्य निःसत्त्व चावल खाते हैं और पैसे के साथ-साथ अपने रबारथ्य को भी ख़राब करते हैं। ग्राम-सेवक ख़ुद इसकी जाँच करके देखें कि यह शोध, यह निरोक्षण कहाँ तक सत्य है। ग्रामोद्योग-कार्य का यह आरम्भ, मेरी राय में बुरा नहीं है।

ह० से० २५-१-२५

२

उस हफ्ते में मैंने चावल के सम्बन्ध में लिखा था। अब गेहूँ लेता हूँ। गेहूँ आहार में सबसे महत्व की नहीं तो हूँसरे नम्बर की वस्तु तो ज़रूर है। घोषण की दृष्टि से देखें तो गेहूँ अन्नों का राजा है। विशुद्ध गेहूँ और विशुद्ध चावल की तुलना की जाय तो चावल से गेहूँ ऊँचा ही उतरेगा। यह तो सभी डाक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पालिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है, उसके मुश्किले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूँ का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है। पिर घर के बिंस हुए आटे का

बजन कम नहीं होता। महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूँ का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूँ की भूसी चालकर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्राम-वासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाने हैं, वे पैसे के साथ-साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें, जो लाखों रुपये कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गाँवों में हाथ की चक्कियाँ किर से चलने लगने से गाँव में ही रहेगा और वह सत्पात्र गरीबों के बीच बटता रहेगा।

पर इसके विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जाती है कि घर की चक्की में पीसना एक भांझट है, कभी तो आटा उसमें मोटा पिसता है कभी महीन, और गाँव के लोग खुद अपने हाथ से आटा पीसे यह बात उन्हें आर्थिक-दृष्टि से पुसाती नहीं। अगर पहले गाँववालों को अपने हाथ से पीसना पुसाता था, तो आटे की मिले खुल जाने से इसमें कोई फ़र्क तो पड़ना ही नहीं चाहिए। यह बात तो वे लोग कहीं नहीं सकते कि हमें इस काम के लिए समय नहीं। और जब परिश्रम के साथ बुद्धि का संयोग होगा, तब यह पूरी आशा है कि हाथ की चक्कियों में अवश्य ही सुधार होगा। भला, यह भी कोई दलील है कि हथ-चक्की में कभी तो आटा मोटा पिसता है और कभी वारीक? अगर चक्की में अच्छा बढ़िया आटा न पिसता होता तो अनादि काल से वह अपनी हस्ती कैसे क्लायम रख सकती? पर जब यह वहम हो कि हाथ की चक्की में मोटा-महीन आटा पिसा है, तब मैं यह राय दूँगा कि उस आटे को चलनी से चाल लो और चालने से जो मोटा रखा निकले उसका दृलिया बनालो और उसे रोटी के साथ अथवा पीछे

खालो। अगर ऐसा किया गया तो धीसने की किया अत्यन्त सरल और मुगम हो जायगी, और बहुत सारा समय और श्रम दब जायगा।

यह तमाम परिवर्तन करनाने के लिए ग्राम-सेवकों को स्वयं सीख-कर तथा ग्रामवासियों को सिखाकर पहले से कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। यह आशा नहीं करनी चाहिए कि इस काम में हमें शावासी मिलेगी, पर अगर हमारी यह इच्छा हो कि हमारे ग्राम-वासी स्वस्थ और कुछ मुखी रहें तो यह काम हमें अवश्य करना चाहिए।

इसके बाद मैं गुड पर आपका ध्यान आकर्पित करूँगा। 'हरिजन-सेवक' में मैंने डाकटरों के जो प्रमाण दिये हैं, उनसे यह प्रकट होता है, कि सफेद चीजों की अपेक्षा गुड अधिक घोषिक है; और अगर गाँववालों ने गुड बनाना विलक्षण ही छोड़ दिया, तो उनके बाल-बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जायगी। वे खुद शायद बिना गुड के अपना काम चला लेंगे, पर उनके बच्चों के शरीर को बिना गुड के ज़रूर ही हानि पहुँचेगी। बाजाल मिठाई और शकर की अपेक्षा गुड अधिक बढ़िया चीज है। अगर गुड बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्राम-वासियों का करोड़ों लप्ता उनकी गिरह में ही रहेगा।

यद्यपि कुछ ग्राम-सेवक यह कहते हैं, कि गुड की कीमत से तो उसकी पदावार का खंच भी नहीं निकलता। किसान को तो साहूकार का देना चुकाना है, इसलिए उस की खड़ी फसल बेचकर ही उसे पैसा मिल सकता है। ऊब का गुड बनावे और बेचें, तब कहीं पैसा हाथ में आयेगा; तबतक सिर पर चढ़ा हुआ साहूकार थोड़े ही धीरज रक्खेंगा। इससे उल्टा प्रमाण भी मेरे पास है। फिर भी यह दलील

उपेक्षणीय नहीं है। इसके लिए मेरे खास कोई तात्कालिक जवाब नहीं है। जिस जगह पर अमुक कच्चा-माल घैंदा होता हो उसी जगह पर उस जगह का तैयार माल बेचने पर अगर मजूरी का भी पैसा न निकले तो वहाँ उस आर्थिक व्यवस्था में शुरू से ही कोई त्रुटि होगी। इस विषय की हर स्थान पर स्थानीय जांच-पड़ताल होनी चाहिए। गाँवों के लोग जो जवाब दें उसे मानकर ग्राम-सेवकों को उपाय के सम्बन्ध में हताश नहीं होना चाहिए। गुड़ के विषय में जो अट-पटे प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं उन्हें हल कर सकने से ही राष्ट्र का उन्नति-साधन हो सकता है, और शहरों का गाँवों के साथ ऐस्य भी सिद्ध हो सकता है। हमें अपने मन में इतना निश्चय कर लेना चाहिए कि कि शहर के लोगों को पैसा अधिक भी देना पढ़े तो भी गाँवों से गुड़ के उद्योग को नष्ट नहीं हो जाने देना चाहिए।

ह० से० ८-२-३५

३

आहार की कुछ खास-खास चीजों का जिक्र मैं कर चुका हूँ और यह बतला चुका हूँ कि गाँववालों के स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति में वे कितना महत्व रखती हैं। लेकिन, इसके साथ ही, सफाई और स्वास्थ्य-रक्षा के प्रश्न भी उतना ही महत्व रखते हैं। अगर इनपर समुचित ध्यान दिया जाय, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य, शक्ति और सम्पत्ति की झट्टि होती है।

कुछ विदेशी लेखकों ने जांच-पड़ताल करके बतलाया है, कि व्यक्तिगत सफाई के पालन में भूमण्डल के सब देशों में हिन्दुस्तान का नम्बर शायद सबसे पहला है। लेकिन मुझे यह है कि यही बात

हमारी सामूहिक—या दूसरे शब्दों में गाँवों की—स्वच्छता के बारे में नहीं कही जा सकती। अगर और दूसरे शब्दों में कहा जाय, तो मैं कहूँगा कि इस दिशा में हम पारिवारिक हित से ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। परिवार के लिए तो हम बड़ी-से-बड़ी चीज का भी बलिदान कर देंगे, लेकिन गाँव के, यानी एक अर्थ से राष्ट्र के लिए वैसा ही करने की तत्परता नहीं रखेंगे।

किसी कुटुंब के लोग अपने खुद के घर को तो साफ-सुथरा रखेंगे, लेकिन पड़ौसी के घर की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। वे अपने घर के आँगन को तो कूड़ा-कर्कट, कीड़े-मकड़े और जीव-जन्तुओं से बचावेंगे, लेकिन इन सबको पड़ौसी के आँगन में फेक देने में संकोच नहीं करेंगे। सामूहिक जिम्मेदारी के इस अभाव का नतीजा यह हुआ कि हमारे गाँव कूड़े के ढेर बने हुए हैं। हालांकि हमारे देश में मुख्यतः नंगे पाँव चलने का रिवाज प्रचलित है, फिर भी हम लोग अपने बाजारों और सड़कों को इतना गन्दा रखते हैं, कि कोई भी समझदार व्यक्ति उनपर नंगे पाँव चलने में दुःख अनुभव किये विना नहीं रहेगा। गाँव के कुओं, तालाबों और नदियों से साफ और पीने लायक पानी प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। किसी साधारण गाँव में प्रवेश करने के मार्ग क्वचरे तथा गोबर से भरे पाये जाते हैं।

गाँवों की सफाई का कार्य ही शायद अ० भा० ग्राम-उद्योग संघ के सामने सबसे कठिन कार्य है। बिना सर्वसाधारण जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त किये कोई भी सरकार जनता की आदतों को नहीं सुधार सकती। लेकिन अगर जनता का सहयोग प्राप्त होजाता है, तो फिर सरकार के करने के लिए बहुत थोड़ा कार्य बच रहता है।

अगर पढ़े-लिखे लोग, वैद्य, डाक्टर और विद्यार्थी लगान के साथ, बुद्धि तथा उत्साहपूर्वक और नियमित रूप से गाँवों में कार्य करने ला जायें तो वे इस समस्या को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं। सम्पूर्ण शिक्षा की शुरुआत व्यक्तिगत ओर सामूहिक स्वास्थ्य-रक्षा का खयाल रखने में है।

गाँवों में करने के कार्य यह है कि उनमें जहाँ-जहाँ कूड़े-कर्कट तथा गोबर के ढेर हों, वहाँ-वहाँ से उनको हटाया जाय और कुओं और तालाबों की सफाई की जाय। अगर कार्यकर्ता लोग नौकर रखें हुए भड़ियों की भाति खुद रोजमर्रा सफाई का कार्य करना शुरू कर दे और साथ ही गाँवबालों को यह भी बतलाते रहे कि उन से सफाई के कार्य में शरीक होने की आशा रखती जाती है, ताकि आगे चलकर अन्त में सारा काम गाँवबाले स्वयं करने ला जायें, तो यह निश्चय है, कि आगे या पीछे गाँवबाले कार्य में सहयोग अवश्य देंगे लोगों। दृष्टिंग अफ़रीका, चम्पारन और यहाँतक कि उड़ीसा के पिछले वर्ष के जल्दी में किये हुए पैदल ऋमण में मुभको तो कम-से-कम ऐसा ही अनुभव हुआ है।

वहाँ के बाजार तथा गलियों को, सब प्रकार का कूड़ा-कर्कट हटाकर, स्वच्छ बना लेना चाहिए। उस कूड़े का फिर वर्गीकरण कर देना चाहिए। उसमें से कुछ का तो खाद् बनाया जा सकता है, कुछ को सिर्फ़ जमीन में गाढ़ देना भर वस होगा, और कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि जो सीधा सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जा सकेगा। वहाँ मिली हुई प्रत्येक हड्डी एक बहुमूल्य कच्चा माल होगी, जिस से बहुत-सी उपयोगी चीजें बनाई जा सकेंगी या जिसे पीसकर कीमती खाद् बनाया जा सकेगा। कपड़े के फटे-पुराने चिठ्ठियों तथा

उदार रसायन-शास्त्री हमको यह बतलावें कि गाँव के लिए वह सबसे सस्ती और कीटाणु-नाशक चीज़ कौन-सी है, जिसे गाँववाले स्वयं अपने गाँवों में बना सकते हैं।

ह० से० १५-२-३५

११ :

चमड़े का धन्धा

हमारे गाँव का चमड़े का धन्धा उत्तना ही प्राचीन है, जितना कि स्वयं भारतवर्ष। यह कोई नहीं बतला सकता कि चमड़ा कमाने का यह धन्धा कब अनावृत हुआ। प्राचीनकाल में तो यह बात हुई नहीं होगी। लेकिन हम जानते हैं, कि आज हमारे यहाँ के इस एक अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक उद्योग ने सम्भवतः दस लाख आदमियों को पुश्टैनी अद्वृत बना दिया है। वह कुदिन ही होगा, जिस दिन से इस अभागे देश में परिश्रम को लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे होंगे और इस प्रकार उसकी उपेक्षा कर दी होगी। लाखों-करोड़ों मनुष्य, जो दुनिया के हीरे थे और जिनके उद्योग पर यह देश जी रहा था, वे तो नीच समझे जाने लगे, और ऊपर से ढड़े दीखनेवाले थोड़े-से अहंकारी आदमियों का वर्ग समझा जाने लगा प्रतिष्ठित। इसका दुःखद परिणाम यह हुआ, कि भारत को नैतिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार की भारी क्षति पहुँची। यह हिसाब लगाना असम्भव नहीं, तो कठिन जल्द है, कि इन दो में से कौन बड़ी हानि हुई। किन्तु किसानों और कारीगरों के प्रति की गई इस अपराध-पूर्ण लापरवाही ने हमें दरिद्र, मूढ़ और काहिल बनाकर ही छोड़ा। भारत के पास क्या साधन नहीं है? उसका सुन्दर जलवायु, उसके गगनचुम्बी पर्वत, उसकी विशाल नदियाँ और उसका विस्तृत समुद्र, ये सब ऐसे असीम साधन हैं, कि अगर इन सबका पूरा-पूरा उपयोग किया जाय, तो

इस स्वर्ण देश में दारिद्र्य और रोग आवं ही क्यों ? पर जब से हमने शारीरिक अम से बुद्धि का सम्बन्ध छुड़ाया, तब से हमारी कौम का, सब तरह से पतन होगया, दुनिया में आज हम सबसे अल्पजीवी, निपट साधन-हीन और अत्यन्त पराजित माने जाते हैं। चमड़े के देशी धन्धे की आज जो हालत है, शायद वह मेरे इस कथन का सबसे अच्छा सुवूत है। यह तो स्वर्गीय मधुसूदनदास ने मेरी आँखे खोलीं, नहीं तो मैं क्या जानता था, कि देश के लाखों मनुष्यों के साथ कितना बड़ा जुर्म किया गया है। मधुसूदनदासजी ने राष्ट्र के इस महान् पाप का प्रायश्चित्त एक ऐसा चर्मालय खोलकर किया, जिसमें चमड़ा कमाने का हुनर सिखाया जाता है। उनकी सब आशाये तो पूरी नहीं हुईं, पर कटक में सकड़ों जूने बनानेवालों को वे जीविका तो दे ही गये।

हिसाब लगाकर देखा गया है, कि नौ करोड़ रुपये का कच्चा चमड़ा हर साल हिन्दुस्तान से बाहर जाता है और वह सब-का-सब बनी-बनाई चीजों के रूप में फिर यहाँ वापस आ जाता है। यह देश का सिर्फ आर्थिक ही नहीं बैद्धिक शोषण भी है। चमड़ा कमाने और अपने नित्य के उपयोग में आनेवाली उसकी अनगिनती चीजों के बनाने की शिक्षा हमे आज कहाँ मिल रही है ? इस हुनर में काफ़ी वैज्ञानिक दिमाग चाहिए। हजारों रसायन-विशारद चाहे तो इस महान् उद्योग में अपनी आविष्कारिणी शक्ति का काफ़ी उपयोग कर सकते हैं। उसके विकसित करने के दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि जो हरिजन गांवों में रहते हैं, और गांव की जास बस्ती से दूर, समाज के संसर्ग से अलग, दूटे-फूटे गन्दे भोजड़ों में ऐसे सह रहे हैं, और वड़ी मुश्किल से बेचारे किसी तरह पेट पाल रहे हैं, उनकी

मदद करके उन्हें ऊँचा उठाया जाय। इसका यह भी अर्थ है, कि गांवों के पुनर्संगठन में अर्थात् कला, शिक्षा, स्वच्छता, सन्दृष्टि और प्रतिष्ठा की वहाँ पुनर्स्थापना करने में हमारे रसायन-विशारदों की बुद्धि का उपयोग हो। रसायन-शास्त्रियों को चाहिए कि वे चमड़ा कमाने की अच्छी-से-अच्छी वैज्ञानिक क्रियायें ढूँढ़ निकालें। गांव के रसायन-शास्त्री को नम्रतापूर्वक इस कला पर अधिकार करना है। चमड़ा कमाने की अनघड़ कला गांवों में अभी जीवित है, पर वह उत्तेजन न मिलने से ही नहीं, बल्कि दुर्लभत्य के कारण भी वहाँ तेजी से लुप्त होती जा रही है। उस कला को इन रसायन-शास्त्रियों को सीखना और समझना चाहिए। उस अनघड़ तरीके को यकायक नहीं छोड़ देना चाहिए, पहले कम-से-कम इसकी अच्छी तरह परीक्षा तो होनी ही चाहिए। इस पद्धति से सदियों तक वहाँ अच्छी तरह काम चला है। अगर उसमें कोई गुण न होता, तो उससे यह काम न चलता। जदांतक मैं जानता हूँ, हमारे देश में एक शान्ति-निकेतन में ही इस विषय की कुछ खोज-बीन हो रही है। उसके बाद सावरमती-आश्रम में इस काम का आरम्भ किया गया। शान्ति-निकेतन का प्रयोग कितनी उन्नति कर गया है, इसका पता मैं नहीं लगा सका। सावरमती-आश्रम के स्थान पर अब जो हरिजन-आश्रम है, उसमें इस काम के फिर से आरम्भ करने की पूरी सम्भावना है। यह शोध-कार्य तो समुद्र के समान है, उसमें हमारे इन प्रयोगों को तो आप चिन्हु-मात्र ही समझें।

गोरक्षा हिन्दू-धर्म का एक अविभाज्य अंग है। कोई भी असल हरिजन खाने के लिए गाय-भेंस को नहीं मारेगा। किन्तु अस्पृश्य बनकर उसने मुर्दार मांस खाने की बुरी आदत सीख ली है। वह

गाय की हत्या तो नहीं करेगा, पर मरी हुई गाय का मांस बढ़े ही स्वाद से खायगा। शारीरिक दृष्टि से यह मांस शायद हानिकार न हो, पर मानसिक दृष्टि से तो मुर्दार मास खाने के जैसी सूर पैदा करने-बाली दूसरी चीज़ है ही नहीं। तो भी चमार के घर में जब मरी हुई गाय आती है, तब उसका सारा कुटुम्ब आनन्दोत्सव में फूला नहीं समाता। बालक तो लाश के चारों ओर नाचने लगते हैं। और जब उसकी खाल उथेड़ी जाती है, तब हड्डियों और मास के लोथड़ों को एक-दूसरे पर फेकते हैं। अपना घरबार त्यागकर हरिजन-आश्रम में जो एक चमार रहता है, उसने खुद अपने घर का खाका खीचते हुए मुझसे कहा, कि मुर्दार जानवर को देखते ही चमार का सारा कुटुम्ब आनन्द-विहळ होजाता है। मैं ही जानता हूँ, कि हरिजनों के बीच काम करते हुए उनसे मुर्दार मांस खाने की यह आत्मघातिनी कुट्टेव छुड़ाने में मुझे कितनी कठिनाई पड़ी है। पर चमड़ा कमाने की रीति मे सुधार होजाय, तो मुर्दार मांस का यह रिवाज तो आप ही नष्ट हो जायगा।

इसमे भारी बुद्धि और चीर-फाड़ की कला की जरूरत है। गो-रक्षा की दिशा मे भी इस काम के सहारे हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने गाय की दूध देने की शक्ति बढ़ाने की कला को न सीखा, उसकी सन्तति मे हमने सुधार न किया और उसके बछड़े को खेती और गाड़ी खीचने के काम के लिए अधिक उपयोगी न बनाया, गाय के गोवर व मूत का स्वाद मे उपयोग न किया, और गाय और उसके बछड़ों के मरने पर उनकी खाल, हड्डियों, मांस, अन्तडियों आदि का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करने को अगर हम तैयार न हुए, तो गाय को कसाई के हाथों तो मरना ही है।

अभी तो मैं सिर्फ मुर्दार लाशों की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ हमें इतना भलीभांति स्मरण रखना-चाहिए, कि ईश्वर की कृपा से गाँवों में चमार को क़त्ल किये हुए ढोरों की नहीं, किन्तु केवल मैत से भरे हुए ढोरों की ही खाल उधेड़नी पड़ती है। उसके पास भरे हुए ढोर को अच्छी तरह उठा ले जाने का कोई साधन नहीं है। वह उसे उठाता है, घसीटता है, और इससे खाल खराब हो जाती है। कटे-फटे उतरे हुए चमड़े के दाम भी कम मिलते हैं। चमार जो अनमोल और सुन्दर समाज-सेवा करता है उसका अगर गांववालों और जनता को भान हो, तो वे लाश उठा ले जाने का कोई ऐसा आसान और सादा तरीका ढूँढ़ निकालेंगे, जिससे चमड़े को ज़रा भी नुकसान न पहुँचने पाय।

इसके बाद की क्रिया है ढोर की खाल उतारने की। इसमें भारी सुघड़ता की जहरत है। मैंने सुना है, कि गाँव का चमार अपनी गाँव की बनी हुरी से इस चीर-फाड़ को जिस कुशलता से और जितनी जलदी करता है, उस सुघड़ा है से और उतनी जलदी कोई भी, विक डाक्टर भी, नहीं कर सकता। इस विपय का जिन्हे ज्ञान होना चाहिए, उनसे मैंने इस सम्बन्ध में जब पूछ-ताछ की तो गाँव के चमार के चीर-फाड़ के ढैंग से बेहतर तरीका वे सुझे नहीं बता सके। पर इसका यह अर्थ नहीं कि इससे बढ़कर तरीका कोई दूसरा है ही नहीं। मैं तो पाठकों को अपने अत्यन्त सीमित अनुभव का लाभ बता रहा हूँ। गाँव का चमार हड्डियों का कुछ भी उदयोग नहीं कर सकता। हड्डियों को तो वह फेक देता है। खाल उधेड़ने वक्त लाश के इर्द-गिर्द जो कुत्ते घूमते रहते हैं, वे सब नहीं, तो कुछ हड्डियों को तो उठा ही ले जाते हैं। कुत्तों की छोना-भपटी से बाकी जो बच रहती है,

विदेश को भेज दी जाती है, और वहाँ से मूठ, बटन वगैरा के रूप में वे यहीं फिर वापस आजाती हैं। इन हड्डियों का अगर अच्छा चूरा बना लिया जाय तो उसका बहुत बढ़िया खाद हो सकता है।

दूसरा रास्ता इस महान् उद्योग को शहर में ले आने का है। हिन्दुस्तान में चमड़े के कई कारखाने आज यह काम कर रहे हैं। उन सबकी परीक्षा करना इस लेख का उद्देश्य नहीं है। शहरों में इस उद्योग के ले आने से हरिजनों को शायद ही कोई फ़ायदा हो सके, गाँवों को तो कुछ भी लाभ पहुँचने का नहीं। इससे तो गाँव की दूनी बर्बादी ही होगी। भारत में उद्योग-धन्धों को शहर में ले आने और बड़े-बड़े कारखानों के द्वारा उन्हे चलाने का अर्थ है गाँवों और गाँवों की जनता को धीरे-धीरे पर अचूक रीति से मौत के मुँह में डाल देना। शहर के उद्योग भारत के सात लाख गाँवों में बसनेवाली उसकी ६० फ़ी सदी जन-संख्या को कभी सहारा नहीं दे सकते। गाँवों से चमड़े के धन्धे को तथा ऐसे ही दूसरे उद्योगों को हटा देने का तो यही अर्थ होगा, कि वहाँ हाथ और बुद्धि के कौशल को काम में लाने का जो थोड़ा-सा अवसर अभी किसी तरह रहा है, वह भी उनसे छीन लिया जाय। और जब गाँव के उद्योग-धन्धे नष्ट हो जायेंगे, तब दोरों को लेकर खेत में मजूरी करना और बरसात के छः या चार महीने आलस में बैठे-बैठे बिताना, बस इतना ही ग्रामवासियों के नसीब में रह जायगा। ऐसा हुआ, तब तो स्व० मधुसूदनदास के शब्दों से यही कहना चाहिए, कि गाँव के मनुष्य जानवरों जैसे ही हो जायेंगे। न तो उन्हे मानसिक पोषण कहीं से मिलेगा, न शारीरिक। और इससे उनकी आशा और आनन्द भी नष्ट ही समझिए।

यहाँ सौ फ़ी सदी स्वदेशी-प्रेमी के लिए काम पड़ा हुआ है।

साथ ही एक बहुत दड़े सवाल के हल करने में जिस वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता है उसे काम में लाने का क्षेत्र भी मौजूद है। इस एक काम से तीन अर्थ सधते हैं। एक तो इससे हरिजनों की सेवा होती है, दूसरे ग्रामवासियों की सेवा होती है, और तीसरे मध्यमवर्ग के जो बुद्धिशाली लोग रोजगार-धन्धे की खोज में वेकार फिरते हैं, उन्हे जीविका का एक प्रतिष्ठित साधन मिल जाता है। और यह लाभ तो जुदा ही है, कि गाव की जनता के सीधे संसर्ग में आने का भी उन्हे सुन्दर अवसर मिलता है।

१२ :

यंत्र क्यों नहीं ?

एक बहिन, जो अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ स्थापित होने की बात सुनकर उत्साह में आगई थी, मेरा प्रारम्भिक कार्य-क्रम विषयक लेख पढ़कर लिखती है:—

“ओखली-मूसल से चावल कूटने और हाथ की चक्की से अनाज पीसने के काम को पुनर्जीवित करने अथवा उसे उत्तेजन देने के विचार से ही मैं बिचक गई हूँ, और मेरे ग्राम-सेवा-सम्बन्धी सारे उत्साह पर पानी फिर गया है। ग्रामोन्नति की योजना में श्रम बचाने वाले यंत्रों से लाभ न उठाना तो मुझे समय और शक्ति का भयंकर अपव्यय ही मालूम देता है। गाँव के लोगों को और उनके साथ ग्राम-सेवकों को अगर ओखली और चक्की लेकर बैठना पड़ा तो उन्हें ग्राम-सुधार के काम के लिए शायद ही कुछ फुर्सत मिलेगी। यही फिर वही ओखली-चक्की का पुराना रोना आरम्भ किया गया, तो शुरू में तो जोश में आकर कुछ पुरुष इस काम को करेंगे, पर अन्त में इस सब कुटाई-पिसाई के काम का भार हम स्थियों पर ही आकर पड़ेगा, और हमने अबतक जो थोड़ी-बहुत अपनी प्रगति की है, उसे इस काम से धक्का पहुँचेगा।”

इस दलील के मूल में एक प्रकार का मिथ्या-हेतु अर्थात् भ्रम में ढालनेवाला विचार है। यह तो यहाँ प्रश्न ही नहीं, कि मेहनत बचाने वाले यंत्रों से लाभ न उठाया जाय। गाँव के लोगों को अगर पेट-भर

अन्न और तन ढकने के लिए वस्त्र मिलते होते तो हाथ से कूटने-पीसने का कोई कारण ही न रहता—इस दलील में यह मान लिया है, कि स्वास्थ्य का प्रश्न कोई ऐसे महस्त्र का नहीं, अथवा हाथ के और मशीन के पिसे हुए आटे में और हाथ के और मशीन के कुटे हुए चावल में कुछ भी भेद नहीं है। असल में है इससे उलटा। मगर सबाल तो यह है कि गाँव के लोगों ने जब अपनी उचापत खर्च तक का भी कुटाई-पिसाई का काम छोड़ दिया तब वे निरुद्धमी बन गये। और उस बेकारी के समय का, अपनी उन्नति अथवा दूसरे किसी काम के लिए, उन्होंने कुछ भी सदुपयोग नहीं किया ! भूखों मरने-बाला पुरुष या खीं कुसर्त के समय ईमानदारी से चार पैसे पैदा कर, सके तो उसे पैदा करने में ज़रूर खुशी होगी। जब वे अपना खाली पेट भरने के लिए दो-चार पैसे कमाने में अपना समय लगा रहे हों, उस समय उन्हे यह ‘अम बचाने’ की सलाह दी जाय, तो वह उन्हे जहर-सी लोगी। इस बहिन का यह बिचार गलत है, कि ग्राम-सेवक को गाँवों में कूटने-पीसने का काम करना पड़ेगा। हाँ, यह कला तो उसे ज़रूर सीख लेनी चाहिए, और ओखली, मूसल, चक्की या दूसरे औजारों की जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए, ताकि वह उन्हे सुधारने की सलाह लोगों को दे सके, और उनकी मर्यादा भी अच्छी तरह समझ सके। इस बहिन का यह खयाल भी गलत है कि उत्साह की पहली बाढ़ में तो पुरुष कुटाई-पिसाई का यह काम अपनी राजी से करेगे या उनसे करने को कहा जायगा, पर अन्त में तो यह भार हम अवलोओं के ही सिर पर आ पड़ेगा। सच बात यह है, कि कूटना-पीसना खियों का खास अधिकार था, और लाखों खियों इस प्रतिष्ठित तथा बल-वर्धक उद्योग के द्वारा स्वयं अपनी जीविका चलाती

थीं। आज उन्हें मन्त्रवूरुन् निरुद्यमी होकर रहना पड़ता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश का उद्यम जो हमने छीन लिया है, उसके बढ़ले में उन्हें फिर कोई दूसरा उद्यम नहीं मिला।

यह वहिन खियों की हुई 'थोड़ी-बहुत प्रगति' के सम्बन्ध में जब लिखती है, तब उसके ध्यान में सिर्फ़ शहरों की ही खियां आती हैं, क्योंकि ग्राम-जीवन को तो हमारे कार्यकर्त्ताओं ने अबतक कुआ भी नहीं। अधिकांश कार्यकर्त्ताओं को तो इतना भी ज्ञान नहीं कि इस विशाल देश के सात लाख गाँवों में लोग किस तरह रहते हैं। यह शायद ही हम जानते हैं कि पौष्टिक आहार और आवश्यक वस्त्र न मिलने के कारण उन वेचारों का शरीर कैसा सत्त्वहीन होगया है। और हमें तो इसकी भी खबर नहीं, कि जो निःसत्त्व चावल और आटा आज उनका मुख्य आधार है, उन्हें खाकर वे और उनके बाल-बच्चे अपने बल और बच्ची-खुची चैतन्यता को भी दिन-पर-दिन खोते चले जा रहे हैं।

कूटने-पीसने की खातिर ही कूटने-पीसने की प्राचीन पद्धति को फिर से चलाने में मुझे कोई पश्चात नहीं है। इस उद्योग को फिर से चलाने की मैं जो सलाह देता हूँ उसका कारण यह है कि जो लाखों-करोड़ों ग्राम-वासी निरुद्यमी होगये हैं, उन्हें काम-धन्धे में लाने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। मैं यह मानता हूँ, कि अगर हम आर्थिक संकट के इस दिन-दिन बढ़ते हुए भारी बोझ को दूर न कर सके तो गाँवों का उद्धार होना ससम्भव है। इसलिए ग्राम-वासियों को उनके अकारथ में जाते हुए समय के सदुपयोग को सलाह देना ही ठोस ग्राम-सेवा है। इस पत्र लिखने वाली वहिन के और उसीके जैसे विचार की दूसरी वहिनों से मेरा यह निवेदन है, कि

वे कुछेक गाँवों मे जायें और वहाँ श्राम-व्रासियों के साथ कुछ दिन रहें, व उन्हींकी तरह रहने का प्रयत्न करें। उन्होंने अगर ऐसा किया तो यह बात तुरन्त उनकी नजर मे आ जायगी कि मेरी दलील की तीव्र कितनी मजबूत है।

ह० से० ७-१२-३४

१३ :

आखिल भारत ग्रामोद्योग-संघ क्या है ?

[यू० पी० से आये हुए एक मुलाकात करनेवाले सज्जन ने २८ जनवरी १९३५ ई० को गांधीजी से जो बातचीन की, वह दैनिक पत्रों से यहाँ उद्धृत की गई है। प्रकाशित होने से पहले गांधीजी ने उसे देख लिया है। म० द०]

प्रश्न—आपके ख्याल से, ग्रामोद्योग सभ के काम की शुरुआत आप कबतक कर सकेंगे।

गांधीजी—काम की 'शुरुआत' से बचा मक्कसद है। यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इसके मानी यह हों कि ग्रामों में भिन्न-भिन्न कार्यकर्ताओं के जरिये अभीष्ट कार्य होने लग जाय, तो मैं उसकी ठीक-ठीक तारीख तय नहीं कर सकता, व्योंकि हम बहुत फूँक-फूँक कर पग धरते चल रहे हैं। 'फूँक-फूँक कर पग धरते चलने' का मतलब यह है कि हमारे लक्ष्य में जो कार्य है, उसके विविध स्वरूप होने के कारण, जहाँतक हम गलतियों से बच सकें, वहाँतक हम कोई गलती नहीं करना चाहते। यह काम तो अझात महासागर में नाव खेने के समान है। अगले महीने की पहली तारीख को वर्धा में संघ के सेण्ट्रल बोर्ड की बैठक होने जा रही है, उसमें शायद कोई निश्चित कार्य योजना बने। इस बीच में हमने एक पल-भर भी गंवाया नहीं है। हम चहुमूल्य जानकारी जुटाते आ रहे हैं और सब तरफ से मर्दद देने के आश्वासन हमें मिल रहे हैं।

प्रश्न—क्या आपका इरादा सब सूचों में एक साथ सघ की शाखाये खोल देने का है ? या आप चुनी हुई खास-खास जगहों ही में यह काम शुरू करना चाहते हैं ? सघ का मुख्य दफ्तर कहाँ होगा ? क्या आपके जाने के पहले यहा (दिल्ली में) उसकी शाखा खुल जायगी ?

गांधीजी—हमारा मक्कसद तो शाखायें न खोलकर हिन्दुस्तान-भर में कार्यकर्ता रखने का है। आदर्श यह होगा कि गाँव-गाँव में एक-एक कार्यकर्ता हो जाय ताकि काम का पूरे तौर पर वैटवारा हो जाय। इस प्रयास की सफलता की कुंजी तो अकेन्द्रीयकरण में है। मेरे जाने से पहले दिल्ली में कोई शाखा खुल जायेगी, यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो कुछ इसके बारे में सूचनायें और समाचार मुझे मिल सकते हैं, मैं जुग रहा हूँ। सेण्ट्रल बोर्ड ही आखिरी फैसला करेगा। संघ का खास दफ्तर वर्धा में है। वहाँ सेठ जमनालाल जी ने अपना बहुमूल्य बाग और उसमें बना हुआ विशाल बैगला दे दिया है। अगर आगे जरूरत पड़ी तो और भी जमीन लेने का अभिवचन दिया है।

प्रश्न—जिन मृत या मृतप्राय उद्योगों को आप पुनर्जीवन दिलाना चाहते हैं, उनके बारे में तमाम जाहरी-जाहरी वाते जानने के लिए क्या सघ अपने ही आदमियों पर निर्भर रहेगा या उन सब दूसरी सरकारी या गैरसरकारी स्थाओं से भी मदद मांगेगा, जो इस समय हिन्दुस्तान में काम कर रही है ?

गांधीजी—संघ के सामने अझीदृष्ट कार्य तो इतना विशाल और विस्तृत है कि वाहरी मदद के बिना वह कुछ नहीं कर सकेगा; इसलिए दूसरे कार्यकर्ताओं का, चाहें वे सरकारी ही क्यों न हो, सहयोग भी वह चाहेगा, और लेगा।

प्रश्न—आज जो दुनिया की मुख्तलिक आर्थिक और व्यापारिक ताकतों की क्रियाये और प्रतिक्रियाये हिन्दुस्तान में होरही है, उनसे जिन उद्योगों के टकराने का अन्देशा नहीं है, क्या उन्हीं उद्योगों को नई जिन्दगी देना सब का उद्देश्य होगा? या इन बातों का खयाल न रखकर वह तमाम नष्ट हुए उद्योगों को नवजीवन देने की कोशिश करेगा, और वह भी इसलिए कि पुराने जमाने में जब वे उद्योग सम्पन्न स्थिति में थे, तब लाखों करोड़ों ग्रामवासियों का पेट भरता था?

गांधीजी—संघ तो उन सब उद्योगों को पुनर्जीवित और प्रोत्साहन देने की कोशिश करेगा, जिनका होना देहाती जिन्दगी के नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए लाजमी है। ऐसी टकरानेवाली कही जानेवाली दुनियावी ताकतों से डरकर वह पीछे नहीं हटेगा।

प्रश्न—आम तौर पर लोग यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान के सूती मिलों ने खादी-उद्योग को सहानुभूति की निगाह से नहीं देखा है। अगर सब उन मृत, मृतप्राय या असगठित उद्योगों को पुनर्जीवित—करने की कोशिश करेगा, जिनके ज्यादा असगठित स्वदेशी उद्योगों के हितों से टकराने की सम्भावना है, तो क्या आपको यह अन्देशा नहीं है कि सब का विरोध होगा?

गांधीजी—शक्तर, चावल और आटे की मिलों—‘जैसे यांत्रिक उद्योग संघ का विरोध करेंगे, ऐसी सम्भावना है। परन्तु हमारा काम मुश्किलों में से राह निकालने का है। मुझे पूरी-पूरी उरमीद है कि हम ऐसी कठिनाइयों पर विजय पा सकेंगे।

प्रश्न—मिमाल के लिए शक्तर और गुड़ की समस्या ही ले लीजिए। शक्तर एक रक्षित उद्योग है और अब तो वह सुसगठित ढंग से चलता है। कुछ दिन पहले ऐसा छपा था कि सब गुड़ की खपत बढ़ाने की

कोनिश करेगा । अगर यह सही है तो क्या आपके खयाल से इस चीज़ से शक्कर-उद्योगवालों का विरोध नहीं उठ सड़ा होगा ?

गांधीजी—हो सकता है । अगर गुड़ की खपत बढ़ गई और शक्कर की कम हो गई तो यह हिन्दुस्तान के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि डाक्टरों ने इस बात को साबित कर दिखाया है कि गुड़ में शक्कर से ज्यादा शरीर को पोशण देनेवाले तत्त्व हैं । और संघ का ही नहीं, जनता का भी यह फर्ज़ है कि वह किसी भी यांत्रिक उद्योग को लोगों के स्वास्थ्य का नुकसान तो न करने दे ।

प्रश्न—सघ को मौजूदा बड़े-बड़े पैमानों पर चलनेवाले उद्योगों का क्रियात्मक विरोध करने के बदले उनका मददगार होना चाहिए या नहीं ? इस बारे मे आपकी क्या राय है ?

गांधीजी—इसका जवाब तो मैं अभी दे ही चुका हूँ ।

प्रश्न—क्या मेरा यह कहना गलत है कि आप जिस रूप मे मृत उद्योगों का पुनर्जीवन करना चाहते हैं, वह लोभी पूँजीवाद के वजाय मानवता और विवेक के आधार पर हिन्दुस्तान के औद्योगीकरण की पहली सीढ़ी ही है ?

गांधीजी—मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तान जैसे विशाल मुल्क के लाखों-करोड़ों लोग जिन्हे बारह मे से चार महीने मजबूरन बेकार रहना पड़ता है, इन बड़े पैमानों पर चलनेवाले व्यवसायों के रहते हुए भी कैसे थोड़ी-बहुत सुख-सुविधा की जिन्दगी बसर कर सकते हैं ? उन धन्यों को छोड़कर जो गाँव मे नहीं चल सकते, बड़े-बड़े पैमानों पर चलनेवाले इन केन्द्रित उद्योगों के कारण लाखों-करोड़ों तबतक भूखों भरते ही रहेंगे, जबतक उन बेकारों के लिए कोई सम्मान की रोज़ी न मिल जाय ।

प्रश्न—सरकार के ग्रामोद्योग सघ के कार्य के शुरू होने से पहले ही रोक देनेवाले सर्कर्युलर के बारे में अखबारों की जो राय है, अगर वह सच है, तो क्या आपके ख्याल से सघ का सरकार से संघर्ष छिड़ जाने का मौका आ सकता है?

गांधीजी—संघ का सरकार से संघर्ष होने की तो कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि संघ ने अपना जो आदर्श सुरक्षर किया है, वह, अगर मैं ठीक-ठीक समझा हूँ तो, स्वास्थ्य के प्रश्न को छोड़कर सरकार के प्रयत्नों से भिन्न है। जिन गाँवों में स्वास्थ्य-सुधार और रक्षा का काम सरकार की तरफ से हो रहा है, वहाँ हमें वह काम हरणिज्ञ नहीं लेना चाहिए। सरकारी काम को उखाड़ फेंकने का तो विलकुल ही उद्देश्य नहीं है, हाँ, उसके काम में सहयोग देने का उद्देश्य हो सकता है।

प्रश्न—आपका इस बात की तरफ तो ध्यान गया ही होगा कि सरकार को यह अन्देशा ही रहा है कि इस सघ के ज़रिये आप गाँवों के अधिक मम्पर्क में बाते ही रहेंगे और ऐसे अवसरों का उपयोग आप और भी बड़े-बड़े पैमाने पर 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' की दुवारा तैयारी करने में करेंगे।

गांधीजी—यह बात तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। मैंने ऐसे अप्रत्यक्ष ढंग से कभी काम किया ही नहीं। इससे तो मेरी नजर में जो मकसद है, वही मारा जाता है। मैं तो गाँवों की भौतिक और नैतिक उन्नति मात्र ही चाहता हूँ और अगर वह ही जाती है तो मेरी आकाशा सब प्रकार पूरी ही जाती है। इसी तरह, अगर मुझे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन चलाना ही है तो वह कूसरे कामों का सहारा लिये बिना ही चलाया जायगा। अगर "सविनय" शब्द को

ही पूरा-पूरा निभाना है, तो यह सब भ्रम दूर होजाना चाहिए। पर मुझे तो काफ़ी धीरज रहती है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि, अगर मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक है तो, मेरे कुछ और कोशिश किये बिना ही ये सारे भ्रम दूर हो जायेंगे।

प्रथम—एक और सवाल कहूँ ? आप ने कहा था कि अगर सरकार आपकी ग्रामोद्योग-योजना की भावना को ठीक-ठीक समझ जाय और आपको मदद देने की तैयार हो तो आप आश्चर्य करके दिखा सकते हैं। 'मदद' से आपका क्या प्रयोजन है ? क्या रूपये-पैसे की मदद से मतलब है ?

गांधीजी—मैं तो सिर्फ़ इतना भर कहता हूँ कि सरकार मेरी कार्य-प्रणालियों का रहस्य समझ जाय और जो कुछ काम मैं करूँ उसमें पूरा-पूरा सहयोग दे, तो आश्चर्य कर दिखाने का जिस्मा मेरा है। आर्थिक सहायता की मुझे दरकार नहीं। मैं तो सरकार की तरफ़ से अपने कार्य का पुरजोर नैतिक समर्थन-भर चाहता हूँ।

१४ :

निराशा कैसी ?

भारत के शायद सबसे पुराने राष्ट्र-सेवक श्रीयुत हरदयाल नाग लिखते हैं :—

“यह देखकर मुझे निराशा मालूम देती है कि आपके इस अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ का काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त ग्राम-सेवक नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अगर आप मुझ पर कर्तव्य की उपेक्षा करने का दोषारोपण करें तो अपना यह अपराध स्वीकार कर लेने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। अपने सार्वजनिक जीवन के आरम्भ से ही मैं ग्राम-उद्योगों के प्रश्न के आर्थिक पहलू का अध्ययन करता रहा हूँ। आपका कार्यक्रम मुझे जो बहुत प्रोत्साहित नहीं करता, उसका यही कारण है, कि उसमें मुझे उसका कोई आर्थिक रूप नहीं दिखाई देता। कौन जाने यह मेरी ही भूल हो। खैर जो हो, मुझे अपनी शंकाओं को तो दूर करना ही है।

सारे हिन्दुस्तान के ग्राम-उद्योगों को हड्डप लेनेवाला विदेशी व्यापार का यह शैतान तो अब भी यहाँ मौजूद है आर्थिक जाल में फँसानेवाली वह मोहनी माया तो आज भी उसी मर्ती में वही तान छेड़े जा रही है कि “सबसे सस्ता माल खरीदो” और उसके जादू का असर भी खबूल पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि हिन्दुस्तान में तमाम सब जगह गाँवों का बना माल भरा पड़ा है, मगर उस माल के खपानेवाले या खरीदार नहीं हैं तो उससे लाभ ही

क्या ? हाथ का करघा खद्दर तैयार कर सकता है, पर वह उसके खरीदार थोड़े ही पैदा कर सकता है। मेरा तो यह दुःख-पूर्ण अनुभव है, कि वहुत-से कातनेवाले आपने हाथ के काते हुए सूत का एक भी चख नहीं पहनते। अधिकांश कत्तैयों या कत्तिनों के तन पर तो मैंने खद्दर भी नहीं देखा। सूत को बेचते हैं तो उससे उन्हें एक तरह से कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोग तो अपना सूत बेचने या बतौर चन्दे के देने के लिए भी राजी नहीं। ऐसे शौकीन कत्तैये आदिर कितने दिन तक सूत कातते रहेगे ? अब अगर भारत के तमाम ग्रामों के कारीगर, अपने खुद के इस्तैमाल के लिए नहीं बल्कि दिक्की के लिए, अपने हाथ से चीजें बनाने लगे तो उनके उस सब माल के खरीदार कहाँ से आयेंगे ? जब तब भारत राजनीतिक गुलामी से ज़क़ड़ा हुआ है, तब नक कोई दूसरा देश वह माल खरीदने का नहीं। और ये हिन्दुस्तान ग्राहक हिन्दुस्तानी के गाँव की बनी कुरुप चीजों को क्या खरीदेंगे ? गुड़ तैयार करनेवाला ज़रा-सा गुड़ अपने देश के प्रति मौखिक भक्ति दिखाने के लिए भले ही चख ले, पर क्या वह अपनी चाय या दूध में गुड़ की ढली ढालेगा ? गाँव का जूने के कारखानेवाला बाहर के बने हुए बढ़िया और काफी सस्ते जूतों के सुकाबिले में क्या कभी अपने कारखाने का बना भद्दा जूता-जोड़ा पहनेगा ? मैंने हुर्मायबश ऐसे कई छोटे-मोटे देशी धन्यों को असफल होते हुए देखा है, जिनमे रुपये के लिए और केवल बिक्री के लिए माल तैयार होता था। सिर्फ रुपया पैदा करना ही जब उनका एक-मात्र ध्येय था, तब असफल तो उन्हे होना ही था। हमारे यहाँके ग्राम-वासियों को जब तक यह पाठ न पढ़ाया जायगा, कि जिन चीजों को वे अपने कच्चे माल से, और खुद अपने हाथ-पैर की मेहनत से

तथा अपने ही इस्तैमाल के लिए तैयार करते हैं, उनके मुक़ाबिले में विलायती चीजें सस्ती पहुँच ही नहीं सकतीं, तब तब वे विदेशी चीजों के खरीदने का मोह कभी छोड़ेंगे ही नहीं। विलायती माल खरीदने के लिए उन्हे कर्ज़ काढ़ना पड़ता है, पर अगर अपने जीवन की ज़रूरी चीजें वे खुद बनाने लगें तो फिर उन्हे कर्ज़ लेने की कोई ज़रूरत ही न पड़े। जहाँतक ग्राम-वासियों का सम्बन्ध है, चीजों के अदल-ददल की सहकारी प्रथा इस मुद्रा-प्रथा से लाख दरजे अच्छी है। हमारे देश के ग्राम-वासियों को इस विदेशी व्यापार के इतना नीति-भ्रष्ट कर दिया है, कि सिवा रुपये-पैसे में खरीद-फरोख करने के दूसरी बात वे सोच ही नहीं सकते।”

हरदयाल बाबू के ये दिन अब विश्राम करने के हैं, और अगर वे अब तमाम सार्वजनिक कार्यों से हट जायें तो किसीको उनकी इस बात की शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। मगर अपने इन तीनों होड़ियों—पण्डित मालवीयजी, अब्बास तैयबजी और विजय राघवाचार्य—की तरह हमारे हरदयाल बाबू का काम करने का हौसला कम नहीं हुआ। इसलिए वे यह आशा नहीं कर सकते कि आलोचक गण उनकी अवस्था के कारण उनके साथ कुछ रिआयत करेंगे। मैं जानता हूँ, वे ऐसी कोई आशा नहीं रखते। उनका शरीर और उनका मस्तिष्क देश के लिए अब भी वैसा ही बना हुआ है। उनमें कोई कमी नहीं आई है, और देश चाहे जब उनसे अपनी सेवा ले सकता है।

मुझें हरदयाल बाबू को यह बतला देना चाहिए कि जो लोग ग्राम-ज्योग के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके सामने निराशा-जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। यह क्षेत्र इतना नया है कि तैयार होने में उसे

अभी बहुत समय लगेगा। कार्यकर्त्ताओं ने जो काम अपने हाथ में लिया है, उसकी तहतक वे अभी पहुँचे ही नहीं हैं।

फिर हरदयाल बाबू को जो निराशा की बात मालूम दे रही है, मेरी राय में उसका वही कारण है, जो उन्होंने ऊपर दिया है। कर्तव्य के प्रति उपेक्षा दिखाने का अपराध उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। अगर उन्होंने, जैसी कि उनकी प्रकृति है, यह काम हाथ में ले लिया होता, तो इसमें सन्देह नहीं कि वह उन्हे बहुत कठिन तो जरूर मालूम पड़ता, पर निराशा तो वह निश्चय ही न होते। इस प्रवृत्ति का जो आर्थिक रूप उन्हे दिखाई नहीं दे रहा है, उसका यही कारण है कि उन्होंने उसे देखने के लिए व्यावहारिक रीति से प्रयत्न नहीं किया।

हरिजन-कार्य में मैं पड़ा तो मुझे यह पता लगा कि अगर भारत-वर्ष को जीवित रहना है तो हमे कौमी निसेनी के सबसे निचले गोड़े को सबसे पहले ठीक करना होगा, अपने कार्य का श्रीगणेश यहीसे करना होगा। अगर पहली ही सीढ़ी सीढ़ी-गली होगी, तो सबसे ऊपर की या किसी बीच की सीढ़ी पर हम जो काम करेगे, अन्त में यह सब निश्चय ही असफल होगा।

मुल्क के सामने आज जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आर्थिक दृष्टि तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी है। इस कार्यक्रम में राष्ट्र को पौष्टिक आहार देने का जिस ढंग का खाका खींचा गया है, उससे अर्थ-लाभ भी होगा और आरोग्य-लाभ भी। गाँव के लोग अपना चावल औलली में खुद कूटकर उसे ज्यों का त्यों चिलक रहित रूप में झी खाने लग जायें, तो इससे हर साल तीस करोड़ रुपये की बचत ही न हो, वल्कि उनके स्वास्थ्य में भी उन्नति हो। पर दुःख की बात तो यह है, कि साधारणतया वाजारों में हमे ऐसा चिलकरहित पूर्ण

चावल मिलता ही नहीं। कुछ दिन ठहरने के बाद ही ग्राम-ज्ञान-संघ राष्ट्र को इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट रास्ता दिखला सकता है। राष्ट्र को यह सब बताने की ज़रूरत है, कि क्या तो उसका भोजन हो और वह किस तरह तैयार किया जाय।

गाँवों में तड़क-भड़कदार चीजे बनाने और उन्हे बेसन-से ख़रीदने वालों के मध्ये मढ़ने की तो कोई बात इस कार्यक्रम में है ही नहीं। एक ही प्रकार की विदेशी या स्वदेशी चीजों के साथ जब प्रतिस्पर्धा की कोई बात ही नहीं, तब असफलता का तो सवाल ही नहीं आता। गाँवों के लोग खुद तैयार करेंगे और खुद ही ख़रीदेंगे। अपने बनाये माल को अव्वल तो वे खुद ही खपा लेंगे, क्योंकि नब्बे फ़ी सदी जन-संरूप्या ग्रामवासियों की ही है। शहरों के लिए तो वे उन्हीं चीजों को बनायेंगे, जिनकी शहरों में मांग होगी और जिन्हे वे लाभ की दृष्टि से तैयार कर सकेंगे। दूध या चाय में गुड़ मिलाने की सलाह लोगों को ज़रूर दी जायगी, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। उन्हें यह बतलाया जायगा—और आज भी बतलाया जा रहा है—कि यह ख़याल करना निरा बहम है, कि दूध या चाय के साथ गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक सज्जन ने मुझे लिखा है कि मेरी स्त्री ने जब से गुड़ की चाय पीना शुरू किया है तब से कब्ज की उसकी सारी शिकायत दूर हो गई है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि गुड़ की जो थोड़ी रेचक तासीर है वह शक्ति में तो है ही नहीं। ग्रामों का शोषण मध्यमवर्ग के लोगों ने किया है। उनमें से कुछ लोग गाँवों को यह अनुभव कराके अब अपनी भूल को सँचार रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास में गाँवों का एक गौरवमय और महत्वपूर्ण स्थान है।

अब सफ़ाई का प्रश्न लीजिए। इस प्रश्न पर ठीक-ठीक ध्यान दिया जाय तो इससे हर साल मुल्क को प्रति मनुष्य दो रूपये की आमदनी हो सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि स्वास्थ्य और शक्ति में तो उन्नति होगी ही, इसके अलावा साठ करोड़ की सालाहना आमदनी भी मुल्क को होगी। भारत के सात लाख गाँवों की छग-मगाती हुई नैया को अगर सब तरह से सम्भालना है तो इस काम को मौजूदा कार्यक्रम से आरम्भ करके ही हम कर सकते हैं। यह काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। भारन की राजनीतिक अवस्था चाहे जैसी हो, इस ज्ञान को तो हमें पूरा करना ही है। भंगी से लेकर साढ़कार तक सभी कोटि के ग्रामवासी इस कार्यक्रम को हाथ में ले सकते हैं। यह ऐसा काम है, जिसमें सभी विचारों के लोग दिलोजान से शरीक हो सकते हैं। अगर अच्छे कार्यकर्ता मिलते जायें तो असफलता तो इसमें हो ही नहीं सकती।

ह० से० १२-४-३५

१५

भ्रान्तियाँ

घटनाओं और चीजों को ध्यान के साथ देखनेवाले एक सज्जन लिखते हैं :—

“आपके जिस पत्र का मैं जवाब दे रहा हूँ, उसमें बतलाई हुई दिशाओं में काम करने का काफ़ी बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है। गृह-उद्योगों के लिए तो क्षेत्र है ही। पर अगर साफ-साफ पूछा जाय तो मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि मेरे खायाल में ये गृह-उद्योग बड़े-बड़े उद्योगों का स्थान नहीं ले सकते। इन बड़े-बड़े उद्योगों के संचालकों के आर्थिक हितों को एक तरफ रख दें तो भी मेरा खायाल यह है, कि इस प्रकार के जो बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो चुके हैं या स्थापित हो सकते हैं, उन्हे नष्ट करने का प्रयत्न करना देश के हक्क में अच्छा नहीं होगा। यन्त्रों के खिलाफ सबसे बड़ी आपत्ति यही उठाई जाती है कि काम-धन्धे मेरे लोग हुए आदिमियों का काम ये यन्त्र दिन-पर-दिन छीनते चले जा रहे हैं। नतोंजा यह होता है कि बेकारी बढ़ती ही जाती है। मुनाफे के विभाजन की जो सौजूहा प्रणाली है, सम्भव है कि उसमें फेर-फार करने की जरूरत हो। पर फुर्सत के समय का अगर सदु-पर्योग हो सके, तो वह और बहुत-से कामों से अधिक महस्त्र का काम होगा। सिर्फ लोगों को भारी तादाद में काम में लगाने के लिए मेरे विचार में यह जरूरी नहीं कि हम उन यन्त्रों को खारिज कर दें, जिन पैसे से की बचत भी होती है और काम भी अच्छा और

अधिक मात्रा में होता है। होना यह चाहिए कि उन यन्त्रों से अनेक मनुष्य को फुर्सत और अन्न मिले। इन 'अनेक मनुष्यों' में ऐसे लोगों को भी मैं शामिल कर लेता हूँ जिनका इस उद्योग के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं। भारत की जन-संख्या एक तो यों ही अधिक है, और वह बराबर बढ़ती ही जा रही है—यह देखते हुए मुझे यह डर है कि ऐसा समय तो शायद ही कभी आयगा जब यहाँ हरेक आदमी को ठोक-ठीक सुख-सुविधा दी जा सके। ज्यों-ज्यों लोगों में शिक्षा और स्वच्छता का प्रचार होगा, त्यों-त्यों उनकी आयु बढ़ेगी और मृत्यु-संख्या के परिमाण में कमी होती जायगी। जन-संख्या की वृद्धि से देखे तो स्थिति तब और भी बुरी हो जायगी। इसलिए माफ करे, मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि इस दिन-दिन बढ़ती हुई आवादी के रोकने का प्रयत्न करना ही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, और यह काम विना संतति-निप्रह के नहीं हो सकता। मैं यह जानता हूँ कि आप इस चीज के खिलाफ हैं। मगर आज चूँकि आप सफाई, आहार-सुधार, श्राम-उद्योग आदि के द्वारा आर्थिक पुनर्रचना पर ही अपना सारा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यह देख लेने की प्रार्थना करता हूँ कि यह चीज भी आपके ध्यान देने की है या नहीं।”

जिन सज्जन ने यह पत्र लिखा है वे एक ईमानदारी से विचार करनेवाले व्यक्ति हैं, तो भी जैसा कि मुझे मालूम होता है, जिन दोनों संघों को लेकर उन्होंने लिखा है, उनके कार्य का सारा ध्येय ही वे नहीं समझ सके। बड़े-बड़े उद्योगों को हटाकर उनकी जगह ले लेना या उन्हे नष्ट कर ढालना तो इन संघों का ध्येय है ही नहीं, उनका ध्येय तो यह है कि मृत या मृतप्राय उद्योगों को पुनरुज्जीवित किया जाय, और उनके द्वारा उन करोड़ों मनुष्यों के लिए काम तलाशा

जाय, जिन्हें ज्ञावरन पूरी तरह या आधी वैकारी में रहकर अध-पेटा रहना पड़ता है। यह विनाशात्मक नहीं, रचनात्मक कार्यक्रम है। ये बड़े-बड़े उद्योग करोड़ों वैकार मनुष्यों को तो कभी काम दे नहीं सकते, और उन्हे यह आशा भी नहीं है। उनका मुख्य ध्येय तो अपने चन्द मालिकों को रुपया पैदा करने का है, करोड़ों वैकार आदमियों को काम देना उनका खास उद्देश्य कभी रहा ही नहीं। खादी और दूसरे ग्राम-उद्योगों के संचालक यह आशा तो करते नहीं कि निकट भविष्य में बड़े-बड़े उद्योगों पर कोई असर रहेगा। यह आशा वे अवश्य करते हैं कि ग्रामवासियों की अंधेरी कोठरियों में—जिन्हे झोंपडियाँ कहना भी भापा का दुरुपयोग करना है—प्रकाश की एक किरण पहुंचाई जाय। पत्र-लेखक सज्जन जब यह कहते हैं, कि ‘फुर्सत के समय का अगर सदुपयोग हो सके, तो वह और बहुत-से कामों से अधिक महत्व का काम होगा,’ तब ऐसा मालूम होता है, कि उनका सारा ही केस खत्म हो जाता है। जिन प्रवृत्तियों को वे स्वीकार नहीं करते, उन प्रवृत्तियों का उद्देश्य उस ध्येय को ही तो पूरा करना है, जो उनकी दृष्टि में है। आलस्य में पड़े हुए करोड़ों मनुष्यों के फुर्सत के समय का सदुपयोग करना ही इन प्रवृत्तियों का ध्येय है।

इसमें यंत्रों के गलत उपयोग और दुरुपयोग के—अर्थात् करोड़ों को नुकसान पहुंचानेवाले उपयोग के विरुद्ध जरा भी लड़ाई नहीं है। हिन्दुरत्न के सात लाख गाँवों में फैले हुए ग्रामवासी रुपी करोड़ों जीवित यंत्रों के विरुद्ध इन जड़ यंत्रों को प्रतिद्वन्द्विता में नहीं लाना चाहिए। यंत्रों का सदुपयोग तो यह कहा जायगा कि उससे मनुष्य के प्रयत्न को सहारा मिले और उसे वह आसान बना दे। यंत्रों के

मौजूदा उपयोग का हुकाव तो इस ओर ही बढ़ता जा रहा है कि कुछ इन्हें-गिने लोगों के हाथ मे खूब सम्पत्ति पहुँचाई जाय, और जिन करोड़ों खी-पुरुषों के मुँह से रोटी छीन ली जाती है, उन बेचारों की जरा भी पर्वा न की जाय। अत्यन्त सूक्ष्म मनोवृत्ति यों वाले मनुष्य-खी पंत्रों से काम न लेने की इच्छा से जड़पंत्रों के जरिये काम लेकर विपुल सम्पत्ति इकट्ठी करने की सनक ने जो धोर असन्तोष प्रज्ञविलित कर रखा है, उस यथासम्भव शमन करने के ही विचार से चर्खा-संघ और ग्राम-उद्योग-संघ की रचना की गई है।

पत्र-लेखक को यह भय है कि ऐसा समय कभी नहीं आयगा कि जब हरेक मनुष्य को ठीक-ठीक सुख-सुविधा दी जा सके। जो लोग गाँवों मे काम रहे हैं, उन्हे ऐसा कोई भय नहीं है। बल्कि वात इससे उल्टी है। गाँववालों के निकट-सम्पर्क मे आने और गाँवों की स्थिति से अधिक परिचित होने से उनकी यह आशा बढ़ती ही जारही है कि अगर ग्रामवासियों से उनकी यह पुश्टैनी काहिली छुड़ाई जा सके तो वे सब-के-सब ठीक-ठीक सुख-सुविधा में रह सकते हैं, और इसके कारण देश की आर्थिक व्यवस्था में कोई बड़ी उथल-पुथल भी न हो। इसमे शक नहीं कि कुछ ग्रामदायक स्थितियों का जुल्म तो कम करना ही पड़ेगा। पर अगर धनिक कहे जानेवाले वर्गों की ओर से कुछ सहयोग मिले तो इस जुल्म कम करने की क्रिया का असर भी प्रायः आंसेगा नहीं।

वर्तमान जन-संख्या के लिए ठीक-ठीक सुख-सुविधा की व्यवस्था करने के विषय मे पत्र-लेखक को जो भय है, उससे स्वभावतः हद से ज्यादा आवादी बढ़ जाने का भय उनके मन मे पैदा हुआ है। इस दृश्या मे तब सन्तति-निग्रह ही तर्क-संगत उपाय हो जाता है। मेरे

लिए सन्तति-निश्रह एक अन्य-कूप है। अज्ञात शक्तियों के साथ खेलने-जैसी बात है। यह भी मान लिया जाय कि कृत्रिम उपायों के द्वारा कुछ स्थितियों में सन्तति-निश्रह करना उचित है, तो भी मुझे ऐसा भास होता है, कि करोड़ों मनुष्यों के लिए यह चीज बिलकुल ही अव्यवहार्य है। उन्हे गर्भाधान रोकने के उपायों से सन्तति-निश्रह की बात समझाने की अपेक्षा मुझे तो यह ज्यादा आसान मालूम होता है, कि उन्हे संयम के साथ रहने की बात समझाई जाय। हमारा यह छोटा-सा पृथ्वी-मण्डल कुछ कल का बना हुआ खिलौना नहीं है। अनर्गिनते युगों से यह ऐसा ही चला आ रहा है। जन-संख्या की वृद्धि की मार से उसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया। तब कुछ लोगों के मन में यकायक इस सत्य का उदय कहाँ से होगया कि यदि गर्भाधान रोकने के कृत्रिम उपायों से जनन-प्रमाण न रोका गया, तो अब न मिलने से पृथ्वी-मण्डल का नाश हो जायगा ? मुझे यह भय है कि मेरे पत्र-लेखक मित्र एक भ्रान्ति से दूसरी भ्रान्ति में पड़ते गये हैं, और अन्त में एक ऐसे भारी पैमाने पर किये जानेवाले गर्भाधान-निरोध के दलदल में जा फंसे हैं, जो अभीतक एकदम अज्ञात है।

: १६ :

एक घातक विचार-धारा

एक सज्जन ने 'हरिंजन' में चर्चा करने के लिए कुछ प्रभ मुझसे पूछे थे। उनमें से एक मैंने कुछ दिनों से अपनी फाइल में रख रखा है:—

"व्या आप ऐसा नहीं सोचते कि जबतक राजनैतिक सत्ता न हासिल करली जाय, तबतक कोई बड़ा सुधार नहीं हो सकता? हमें आज के आर्थिक ढाँचे में भी सुधार करना है। राजनैतिक पुनर्रचना के बगैर पुनर्निर्माण होना नामुमकिन है और मुझे क्षमा कीजिए, यह कुटे और बिना कुटे चाबल, संयत भोजन इत्यादि-इत्यादि की सब वारें महज खायाली पुलाव ही है।"

कई कामों को न कर सकने के बहाने में लोगों को अक्सर मैंने यह दलील पेश करते सुना है। यह मैं मानता हूँ कि कुछेक चीजें ऐसी हैं जो बगैर राजनैतिक सत्ता हासिल किये नहीं हो सकती, मगर साथ ही ऐसी बेशुमार चीजें भी हैं जिनके लिए राजनैतिक सत्ता कर्तव्य दरकार नहीं होती। तभी तो 'थारो' जैसे विचारक ने कहा था—'वही सरकार सबसे अच्छी है जो कम-से-कम शासन करे।' इसके मानी यह हुए कि जब राजनैतिक सत्ता लोगों के हाथ में आ जाती है, तो लोक-स्वातन्त्र्य (अवाम की आजादी) पर नहीं के बराबर आधात होता है। या यों कहिए कि जो राष्ट्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना ही अपने काम सुविधा और

सफलतापूर्वक चला लेता है, वही सच्चे अर्थों में जनसत्तात्मक है। जहाँ ऐसी स्थिति नहीं आ सके, वहाँ की सरकार नाम के ही लिए जनसत्तात्मक है।

ख्यालों की आजादी पर निश्चय ही कोई बन्धन या मर्यादा नहीं लगाइ जा सकती। याद रहे कि आजकल बहुत से सुधारकों का नवीन विचार धारा पर सबसे अधिक आग्रह होरहा है। हमसे से कितने ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत विचारों में सुधार करने-कराने का उद्देश्य लेकर चलते हैं। आज के वैज्ञानिक विचारों की क्षमता को पहचानते हैं और इसी कारण तो यह कहा जाता है कि इन्सान जैसा सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। जो उठते-बैठते हत्या की बात सोचता है, वह हत्याकारी बन निकलेगा, जो हरदम व्यभिचार की सोचा करता वह पक्षा व्यभिचारी बन जायगा। इसके ठीक उल्टे, जो दिन-रात सत्य और अहिंसा के विचारों में रहता है सत्य-साधक और अहिंसावादी बन जायगा और वह जो परमात्मा के चिन्तन में लीन रहता है, दिव्य बन जायगा। विचारों की इस दुनिया में सथासी ताकत की कोई गुजर ही नहीं है। इसी तरह यह भी साफ़ है कि हमारे बहुत से कामों पर राजनैतिक सत्ता का होना-न होना कोई असर नहीं डालता। जिन भाईं ने मुझसे प्रभ पूछा है, उन्हे मैं एक विनीत सलाह देना चाहता हूँ। वे अपने रोजमर्री के कामों का एक मुफ्फस्सल तौर-पर निरीक्षण करें तो उन्हे यक्षीनन पता लग जायगा कि उनमें से कितने ही किसी राजनैतिक सत्ता के बगैर ही हो जाया करते हैं। अपने परावर्लम्बन के लिए इन्सान खुद ही जिम्मेदार है, वह जब भी चाहे तभी खुद-ब-खुद काम कर सकता है।

उक्त महाशय ने 'दड़े' सुधार को पहले तो हौआ समझ लिया है,

फिर उससे कतराते हैं। जो छोटे-छोटे सुधारों के लिए तैयार नहीं, वह बड़े सुधारों के लिए क्या तैयार होगा? जो अपनी शक्तियों का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करता है, वह उनका विकास करता जायगा और उसे पता लग जायगा कि जिसे वह बड़ा सुधार समझे बैठा था, वह दरअसल कुछ भी नहीं था। जो अपनी जिन्दगी को इस दिशा में नियन्त्रित करता है, उसे सच्चे अर्थों में कुदरती जिन्दगी बना लेगा। इस बात को समझने के लिए हमें राजनैतिक ध्येय को भूल जाना होगा। हरेक मामले में और क्रांति-क्रांति पर सथासी मक्क-सद का खयाल करके चलना फिजूल का तूल देना है। क्योंकि जो बात होकर रहेगी उसके बारे में फिजूल चिन्ता ही क्यों की जाय? मौत आने के पहले ही क्यों मर जायें?

यही सवाल है कि मैं भोजन के पोषण-तत्त्वों की, पत्तेदार भाजियों की और बिना कुटे चावल की चर्चा करने में ज्यादा ही ज्यादा दिल-चस्पी लेता हूँ। यही कारण है कि इसका पता लगाने में कि हम अपनी टट्टियों को अच्छा-से-अच्छा कैसे साफ़ करें और रोज सबेरे धरतीमाता को अपवित्र करने के भीषण पाप से लोगों को कैसे बचाया जावे, मुझे अनजहद दिलचस्पी होने लगी है। मेरी समझ में यह विलक्षुल नहीं आता कि इन ज़ल्लरी मसलों पर गौर करके उनका हल हृद निकालने का तो कोई राजनैतिक महत्व नहीं है, मगर सरकार की आर्थिक नीति की जाँच करना लाजिमी तौर पर राजनैतिक अर्थ रखती है। जो चीज़ मेरे दिमाग में स्पष्ट है वह यह है कि जहाँ वह काम जो मैं कर रहा हूँ और करने के लिए लोगों से कहता हूँ, ऐसा है जिसे लाखों कर सकते हैं, वहाँ हमारे शासकों की नीति का विश्लेषण करना उनके बस की बात नहीं है। यह इने-गिने लोगों का

ही काम है, यह मैं निर्विवाद रूप से मानता हूँ। जो लोग ऐसा करने में कुशल हैं, इसे अच्छे-से-अच्छे ढंग से करे, मगर जबतक ये नेता लोग बड़ी क्रान्तियाँ लावें, तबतक मेरे जैसे ये लाखों-करोड़ों लोग ईश्वर की इन देनों का अपने हित में अच्छे-से-अच्छा उपयोग कर्यों न करे ! ये अपने जिसमें को सेवा करने के योग्य कर्यों न बनालें ! कर्यों न वे लोग अपने-अपने घरों की, व अपने पड़ोस की, धूल-मिट्टी को खुद ही साफ़ कर डालें ! कर्यों वे दिन-रात रोगों के पंजे में फँसे रहकर अपनी और दूसरे की मदद करने के नाकाबिल बने रहें !

नहीं, मुझे कहना चाहिए कि इस प्रभ से उक्त महाशय की अकर्मण्यता, निराशा और उत्साहीनता, जो हममें से बहुतों में है, जाहिर होती है। मैं पूरे विश्वास के साथ यह दावा कर सकता हूँ कि आजादी की लगन में मैं किसीके पीछे नहीं हूँ। मुझे कभी थकावट या निराशा नहीं हुई। बरसों के तजुर्बे के बाद मुझे यह यक़ीन हो गया कि मेरी शक्तियाँ और मेरा ध्यान जिन कामों में लग रहा है, वे राष्ट्र को स्वाधीनता की दिशा में ले जानेवाले गिने जाते हैं और उसमें अहिंसात्मक आजादी का रहस्य छिपा है। यही कारण है कि मैं हर खी-पुरुष, बूढ़े और जवान को इस यज्ञ में अपना-अपना हिस्सा बैठाने की आमन्त्रण करता हूँ।

१७ :

‘हिन्दुस्तानी’ उद्योग

अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिन्दुस्तानी उद्योग से क्या भत्त-लव है ? यह प्रश्न आमतौर पर हमारी स्वदेशी नुगाइशों के सम्बन्ध में पूछा जाता है । आगे यह दावा किया जाता था कि हिन्दुस्तान में चलनेवाले किसी भी उद्योग को हम हिन्दुस्तानी उद्योग कह सकते हैं, इसलिए ऐसा उद्योग भी हिन्दुस्तानी ही समझा जाता था, जो हिन्दुस्तान में अस्थायी तौरपर बसे हुए यूरोपियनों द्वारा चलाया हुआ होता था—जिस उद्योग को कि यूरोपियन लोग बिदेश से पूँजी, कुशल इंजीनियर तथा कारीगर और मशीने लाकर यहाँ चलाते थे । और वह साक्षित होजाने पर भी कि देश की आम जनता के लिए वह हानिकारक है, उसे हिन्दुस्तानी उद्योग ही मानते थे । इस व्याख्या से हम अब बहुत आगे बढ़ गये हैं । किसी भी उद्योग को हिन्दुस्तानी नभी कहा जा-सकता है जबकि यह सिद्ध हो जाय कि वह जन-समुदाय के लिए हितकारी है और उसमें काम करनेवाले कुशल कारीगर व मजदूर दोनों ही हिन्दुस्तानी हैं । उसकी पूँजी और यंत्र भी हिन्दुस्तानी होने चाहिए और उस उद्योग में जो मजदूर काम करते हों उन्हें उससे पेट भरनेलायक रोजी मिलनी चाहिए, उनके रहने के लिए साफ-सुथरे और सुभीतेवाले मकान होने चाहिए, और मजदूरों के बच्चों के लिए भी मिल-मालिकों को पर्याप्त सुविधा कर देनी चाहिए । यह हिन्दुस्तानी उद्योग की आदर्श व्याख्या है । सिर्फ़ चरखा-संघ और

ग्राम-उद्योग-संघ ही शायद इस व्याख्या को कुछ सन्तोष दे सकते हैं। क्योंकि इन संघों की भी इस दिशा में अभी काफ़ी लम्जी मंजिल तय करनी है। पिर भी इस व्याख्या का सौ फ़ीसदी अनुसरण करना इन संघों का तात्कालिक ध्येय है।

पर इस व्याख्या के, और काँग्रेस में भी सन् १९२० के पहले जो व्याख्या प्रचलित थी, उसके बीच मे दूसरी कई व्याख्याओं का समावेश होजाता है। मिल के कपड़े के अलावा हिन्दुरत्नान में बनी हुई सब चीजे काँग्रेस द्वारा की हुई स्वदेशी की व्याख्या में साधारणतया आजाती है। आमतौर पर यह दावा किया जा सकता है सही कि वहां मिल-उद्योग हिन्दुस्तानी उद्योग है। पर जापान और लंकाशायर के साथ टक्कर लेने की शक्ति होते हुए भी यह उद्योग जितने अंशों में खादी के ऊपर विजय प्राप्त करता है, उतने ही अंशों में जन-साधारण का शोषण करता और उसकी दरिद्रता को बढ़ाता है। सारे देश मे भारी-भारी यांत्रिक उद्योग खड़े कर देने की इस जमाने की धून में मेरे इस विचार को यद्यपि बिलकुल ठुकरा नहीं दिया गया है, तो भी इसके विषय में कुछ लोगों ने शङ्का तो उठाई ही है। इसके विरोध मे यह कहा गया है कि यांत्रिक उद्योगों की प्रगति के कारण जनसाधारण की दरिद्रता बढ़ती जाती है, यह चीज अनिवार्य है, और इसलिए इसको सहन करना ही चाहिए। इस अनिष्ट का सहन करना तो दूर, मैं तो यह भी नहीं मानता कि यह अनिवार्य है। अखिल भारत चरखा-संघ ने सफलतापूर्वक यह बता दिया है कि लोगों के फुर्सत के समय का उपयोग अगर कातने और उसके पूर्व की क्रियाओं मे किया जाय, तो इतने ही से गाँवों में हिन्दुस्तान की ज़खरत के लायक कपड़ा पैदा हो सकता है। कठिनाई ही जनता से

मिल का कपड़ा लुड़वाने में है। यह कैसे हो सकता है, इसकी चर्चा करने का यह स्थल नहीं। करोड़ों ग्रामवासियों को ध्यान में रखकर मैंने हिन्दुस्तानी उद्योग की जो व्याख्या की है, उसको और उस व्याख्या के लिए अपने कारणों को उपस्थित करने का इस लेख में मेरा हेतु था। और इतना तो सभी को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय नुमाइशों ऐसे ही उद्योगों के लिए होती है, जिनको कि हर तरह से जनता के समर्थन की ज़रूरत होती है, जो उद्योग बगैर किसी प्रदर्शिनी बगैर की सहायता के ही खुब तरक्की कर रहे हों, और जो खुद ही अपनी प्रदर्शिनी का आयोजन कर लेते हों, उनके लिए राष्ट्रीय संस्थाओं को किसी प्रदर्शिनी का आयोजन करने की आवश्यकता नहीं।

३० से० ३०-१०-३७

वत्' स्पष्ट हो गया। यह चिन्तन मैं करता ही रहता हूँ, कि गाँवों में व्यापक और सहायक उद्योग के रूप में तथा दरिद्रता-विदारक साधन के रूप में चर्खा किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। अभी तो इस रीति से चर्खे की ठीक-ठीक साधना हुई ही नहीं। गाँवों के जुलाहे चर्खे से ही जिन्दा रह सकते हैं, मिल-मशीनों के कते सूत से कभी नहीं, यह बात भी अभी पूरी-पूरी समझ में नहीं आई। आज चर्खे की स्थापना इतनी ही हुई है, कि शुद्ध रूप से केवल खादी ही काम में लानेवालों का जो एक वर्ग देश में तैयार हो गया है, उसकी कपड़े की आवश्यकता पूरी करने तक ही गाँव के कुछ आदमियों के लिए यह एक साधारण-सा उद्योग रह जायगा। लेकिन ऐसे छोटे-से काम के लिए चर्खा-संघ जैसी विशाल संस्था के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं। खादी के मूल में मेरी जो कल्पना है, वह तो यह है कि खादी हमारे किसानों के लिए 'अन्नपूर्णा' का काम करने वाली है, हजारों-लाखों हरिजन बुनकरों को प्राण-शक्ति है। कम-से-कम चार मास तो किसान निःश्वसी रहता ही है। खादी उसे उद्यम देती है। हमारे देश में न तो आज उद्यम है, न स्वावलम्बन। यहाँ तो आलस्य ने बड़ी गहरी जड़ जमा ली है। उद्योग और स्वावलम्बन को देश में यदि पुनः लौटा लाना है, तो यह केवल चर्खे के द्वारा ही सम्भव है।

चर्खे में साम्यवाद

इस देश में यदि हमें रक्त की नदी नहीं बहानी है, लोगों में आज से भी अधिक 'पशुता' नहीं लानी है, तो खादी के इस व्यापक सन्देश को देश की नस-नस में भर देना चाहिए। साम्यवाद के नाम से जो

चीज़ आज सुनाई दे रही है, वह हमारा साम्यवाद नहीं है। भारतवर्ष जिस साम्यवाद को पचा सकता है, वह साम्यवाद तो चर्खे की गूँज में गूँज रहा है। लोगों को चर्खे का इतना व्यापक सन्देश सुना देने का काम मेरा और चर्खा-संघ का था। किन्तु खादी की प्रवृत्ति जिस रीति से आजतक चलती आ रही है, उसी रीति से उसे हम चलाते रहे तो वह कोई व्यापक चीज़ सिद्ध न होगी, यह इस यात्रा में मुझे स्पष्ट हो गया है। इस सन्देश को समझाने और उसे सजीव रूप देने का प्रधान कार्य हमारे ग्राम-सेवक का ही होना चाहिए।

ग्राम-सेवक गाँव में जाकर स्वयं नियमपूर्वक चर्खा चलायेगा—और सिर्फ़ सूत ही नहीं कातेगा, बल्कि अपनी जीविका के लिए वसूला या हथौड़ा चलायगा, कुदाली और फावड़ा चलायगा, या हाथ-पैर से जो भी मजूरी कर सके, करेगा। खाने-पीने और सोने के आठ घण्टे बाद देकर बाकी का सारा समय किसी-न-किसी काम-काज में उसका लगा ही रहेगा। अपना एक मिनट भी वह बैकार न जाने देगा। काहिली को न तो वह अपने पास फटकने देगा, न दूसरों के। लोगों को वह यह बतलाता रहेगा कि मुझे तो यज्ञ करना है, शरीर का पालन-पोषण शारीरिक श्रम से ही करना है। मन के पोषण के लिए मानसिक शिक्षा-संस्कृति आवश्यक है। शारीरिक काम में भले ही श्रम-विभाग हो, किन्तु यह उचित नहीं, कि एक वर्ग तो शारीरिक श्रम किया करे, और दूसरा महज मानसिक श्रम।

अपने इस नौ महीने के प्रवास मे मैंने देखा कि हमारे देश से अगर यह आलस्य विदा न हुआ, तो कितनी ही सुविधायें क्यों न मिलें, लोग भूखे ही रहेंगे। जो अन्न के दो दाने खाता है, उसे चार दाने उपजाने का धर्म स्वीकार करना ही चाहिए। ऐसा अगर हो

जायं तो दूसरे करोड़ों मनुष्य भी हिन्दुस्तान में पलने लगें। और यह न हुआ, तो जन-संख्या चाहे कितनी ही कम हो जाय, भुखमरा वर्ग तो देश में बना ही रहेगा। इस प्रकार जिन सेवकों ने ग्राम-सेवा के इस कार्य में रस लिया है, वे गाँवों में जायेंगे तो शिक्षक के रूप में, पर वहाँ खुद सीखनेवाले बन कर रहेंगे, नित्य नूतन शोध और साधना करते रहेंगे। मेरी कल्पना यह नहीं है, कि वे १६ घण्टे खादी के ही काम में लगे रहे, बल्कि यह है कि खादी के काम से जितना समय उनका निकले, उसमें वे गाँव के चालू उद्योग-धन्धों की खोज करें, और उसमें दिलचस्पी ले, लोगों के जीवन में अपने को ओत-प्रोत कर दें। खादी या चर्खे में भले ही लोगों का विश्वास न हो, तो भी इन सेवकों को वे मनुष्य तो समझेंगे ही और इनके जीवन से उन्हें जो उपयोगी बातें मिलेंगी, वे ग्रहण करेंगे। अपनी शक्ति से बाहर की बातों में वे हाथ न डालें, जैसे लोगों के कर्जे की बात। ऐसी अशक्य बातों में पड़ने से उनमें उनके खुद फँस जाने का भय है। गाँव की सफाई ग्राम-सेवक का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। अपने रहने का घर वह ऐसा साफ़-मुथरा रखेगा, कि उसे देखते लोगों का दिल न भरेगा। पर जिस तरह वह अपने घर-आँगन को साफ़ रखेगा, उसी तरह लोगों के आँगनों की भी सफाई करता रहेगा।

वैद्य-डाक्टर न बनें

ग्राम-सेवक गाँवों में वैद्यराज या डाक्टर साहब बनने का धन्धा न ले बैठें। हरिजन-प्रवास में मुझे एक ग्राम-आश्रम देखने का मौका आया, पर वहाँ मैंने जो देखा उससे बढ़ा क्षेत्र हुआ। आश्रम के

न्यवस्थापक और कार्यकर्ताओं को मैंने खूब खरी-खरी सुनाईँ। मैंने कहा—“वाह साहब वाह ! तुमने यह खूब आश्रम बनाया। यहाँ तो तुम एक आलीशान महल बनाकर बैठे हो, यह तो खासा एक डाक-वांला है और, इसमे दवाखाना भी खोल दिया है। पास-पड़ोस के गाँवों से तुम्हारे स्वयंसेवक घर-घर दवाइयाँ बाँटते फिरते हैं। कम्पा-जण्डर भी तुम्हारे दवाखाने में हैं। मुझसे बड़े गर्व से कहते हो, नित्य दूर-दूर से लोग दवा लेने हमारे आश्रम मे आते हैं, और हर माह १२०० मरीजों की औसत हाजिरी रहती है। तुमने आश्रम में कभी ऐसा शानदार मकान और दवाखाना देखा था ? मुझे ऐसा महल खड़ा करना होता, या ऐसा बढ़िया दवाखाना खोलना होता, तो क्या उसके लिए मुझे कोई पैसा देनेवाला न मिल जाता ? आश्रम का मकान भी मेरी मर्जी से अधिक खर्चाला था, तो भी तुम्हारे इस महल की बराबरी तो मेरा आश्रम भी नहीं कर सकता। लोगों को इस तरह दवा-दारू देने का काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा काम तो उन्हे आरोग्यता और स्वच्छता का सबक सिखाने का है। स्वेच्छाचारी बनकर गन्दे रहकर, और घर या गाँव को गन्दा रखकर ये लोग बीमार पड़े और तुम्हारा दवाखाना उन्हें दवाइयाँ दे, यह तो ग्राम-सेवा नहीं है ! तुम्हे तो गाँवोंवालों को संयम और स्वच्छता सिखानी है, आरोग्यता के नियम सिखाने हैं। यही उनकी सेवा है। मेरी सलाह मानों, तो इस आलीशान मकान को छोड़ दो, और सामने के भाँपड़े से जा बसो। यह मकान तो भाड़े पर लोकल बोर्ड को उठा दो, और उसे ही यहाँ अपना दवाखाना चलाने दो।” तुम्हे याद होगा, कि चम्पारन मे हमारे पास किननैन, रेण्डी का तैल और आइडीन यही दो-तीन दवाइयाँ रहती थीं। आरोग्य और सफाई की बात

ही ग्राम-सेवक को लोगों के दिल में बिठानी है। आज तो वहाँ यह दशा है, कि लोग चाहे जहाँ पेशाब करने बैठ जाते हैं, चाहे जहाँ थूक देते हैं और चाहे जहाँ कूड़ा-कचरा डाल देते हैं।

इसके बाद उसे गाँव के हरिजनों की सेवा करनी है। ग्राम-सेवक का घर हरिजनों के लिए हमेशा खुला रहेगा। संकट और कठिनाई के समय स्वभावतः वे लोग उसके यहाँ दौड़े आयेंगे। अगर गाँववाले उस सेवक के घर में हरिजनों का आना-जाना पसन्द न करें, और उसे अपनी बस्ती से निकाल बाहर कर दें, या वहाँ रहकर वह हरिजन-सेवा न कर सके, तो हरिजन-बरती में जाकर वह अपना डेरा डाल ले।

शिक्षा में अच्छर-ज्ञान का स्थान

अब रहा शिक्षा का प्रश्न। १६२२ में जो 'बालपोथी' मैंने लिखी थी, उसे मैं भूला नहीं हूँ। उसमें की चीज़ मैं आप लोगों को यद्यपि अहण नहीं करा सका, पर वह चीज़ अब भी मेरे पास वैसी ही बनी ढुँढ़ दें। मैं नहीं जानता, कि वह पोथी आज प्राप्य है या नहीं; पर वह उपलब्ध न हो, तो मैं उसे फिर से लिखकर दे सकता हूँ। बात तो असल में यह है, कि हाथ के पहले बालकों की आँख, कान और जीभ काम करेगी। इसलिए इतिहास, भूगोल आदि जो भी अध्यापक उसे पढ़ायेगा, वह जबानी ही पढ़ायेगा। इसके बाद वह वर्णमाला और वारह-खट्टी पढ़ेगा, और फिर अक्षर-चित्रों के बनाने का अभ्यास करेगा। इसका पूरा-पूरा प्रयोग आपको करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों की बुद्धि तक पहुँचकर उसे जागृत करने का मेरा यह मार्ग सुगम-से-सुगम है। मेरे बचपन का अनुभव मेरी स्मृति में अब

भी बेसा ही ताजा बना हुआ है। जब मैंने महाभारत की कहानियाँ सुनी थीं, तब मैं शायद अक्षर गोदना सीख रहा था, और रामायण की बात जब सुनी, तब एक-दो पोथियाँ पढ़ी होंगी। पर इससे मुझे महाभारत और रामायण की कथा-कहानी समझने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती थी।

लोगों को हमें भ्रम-जाल में नहीं डालना है। अगर हमने उनसे यह कहा, कि बिना अक्षर-ज्ञान के शिक्षा प्राप्त होने की नहीं, तो वे उलटे ही रास्ते जायेंगे। बड़ों को और बालकों को इस प्रकार मौखिक ज्ञान देने की यह बात मेरी इस ग्राम-संगठन की कल्पना में मौजूद है। किन्तु इसका अर्थ कोई यह न करे कि मैं साक्षरता का विरोधी हूँ। मैं तो अक्षर-ज्ञान का सदुपयोग चाहता हूँ।

ग्राम-सेवक साहित्यिक या ज्ञान-विळासी जीवन बिताकर ग्राम-वासियों को असली शिक्षा-दान नहीं दे सकता। उसके पास तो बसूला होगा, हथौड़ा होगा, कुदाली होगी, फावड़ा होगा—किताबें तो थोड़ी-सी ही होंगी, किताबें पढ़ने में वह कम-से-कम समय लगायगा। लोग जब उससे मिलने आवें, तो वे उसे पढ़े-एड़े किताबों के पन्ने उलटते हुए न देखें। उन्हे तो वह औजार चलाता हुआ ही मिले। मनुष्य जितना खाता है, उससे अधिक पैदा करने की शक्ति इश्वर ने उसे दी है। दुर्वल से भी दुर्वल मनुष्य इतना पैदा कर सकता है। इसके लिए वह अपने बुद्धि-बल का उपयोग करेगा। लोगों से यह कहेगा, कि मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, पेट के लिए आप मुझे दो रोटियाँ देदें। सम्भव है, कि लोग उसका तिरस्कार करें, यह हीते हुए भी उसे अपने गाँव में टिका तो रहने देंगे ही। किसी जगह उसे संनातनी रोटी न दें, तो हरिजन भाई तो देंगे ही। उसने यदि सर्वोर्पण

कर दिया है, तो हरिजनों के घर से रोटी लेते उसे लज्जित होने की नखरत नहीं। उसे यदि भोजन मिल जाय, तो वह अपनी पैदा की हुई चीजों के बेचने आदि के जंजाल में न घड़। पर जहाँ लोगों का सहयोग न मिलता हो, वहाँ वह खुद कोई भी उद्योग करके उससे अपना गुजारा कर लेगा। शुरू-शुरू में तो जहाँ हो सके किसी सामाजिक संस्था के कोष से थोड़ा-सा पैसा लेकर वह अपना निर्वाह कर सकता है।

गो-रक्षा

अभी गो-रक्षा का प्रश्न मैंने जान-मानकर छोड़ दिया है यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। अभी तो हम चमड़ा सिखाने और रङ्गने का ही सबाल हल नहीं कर सके। यह तो सूक्ष्म रहा है, कि गाय का पुनरुद्धार हमें किस प्रकार करना है, पर यह बात अभी ठीक-ठीक समझ में नहीं आई, कि इस सम्बन्ध के उपायों की योजना किस तरह तैयार की जाय। मैंस को उत्तेजन देना एक तरह से गो-वंश का नाश करना है। पर यह चर्चा तो फिर कभी कहँगा।

आत्म-बल ही मुख्य बल है

याद रखिए, कि हमारे अख्य-शब्द सब आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक शक्ति एकबार हममें आई, कि फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। इस बात को मैं अपने अनेक वर्षों के अनुभव-सिद्ध विश्वास के आधार पर कह रहा हूँ। यह आध्यात्मिक शक्ति चर्मचक्षु से प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली कोई साकार वस्तु नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ, कि मुझे तो यह प्रत्यक्ष ही देख पड़नेवाली जैसी चीज लगती है।

आप यह न कहें, कि ग्राम-सेवा का यह कार्यक्रम तो हमसे पूरा

होने का नहीं, यह चीज तो असम्भव है, क्योंकि हममें उतनी योग्यता हीं नहीं। मेरा तो यह कहना है, कि यदि यह बात निःसंशय रीति से आपके दिल मे बैठ गई है, तो आप सब लोग इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, आप अयोग्य नहीं हैं। बात तो समझ में आ गई, पर उसपर हम अमल कर नहीं सके, इसमे कोई घबराने या हताश होने की बात नहीं। प्रयोग करने मे शर्म कैसी ? हमे तो गाँवों मे बैठकर इसे अमल मे लाना है। अमल करते-करते ही तो अनुभव प्राप्त होगा।

ह० से० ७-९-३४

: १६ :

वीरभूमि का एक नम्र देहाती

‘वीरभूमि के एक नम्र देहाती’ ने, जो कि शान्ति-निकेतन में रहते हैं, दीनबन्धु एण्ड्रूथूज की मार्फत मेरे पास नीचे लिखे प्रश्न में भेजे हैं :—

१. “आपकी राय में आदर्श भारतीय ग्राम की कल्पना क्या है ? और हिन्दुस्तान की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक हालत में ‘आदर्श गांव’ के ढंग पर एक ग्राम का किस हद तक वास्तविक पुनर्निर्माण किया जा सकता है ?

२. एक कार्यकर्ता को सबसे पहले गांव की किन समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए और किस प्रकार उसे उनकी शुरुआत करनी चाहिए ?

३. छोटे पैमाने पर ग्रामीण प्रदर्शनियाँ या संग्रहालय बनाये जायें तो उनके खास-खास विषय क्या हों और गांवों के पुनर्निर्माण में इन प्रदर्शनियों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाय ?”

१. आदर्श भारतीय ग्राम इस तरह बसाया और बनाया जाना चाहिए, जिससे वह सम्पूर्णतया नीरोग हो सके। उसके भर्ऊपड़ों और मकानों में काफी प्रकाश और वायु आ-जा सके। और ऐसी चीजों का बना हो, जो पाँच मील की सीमा के अन्दर उपलब्ध हो सकती

। हर मकान के आस-पास या आगे-पीछे इतना बड़ा अंगन हो, जिसमें गृहस्थ अपने लिए साग-भाजी लगा सके और अपने पशुओं

को रख सके। गाँव की गलियों और रास्तों पर जहाँतक हो सके धूल न हो। अपनी ज़रूरत के अनुसार गाँव में कुंए हों, जिनसे गाँव के सब आदमी घानी भर सकें। सबके लिए प्रार्थना-घर या मंदिर हों, सार्वजनिक सभा बगैरा के लिए एक अलग स्थान हो, गाँव की अपनी गोचरभूमि हो, सहकारी ढंग की एक गोशाला हो, ऐसी प्राथमिक और माध्यमिक शालायें हों, जिनमें औद्योगिक शिक्षा सर्व-प्रधान वस्तु हो, और गाँव के अपने मामलों का निपटारा करने के लिए एक ग्राम-पंचायत भी हो। अपनी ज़रूरतों के लिए नाज, साग-भाजी, फल, खादी बगैरा खुद गाँव में ही पैदा हो। एक आदर्श गाँव की मेरी अपनी यह कल्पना है। मौजूदा परिस्थिति में उसके मकान ज्यों-के-त्यों रहेंगे। सिर्फ़ यहाँ-वहाँ थोड़ा-सा सुधार कर देना अभी काफ़ी होगा अगर कहीं जमोदार हो और वह भला आदमी हो या गाँव के लोगों में सहयोग और प्रेम-भाव हो, तो बगैर सरकारी सहायता के, खुद ग्रामीण ही—जिनमें जमोदार भी शामिल हैं—अपने बलपर लगभग ये सारी बातें कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ़ नये सिरे से मकानों को बनाने की बात छोड़ दीजिए। और अगर सरकारी सहायता भी मिल जाय, तब तो ग्रामों की इस तरह पुनर्चना हो सकती है, कि इसकी कोई सीमा ही नहीं। पर अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि खुद ग्राम-निवासी अपने बलपर परस्पर सहयोग के साथ और सारे गाँव के भले के लिए हिल-मिलकर मेहनत करें तो क्या-क्या कर सकते हैं? मुझे तो यह निश्चय हो गया है कि अगर उन्हे उचित मशविरा और मार्ग-दर्शन मिलता रहे तो गाँव की—मैं व्यक्तियों की बात नहीं करता—आय वरावर ढूनी हो सकती है। व्यापारी दृष्टि से काम में आने लायक अखूट, साधन-सामग्री हर

गाँव में भले ही न हो, पर स्थानीय उपयोग और लाभ के लिए तो लाभग हर गाँव में है। पर सबसे बड़ी घटक्रिस्मती तो यह है कि अपनी दशा सुधारने के लिए गाँव के लोग ख़ुद कुछ नहीं करना चाहते।

२. एक गाँव के कार्यकर्त्ता को सबसे पहले गाँव की सफाई और आरोग्य के सबाल को अपने हाथ में लेना चाहिए। यों तो ग्रामसेवकों को किंकर्त्तव्यविमृद्ध बना देनेवाली अनेक समस्यायें हैं, पर यह ऐसी है जिसकी सबसे अधिक लापरवाही की जा रही है। फलतः गाँव की तन्दुरस्ती बिगड़ती जारही है और रोग फैलते रहते हैं। अगर ग्राम-सेवक स्वेच्छापूर्वक भांगी बन जाय तो वह प्रतिदिन मैला उठाकर उसकी खाद बना सकता है और गाँव के रास्ते बुझार सकता है। वह लोगों से कहे कि उन्हे पखाना-पेशाब कहाँ करना चाहिए। किस तरह सफाई रखनी चाहिए, उससे क्या लाभ है, उसके न रखने से क्या-क्या नुकसान होता है। गाँव के लोग उसकी बात चाहे सुनें या न सुनें, वह अपना काम बराबर करता रहे।

३. तमाम ग्रामीण प्रदर्शनियों में प्रधान वस्तु तो चरखा हो, और स्थानीय परिथिति में लाभदायक अन्य उद्योग उसके आस-पास हों। अगर ऐसी प्रदर्शनी हो और उसके साथ-साथ प्रत्यक्ष प्रयोग, और व्याख्यान और पर्चे भी हों तो ग्रामीणों के लिए वह निःसन्देह वस्तु-पाठ का काम देगी और उनके लिए खूब शिक्षा-प्रद होगी।

: २० :

हमारे गाँव

एक युवक ने, जो एक गाँव में रहकर अपना निर्वाह करने की कोशिश कर रहा है, मुझे एक दुःखजनक पत्र भेजा है। यह अंग्रेजी ज्यादा नहीं जानता। इसलिए उसने जो पत्र भेजा है, उसे संक्षिप्त रूप में ही देता हूँ :—

“१५ साल एक क्रस्टे में बिताकर, तीन साल पहले, जब कि २० वरस का था, मैंने इस ग्राम-जीवन में प्रवेश किया। अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण मैं कालेज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। अतः आपने ग्राम-पुनर्रचना का जो काम शुरू किया, उसने मुझे ग्राम-जीवन ब्रह्म करने के लिए प्रोत्साहन दिया। मेरे पास कुछ जमीन है। कोई २५०० की मेरे गाँव में बस्ती है। लेकिन इस गाँव के निकट-समर्थक में आने के बाद कोई तीन-चौथाई से भी ज्यादा लोगों में मुझे नीचे लिखी वात मिलती है :—

- (१) दलबन्दी और लड़ाई-भगाड़े
- (२) ईर्ष्या-द्वेष
- (३) निरक्षरता
- (४) शरारत
- (५) फूड़
- (६) लापरवाही
- (७) बेढ़ंगापन

(८) पुरानी निरर्थक रुढ़ियों से चिपके रहना

(९) बेरहमी।

यह स्थान दूर एक कोने में है, जहाँ आमतौर पर कोई आता-जाता नहीं। कोई बड़ा आदमी तो ऐसे दूर के गाँवों में कभी नहीं गया। लेकिन उन्नति के लिए बड़े आदमियों की संगति आवश्यक है। इस-लिए इस गाँव में रहते हुए मैं डरता हूँ। तो क्या इस गाँव को मैं छोड़ दूँ? आप मुझे क्या सलाह और आदेश देते हैं?"

इसमें शक नहीं कि इस नवयुवक ने ग्राम-जीवन की जो तस्वीर खींची है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण है, मगर उसने जो-कुछ कहा है उसे आमतौर पर माना जा सकता है। यह बुरी हालत क्यों है, इसकी बजह मालूम करने के लिए दूर जाने की जल्दत नहीं। क्योंकि जिन्हे शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त है, उन्होंने गाँवों की बहुत उपेक्षा की हुई है। उन्होंने अपने लिए शहरी जीवन को चुना है। ग्राम-आन्दोलन तो इसी बात का एक प्रयत्न है कि जो लोग सेवा की भावना रखते हैं, उन्हें गाँव में बसकर ग्रामवासियों की सेवा में लग जाने के लिए प्रेरित करके गाँवों के साथ स्वास्थ्यप्रद सम्बन्ध स्थापित कराया जाय। पत्र-प्रेषक युवक ने जो बुराइयाँ देखीं वे ग्राम-जीवन में बद्ध-मूल नहीं हैं। फिर, जो लोग सेवा-भाव से गाँवों में बसे हैं, वे अपने सामने कठिनाइयों को देखकर हतोत्साह नहीं होते। वे तो इस बात को जानकर ही वहाँ जाते हैं कि अनेक कठिनाइयों में, यद्दीतक कि गाँववालों की उदासीनता के होते हुए भी, उन्हें वहाँ काम करना है। जिन्हे अपने मिशन और खुद अपने-आप में विश्वास है, वही गाँववालों की सेवा करके उनके जीवन पर कुछ असर ढाल सकेंगे। सच्चा जीवन बिताना खुद ऐसा सबक है जिसका आस-पास के लोगों पर ज़रूर

असर पड़ता है। लेकिन इस नवयुवक के साथ कठिनाई शायद यह है कि वह किसी सेवा-भाव से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने निर्वाह के लिए, रोजी कमाने को गाँव में गया है। और जो सिर्फ कमाई के लिए ही वहाँ जाते हैं, उनके लिए ग्राम-जीवन में कोई आकर्षण नहीं है, यह मैं स्वीकार करता हूँ। सेवा-भाव के बाहर जो लोग गाँवों में जाते हैं उनके लिए तो उसकी नवीनता नष्ट होते ही ग्राम-जीवन नीरस हो जायगा। अतः गाँवों में जानेवाले किसी युवक को कठिनाइयों से घबराकर तो अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबके साथ प्रयत्न जारी रखना जाय तो मालूम पड़ेगा कि गाँववाले भी शहरवालों से बहुत भिन्न नहीं हैं और उनपर दया करने व ध्यान देने से वे भी साथ देंगे। यह निस्सन्देह सच है कि गाँवों में देश के वडे आदमियों के सम्पर्क का अवसर नहीं मिलता। हाँ, ग्राम-मनोवृत्ति की वृद्धि होने पर जेताओं के लिए यह ज़रूरी हो जायगा कि वे गाँवों में दौरा करके उनके साथ जीवित-सम्पर्क स्थापित करें। मगर चैतन्य, रामकृष्ण, तुलसीदास, कबीर, नानक, दादू, तुकाराम, तिरुवल्लुवर जैसे सन्तों के ग्रन्थों के रूप में महान् और श्रेष्ठ जनों का सत्संग तो सबको अभी भी प्राप्त है। कठिनाई यही है कि मन को इन स्थायी महत्व की वातों को ग्रहण करने योग्य कैसे बनाया जाय? अगर आधुनिक विचारों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक साहित्य प्राप्त करने से आशय हो तो इसके लिए साहित्य मिल सकता है। लेकिन यह मैं मंजूर करता हूँ कि जिस आसानी से धार्मिक साहित्य मिल जाता है वैसे यह साहित्य नहीं मिलता। सन्तों ने तो सर्वसाधारण के लिए ही लिखा और कहा है। पर आधुनिक विचारों को सर्वसाधारण के ग्रहण करने योग्य रूप में अनूदित करने का शौक

अभी पूरे रूप में सामने नहीं आया। यह ज़रूर है कि समय रहते ऐसा होगा सही अतएव इस पत्र-प्रेषक जैसे नवयुवकों को मेरी सलाह है कि अपने प्रयत्न को छोड़ न दें, बल्कि उसमे लगे रहे और अपनी उपस्थिति से गाँवों को अधिक प्रिय और रहने योग्य बना दें। लैकिन ऐसा वे करेंगे, ऐसी सेवा के ही द्वारा जो गाँववालों के अनुकूल हो। अपने ही परिश्रम से गाँवों को अधिक साफ़-सुथरा बनाकर और जितनी अपनी योग्यता हो उसके अनुसार गाँवों की निरक्षरता दूर करके हरेक व्यक्ति इसकी शुरूआत कर सकता है। और अगर उन्हें जीवन साफ़, सुघड़ और परिश्रमी हों तो इसमे कोई शक नहीं कि जिन गाँवों मे वे काम कर रहे होंगे, उनमें भी उसकी छूत फैलेगी और गाँववाले भी साफ़, सुघड़ और परिश्रमी बनेंगे।

: २१ :

एक महान् प्रयोग

अहमदाबाद के 'मजूर-महाजन' (मजदूर-संघ) ने हाल में वाकायदा एक प्रयोग शुरू किया है, जो मजदूरों के अलावा दूसरों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। प्रयोग यह है कि मिलों में काम करनेवाले मजदूर अपने धन्धे के अलावा कोई भी एकाध सहायक धन्धा ठीक तरह से सीख लें। यह इसलिए कि जब किसी मिल के मजदूरों को सशक्त होते हुए भी बेकार हो जाना पड़े, तक उस वक्त के लिए वे इस प्रकार तैयार होजायें कि आजीविका के अन्य साधनों के अभाव में उन्हें भूखों न मरना पड़े। वक्त जल्लरत के लिए कुछ वचा लेने का रास्ता किफायतसारी का तो है ही। पर जहाँ पर्याप्त भोजन और ठीक तरह से रहने लायक मकान भी नसीब न हो वहाँ वच ही क्या सकता है? और कोई कुछ वचाये भी तो, हथ-पर-हथ धरे बैठे रहने से उस पैसे पर कवतक निर्वाह हो सकता है? सच्चा आत्म-विश्वास पैदा करने के लिए मनुष्य के पास जीविका के एक से अधिक साधनों का होना जरूरी है।

मिल-मजदूरों की पहली हड्डताल जब १६१८ मे दो तीन दिन की हुई तब यह विचार सामने आया था। उस समय ही यह विचार आया कि मजदूर सार्वजनिक चन्द्रे के बजाय अपनी मिहनत पर निर्वाह करें, यह जल्दी है। उस वक्त कोई धन्धा तो नज़र मे था नहीं। सत्याप्रहारम के मकान बन रहे थे। वहुत-से तो इस काम मे लग

: २२ :

अपूर्व प्रदर्शिनी

[कांग्रेस के वर्षभूमि-अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया था उसके ठीक-ठीक आशय के अनुसार चर्खा-संघ के मत्री श्री शकरलाल बैंकर और ग्राम-उद्योग-संघ के मत्री श्री जे० पी० कुमारप्पा की सहायता से लखनऊ-कांग्रेस की स्वागत-समिति ने लखनऊ में एक प्रदर्शिनी का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन २८ मार्च की शाम को गाँधीजी ने किया। अपने ढांचे की यह एक अपूर्व प्रदर्शिनी है। तफसीलवार वर्णन तो इसका मैं अगले अकड़ में करूँगा, यहाँ तो सिर्फ गाँधीजी के भाषण को सक्षिप्त रूप में दे रहा हूँ। म० द०]

मुझे आशा नहीं थी कि ईश्वर मुझे इस प्रदर्शिनी को खोलने का मौका देगा। मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि आखिरी वक्त तक प्रदर्शिनी के कार्यकर्त्ताओं को मैं यह विश्वास न दिला सका कि मैं अवश्य ही आजाऊँगा। शुरू से ही मेरा दिल तो बहुत चाहता था कि इस प्रदर्शिनी को खोलने के लिए मैं यहाँ जरूर आऊँ। यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि डा० मुरारीलाल और श्री शक्करलाल बैंकर ने इस प्रदर्शिनी को जुटाने में बहुत अधिक परिश्रम किया है, तो भी उनकी इस मेहनत के पीछे कल्पना मेरी ही थी। इस तरह की प्रदर्शिनी के बारे में वरसों से अपने दिल में जो कल्पना मैं रखता आया था, उसको मैं इस प्रदर्शिनी में देखता हूँ। सन् १९२० में कांग्रेस का जब नया विधान बनाया गया, तो पहली बार हमारा ध्यान गाँधी की ओर गया। उसके बाद

से ही हम अपने देहाती भाई-बहनों के विषय में भी कुछ सोचने लगे। नये विधान के बाद अहमदाबाद की कांग्रेस के साथ, जो नुमा-झा हुई थी, उसमें मैंने इस सम्बन्ध की अपनी कुछ कल्पनाओं को मूर्तरूप देने की चेष्टा की थी। मैं मानता हूँ, कि देहात और देहातियों के बारे में मैंने खूब सोचा है। और यह तो मैंने हमेशा ही कहा है कि हिन्दुस्तान हमारे चन्द शहरों से नहीं, बल्कि ७ लाख गांवों से बना है। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देहात के नहीं, शहर के रहनेवाले हैं और हम भी से कइयों का यह खयाल है कि हिन्दुस्तान शहरों में है और देहातवाले शहरवालों की खिदमत के लिए है। यही बजह है, कि हम देहातों के बारे में उनके सुख-दुःख और भूख-प्यास के सम्बन्ध में बहुत कम सोचते हैं। हम इस बात का कभी खयाल भी नहीं करते कि उन्हें क्या तो खाने-पीने को मिलता है, और क्या पहनने-ओढ़ने को। कांग्रेस का काम करनेवाले चन्द लोग ऐसे जल्द हैं, जो देहातियों के सुख-दुःख में हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन थोड़े-से लोगों के नाम पर शहर-वाले यह दावा नहीं कर सकते कि वे देहातवालों की सेवा करते हैं।

देहातों की जो हालत है, उसे मैं खूब जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान को धूमकर जितना मैंने देखा है, उतना कांग्रेस के नेताओं में से किसीने नहीं देखा है। पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भ्रमण मैंने किया है, उतना और किसीने नहीं किया। यह बात मैं किसी अभिमान के बश होकर नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यह बतलाना चाहता हूँ कि देहात के बारे में जो-कुछ मैं कहता हूँ वह पूरे तजुर्बे के आधार पर। मैं यह कह सकता हूँ कि हिन्दुस्तान के देहातों को शहरवालों ने छूसा है कि उन बेचारों को अब

रोटी का एक ढुकड़ा भी वक्त् पर नहीं मिलता और वे दाने-दाने को तरसते हैं। यह बात अकेला मैं नहीं कहता, जिन अंग्रेजों की यहाँ हुक्मपत्र है, वे यह तो नहीं कह सकते कि हिन्दुस्तान भूखों मर रहा है, लेकिन उनमें से किसीने अबतक यह नहीं कहा कि हिन्दुस्तानियों को भर-पेट खाना मिलता है। क्या आप जानते हैं कि देहातवालों को खाने के लिए क्या मिलता है? अगर चावल मिलता है तो दाल नहीं मिलती, और रोटी मिलती है तो साग-भाजी नहीं मिलती। कहीं-कहीं तो देहातवाले सिर्फ सत्तू खाकर जीते हैं। यह सत्तू क्या है, सो आपको बताऊँ? लोग मटर, चना और जौ वगैरा को भूनकर पीस लेते हैं और अगर मिला तो थोड़ी मिर्च और गन्दा-सा नमक मिलाकर उसी को खा लेते हैं। यही उनकी खूराक होती है। इस खूराक पर कैसे तो वे जिन्दा रह सकते हैं, कैसे तगड़े और तन्दुरुस्त बन सकते हैं और कैसे उनकी बुद्धि का विकास हो सकता है? यह बिलकुल नामुम-किंन बात है। अगर हम लोगों को इस खूराक पर जीना पड़े तो शायद दूसरे ही दिन हम यह शिकायत करेंगे कि इसे खाकर जीना हमारे लिए सम्भव ही नहीं है। तन्दुरुस्त रहना, काम करना और दिमाग से सोचना तो दूर की बात है।

देहातवालों की इन्हीं सब मुश्किलों का खयाल करके पिछले साल वर्षबई मेरी कांग्रेस ने अखिल-भारतीय-ग्राम-उद्योग-संघ नामक एक नई संस्था खोली। इससे पहले अखिल-भारत-चर्चा-संघ-द्वारा देहात में खादी का काम हो रहा था। आज भी हो रहा है, लेकिन, अकेले इससे मुक्ते कभी सन्तोष न था। मैं तो कह वर्षों से यह मानता आ रहा हूँ कि खादी के अलावा, दूसरे भी ऐसे अनेक धन्धे हैं, जो गाँववालों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी हैं, और जिससे

उनकी हालत एक बड़ी हडतक सुधारी जा सकती है। इसके लिए हमें यह देखना है कि देहातवाले कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनके कामको कैसे तरक्की दी जा सकती है। यही बजह है कि काँग्रेस ने गांधी में काम करनेवाले चर्खा-संघ और ग्राम-ज्योग-संघ को इन प्रदर्शनी के आयोजन का भार सौंपा है। इस बार की यह प्रदर्शनी अपने ढङ्ग की पहली प्रदर्शनी है। इसकी रचना के पीछे कल्पना मेरी रही है। यह देहातवालों के हित के लिए है। लेकिन उन्हें लखनऊ लाना तो बड़ा कठिन काम है। उनमें से असंख्य स्त्री-पुरुष तो ऐसे हैं कि जो लखनऊ का नाम तक नहीं जानते। हमारे लिए यह कोई अचरज की बात नहीं है, बल्कि वहे रंज और शर्म की बात है। इसीलिए इस नुमाइश के जरिये हम दिखाना यह चाहते हैं कि भूख से बेहाल इस हिन्दुस्तान में भी आज ऐसे-ऐसे हुनर, ज्योग-धन्वे और कला-कौशल मौजूद हैं, जिनका हमें कभी ख्याल भी नहीं होता। इस नुमाइश की यही विशेषता है।

अगर आप शहरों में होनेवाली दूसरी नुमाइशों से इसकी तुलना करेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको इसमें निराशा होगी। लेकिन यदि आप देहातवालों का ख्याल लेकर वैसी नजर से इसे देखेंगे तो आपको इस नुमाइश से कभी ना-उम्मीद न होना पड़ेगा। साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि यह नुमाइश कोई तमाशा नहीं है और न इसे तमाशा बनाने का कभी ख्याल ही रहा है। यह नुमाइश तो एक ऐसी चीज़ है, जिससे आदमी बहुत-कुछ सीख सकता है। जिन्होंने इसे बनाया है, उन्होंने तो अपने वश-भर इसे तमाशा न बनाने की ही चेष्टा की है। लेकिन अकसर काँग्रेस के साथ होनेवाली नुमाइश से काँग्रेस का खर्च निकालने का ख्याल रहता है। और अवतक की काँग्रेस-

प्रदर्शनियों का आयोजन बहुत-कुछ इसी खयाल से होता रहा है। लेकिन आज की इस नुमाइश से पैसा पैदा करने का इरादा असल में कभी नहीं रहा। मद्रास-कांग्रेस के साथ जो नुमाइश हुई थी, उसमें हमें सबसे ज्यादा पैसा मिला था। लखनऊ में भी चाहें तो काफी पैसा मिल सकता है।

पर यह नुमाइश तो एक ऐसी चीज़ है, जिसमें मनुष्य बहुत-कुछ सबक सीख सकता है। इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई अगर कुछ सीखना चाहे तो जबतक यह नुमाइश खुली है तबतक इससे फायदा उठाकर वह बहुत-कुछ सीख सकता है। हम इसे कुछ सीखने की दृष्टि से देखें, तमाशे की दृष्टि से नहीं। मैं तो यह मानता हूँ कि जो एक बार इस नुमाइश को देख लेगा, उसे फौरन ही पता चल जायगा कि हिन्दुस्तान के देहातों में अब भी कितनी ताकत भरी पड़ी है।

देहात की इस ताकत को पहचान कर जो २८ करोड़ देहातियों की सेवा करता है, वही कांग्रेस का सज्जा सेवक है। जो इन करोड़ों की सेवा नहीं करता, वह कांग्रेस का सरदार या नेता हो सकता है, सेवक या बन्दा नहीं बन सकता।

मृत-प्राय या अधमरा होने पर भी हिन्दुस्तान में जो ताकत आज मौजूद है, उसका खयाल आपको इस नुमाइश में मैसूर, मद्रास और काश्मीर से आये हुए कारीगरों के हुनरों को देखकर होगा। इन कारीगरों-द्वारा बड़ी मिहनत से बनाई हुई रुपयों की चीजों को कौड़ियों के मोल खरीदकर हमने उन्हे जिस दिशा को पहुँचा दिया है, वह हमारे लिए जरा भी शोभास्पद नहीं है। चर्खा-सघ और ग्राम-उद्योग-संघ के जरिये हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि

इन कारीगरों को अपनी मिहनत के बदले में पूरी मज़दूरी मिले ताकि वे सुख से रह सके। लेकिन हमारी यह कोशिश बगैर आपकी मदद के कैसे कामयाब हो सकती है? हम तो यह चाहते हैं कि जिन लोगों को पहले सारा दिन काम करने पर दो पैसे दिये जाते थे, उन्हे =), ३) या ५) दें और अगर हो सके तो १०) भी दें। लेकिन यह तो तभी हो सकता है कि जब आप हमें इस बात की गारण्टी दें कि उनको बनाई चीजों को आप पूरे दाम देकर खरीदेंगे। किन्तु मैं यह जानता हूँ कि आज आप इसके लिए तैयार नहीं हैं।

इस बात को यहीं छोड़कर मैं आपका ध्यान नुमाइश के अन्दर रक्षी हुई चीजों की ओर दिलाना बेहतर समझता हूँ। आमतौर पर हमारी नुमाइश सिनेमा का ठाठ बन जाती है। यहाँ वह सब ठाठ नहीं है। और नुमाइश का यह सीधा-साधा-सा दरवाजा मेरी इस बात का सबूत है। दरवाजे पर हल, पहिये, पब्जे और नरही बगैरा जो लगे हैं, सो सब हमारे प्राम-जीवन के सूचक हैं। दरवाजे के आस-पास दोनों ओर हमारे प्राम-जीवन का परिचय करानेवाले जो चित्र लगे हैं, वे श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्ति-निकेतक से आये हुए श्री नन्दलाल बोस की प्रेरणा से उन्हींकी देख-रेख में बने हैं। नन्दलाल बाबू सो हिन्दुस्तान के एक बड़े ऊचे कलाकार हैं। नुमाइश के अन्दर जिस चित्रशाला का निर्माण उन्होंने किया है, वह तो अवश्य ही देखने योग्य है। उससे हमें हिन्दुस्तान की पुरानी कला के उत्कर्ष का बोध होता है और इस समय जो ज्ञात और अज्ञात कला-कार देश में मौजूद हैं उनके सामर्थ्य का परिचय करानेवाली कृतियाँ देखने को मिलती हैं।

देहातवालों के बारे में मैं अपने आपको बहुत विज्ञ (Expert)

समझता हूँ। लेकिन इस नुमाइश में तो मुझे भी सबक़ सिखानेवाली कई चीजें मैं देख रहा हूँ। अगर मेरी तन्दुरस्ती ठीक रही, तो मैं कई बार इसे आकर देखनेवाला हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैं यहाँ से बहुत-कुछ सीखकर जा सकता हूँ। जो सीखना चाहते हैं वे तो प्रवेश-द्वार की रचना और आसपास बने हुए इन चित्रों से भी बहुत कुछ बिना पैसा खर्चे ही सीख सकते हैं।

इनके अलावा भी नुमाइश के अन्दर कई चीजें ऐसी हैं, जिनका गौरव के साथ उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन मैंने तो एक देहाती के ढंग से बहुत थोड़े मैं कुछ बातें आप लोगों को बतला दी है। अगर मैं कलाकार होता तो इन्हीं सब वस्तुओं का ऐसा वर्णन आपको सुनाता कि आप सुनकर मुग्ध हो जाते। लेकिन मेरे-जैसे देहाती के लिए यह सम्भव नहीं है। मैं देहाती हूँ या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा दिल देहाती है, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं। इसलिए मैंने इस नुमाइश का जिक्र एक देहाती के हैसियत से आपके सामने किया है। हाँ, बैण्ड-बाजों और खेल-तमाशों का अभाव देखकर आप निराश न हों। यह नुमाइशें इन चीजों के लिए है ही नहीं। यहाँ तो आपको कुछ ऐसे बेहाल आदमी देखने को मिलेंगे जो दिन-भर मिहनत करके मुश्किल से दो-चार आने पैसे पाते हैं।

इस नुमाइश में तो नुमाइशी चीजों के अलावा ऐसे कारीगर भी यहाँ आये हैं, जो अपने हुनर आवको बताने को तैयार हैं। आप उनके पास बैठकर उनसे बहुत-सी बातें सीख सकते हैं। ऐसा सुभीता और ऐसा अवसर छोड़ने योग्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो चन्द्र लोग यहाँ आगये हैं, वे इस नुमाइश के लिए मेरे प्रचारक बन जायें और दूर-दूर तक इसका सन्देश पहुँचा दें। वरना

आपके सिर यह इलजाम रहेगा कि देहातवालों के लाभ के लिए जो नुमाइश की गई थी उसकी आपने उपेक्षा की ।

आप यह याद रखिये कि यह नुमाइश देहातवालों के लिए नहीं, आपके लिए है । देहातवाले इसे क्या देखेंगे ? वे तो इसे देखकर यही कहेंगे कि ऊँह, इसमे क्या रक्खा है ! इससे अच्छी-अच्छी चीज़ें हम अपने गांव मे दिखा सकते हैं । इसलिए मैं कहता हूँ कि यह नुमाइश तो शहरवालों के लिए है । और यदि मैं इसके लिए आपसे पैसा न लूँ तो किससे लूँ ? क्या देहातवालों से लूँ ? उनके लिए जैसी नुमाइश मैं चाहता हूँ, मौक़ा मिलने पर वेसी नुमाइश भी मैं करके दिखाऊँगा, और यदि मैं मर गया तो मेरे पीछे रहनेवाले उसे करके दिखायेंगे ।

इस नुमाइश के लिए स्वागत-समिति ने ऐसी जगह का प्रबन्ध करके ३५ हजार के खर्च का बजट बनाया है । मैं जानता हूँ कि इस कार्य मे, उसे कई परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है । स्वागत-समिति ने जो ३५ हजार सूपया खर्च किया है । उसे वापस दे देना आपका फ़र्ज़ है, इसीलिए तो मैं आपको अपना प्रचारक नियुक्त कर रहा हूँ । इस प्रचार-कार्य का कोई कमी-शन मैं आपको नहीं दूँगा । लेकिन ईश्वर जरूर देनेवाला है । अगर आपको उसपर ऐतबार है, तो वह आपका कमीशन जरूर आपको भेज देगा ।

मैं भी आपके इस शहर मे थोड़े दिन पड़ा रहनेवाला हूँ । मैं रोज यह पता लाता रहूँगा कि किस तरह आप मेरी एजेन्सी का काम करते हैं । आपके काम की परीक्षा के लिए मैं नुमाइश के खजांची से रोजाना यह पूछता रहूँगा कि अपने नुमाइश के लिए कितने आदमी और कितने पैसे भेजे । मैं उम्मीद करता हूँ और

अदब के साथ कहता हूँ कि नुमाइश के लिए रक्खे गये ॥ या ॥ के टिकिट के लिए कोई शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों की पूरी सहायता रही तो हमारा यह इरादा है कि हम यहाँ आनेवाले देहाती किसानों और मजदूरों को यह नुमाइश मुफ्त में देखने का मौका दे, लेकिन यह तभी हो सकता है, जब आप लोग लाख-दो लाख की संख्या में इस नुमाइश को देखने आवें और मेरा हौसला बढ़ा दें। बरना यह सुनकर कि आज नुमाइश में दो हजार आदमी आये, कल एक हजार और परसों कोई भी नहीं आया, मुझे सदमा पहुँचेगा। लेकिन अगर मेरे जैसे देहाती के नसीब में यह भी लिखा है तो उसे सह लूँगा। अन्त में, मैं यह कहूँगा कि इस प्रदर्शनी में जो त्रियाँ रह रहे हैं, मुझे उन्मीद है, आप उन कमियों को दरणुजर करके इसमें जो कुछ सीखने लायक है, सो जरूर सीखेंगे।

: २३ :

लखनऊ की प्रदर्शिनी

“उस दिन मैंने आपसे यह कहा था कि यह नुमाइश कोई सिनेमा जैसी तमाशे की चीज़ नहीं है। मेरे यह कहने का आशय असल में कितना गहरा था इसे आप अच्छी तरह समझ लें। आप मेरी आँखों और कानों को लेकर इस प्रदर्शिनी में घूमेगे, तो आपके मुँह से यह निकल ही पड़ेगा कि वाह! कौसी सुन्दर प्रदर्शिनी है।” यहाँ ऐसे अनेक नवयुवक होंगे, जो किसी स्त्री का नाच देखकर, उसके हाव-भावों पर मोहित हो ‘वाह-वाह’ कहने लग जाते होंगे। पर भगवान ने हमे जो आँखें दी हैं, वे किसी स्त्री का नाच देखकर ‘वाह-वाह’ कहने के लिए नहीं दी हैं। माता के रूप में हम उसे पहचाने, इसीलिए भगवान ने हमें ये आँखें दी हैं। यहाँ आप आयेगे, तो अपनी आँखों और कानों को पवित्र बनायेंगे। प्रत्येक असुशिक्षाप्रद वस्तु के विष्ण्कार का यहाँ प्रथत्न किया गया है। मेरी आँखों से आप देखेंगे, मेरे कानों से सुनेगे तो आपके मुँह से जो ‘वाह’ निकलेगा वह शुद्ध ‘वाह’ होगा, गलदा ‘वाह-वाह’ नहीं। दरगाह, मस्जिद, अथवा मन्दिर में खुदा या राम का नाम सुनकर हम आनन्द-मन हो जाते हैं। इस नुमाइश को भी आप वैसी ही पवित्र वस्तु समझें। यहाँ आपको कोई रंग-राग या तमाशा दिखने को नहीं मिलेगा। आप तो इसे मेरी आँखों से देखें। यह नहीं कि किसी ‘मन्त्रात्मा’ की आँखों से आप देखें। मैं तो एक देहाती हूँ, एक प्राकृत मनुष्य हूँ। इसलिए आप तो इस ग्रामोद्योग

प्रदर्शिनी को मेरे जैसे एक देहाती और प्राकृत मनुष्य की ही आँखों से देखें।

“कोई भी चार बार देखने की फीस ?) देकर यहाँ चार सबक सीख सकता है। पत्थर के ऐनक होते हैं, यह आपने सुना ही होगा। यहाँ तो आप पत्थर के ऐनक बनते हुए देखते हैं। यह काम आप और कहाँ सीखने जायेंगे ? पर यह तो कुछ मुश्किल-सा काम है। यहाँ कागज भी बनता है। कागज का हुनर कितनी तरक्की कर गया है, यह देखकर आप हैरान हो जायेंगे। कागज तो दस बरस का लड़का भी बनाना चाहे तो बना सकता है। कागज बनाना यहाँ आप अच्छी तरह ध्यान से देख जायें तो अपने घर जाकर इस धन्धे को शुरू कर सकते हैं। आप तो यहाँ एक-से-एक नई चीज़ कदम-कदम पर देखेंगे, और देखकर चकित हो जायेंगे।

“पश्चिम से आई हुई हरेक चीज में हम चमत्कार देखने के तो कुछ आदी-से हो गये हैं। पर आप चमत्कार ही देखना चाहे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। इससे भी छोटी प्रदर्शिनी अगर मैं लगाऊं तो मैं तो उसमें भी चमत्कार दिखा सकता हूँ। यहाँ एक कुम्हार की दुकान पर मट्टी की छोटी-छोटी सुन्दर चीजें देखकर मैं तो हैरान होगया। स्याही रखने के लिए मैंने दुकान से एक छोटी-सी सुन्दर ढावात खरीदी है। मैं समझ रहा था कि उसकी कीमत छः-सात आने होगी। पर जब मुझसे कहा गया कि वह तो पैसे की है, तो मेरे अचरण का पार न रहा। आप तो उसे देखकर शायद यह कहेंगे कि वह जर्मनी या जापान की बनी हुई तो नहीं है ? पर वह तो देहात की बनी हुई चीज़ है। इसे आप चमत्कार नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे ? ऐसे-ऐसे चमत्कार आप यहाँ पायेंगे। हाड़-पंजारों के देश उडीसा को

तो आप जानते ही होंगे ? अस्थि-कंकालों के उस भुखमरे दगिद्र देश से भी कुछ कारीगर यहाँ आये हुए हैं। उनकी बनाई हुई हाथी-दांत की, सींग की और चाँदी की चीजों को आप जाकर देखिए। कैसी चमत्कारी चीजें हैं। यही नहीं कि वे चीजें यहाँ बनी-बनाई रखी हैं, वे किस तरह बनाई जाती हैं, यह भी आप जाकर देख सकते हैं। आप देखें कि हाड़-पंजरों तक में बसनेवाली मनुष्य की आत्मा किस तरह निर्जीव सींगों और धालुओं में प्राण डाल सकती है। एक वहिन ने उस दिन कृष्ण की हाथी-दांत की बनी एक छोटी-सी मूर्ति खरीदी। वह भगवान् कृष्ण को पूजनेवाली नहीं थी। पर अब वह मुझसे कहती है कि वह उस सुन्दर सलोनी मूर्ति की पूजा करने लगी है। क्या इसे आप चमत्कार नहीं कहेगे ?

“पर हमारी आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि आँखों के सामने ही जो चमत्कार हो रहे हैं वे हमें नगण्य-से लगते हैं, और वाहर की चीजों में कला-ही-कला दिखाई देती है। यूरोप के किसी चश्मे से एक अजीब-से नाम का पानी यहाँ आता है वह हमारे लिए जादू-जैसा चमत्कारी असर पैदा करनेवाला हो जाता है। कहते हैं, कि वह हाजमे के लिए एक ही होता है। और हमारा पवित्र गंगा-जल, जो कहीं अधिक शोधक और प्रकृति से ही कीटाणु-नाशक होता है, हमें एक गत्तें पोखरे के पानी से कुछ अधिक अच्छा नहीं जँचता ।”

“यह तो आप देख ही रहे हैं कि ब्रावणकोर, कटक, काश्मीर आदि कितनी-कितनी दूर से यहाँ कारीगर आये हुए हैं। ये बेचारे तो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके कुछ पैसा पैदा करने के लिए ही आये हैं। इसलिए जिन्हे भगवान् ने पैसा दिया है, उन्हे यहाँ कोई-न-कोई चीज़ वो खरीदनी ही चाहिए। यह बात नहीं कि यहाँ एक पैसे की चीज़

के दो रूपये लिये जाते हैं। हाँ, यह दूसरी बात है कि आप किसी चीज पर मुग्ध होकर उसपर दो रूपये न्यौछावर कर दें। जो चीज आप यहाँ लेंगे उसका पैसा किसी धनी या बीचवाले आपकी जेब मे लहीं जायगा। वह तो उस गरीब देहाती की जेब में जायगा, जिसके कि हम सब देनदार हैं। हम लोग देहातियों पर जी रहे हैं। देहातियों को शहरवाले चूस रहे हैं, इस शोषण का कुछ-न-कुछ बदला तो हमें देना ही चाहिए। शहरवालों और देहातियों के बीच जो भारी खाई है, उसपर पुल तो बैठ गया है, देरी तो हम दोनों के मिलने-भर की है। यह मिलाप ग्रामोद्योगों को अपनाने से ही होगा। यह कोई दान देने की बात नहीं है, मैंने तो यह शुद्धि बनियापने की बात कही है। जौ ये चीजें खरीदें वे भी 'वाह-वाह' कहते जायें, और काश्मीर, त्रावण्कोर, कटक आदि से जो कारीगर आये हैं, वे भी जब अपने-अपने घर जायें, तो कहे कि 'वाह ! लखनऊ में हमारी चीजों की कितनी अच्छी क़दरदानी हुई।' मेरी इन बातों को आप दिल में लिख लें तो सैं यह मान लेंगा कि मेरे व्याख्यान की भी फीस मुझे मिल गई है।"

ग्रामवासियों की प्रदर्शनी

[२५ दिसम्बर को फैजपुर में खादी तथा ग्राम-उद्योगों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय गाँधीजी ने जो भाषण दिया था, उसका सारांश मैं नीचे दे रहा हूँ। अखबारों में २७ तारीख के भाषण की तरह, जो और भी महत्वपूर्ण था, इस भाषण की भी सभी तरह की रिपोर्ट आई है, और उनके शब्दों का ही नहीं, बल्कि उनके हाव-भावों तक का तरह-तरह का अर्थ लगाया गया है। २५ तारीख का भाषण देते समय वह ऐसे गम्भीर नहीं थे और वह छोटे-छोटे विनोदों से भरा हुआ था। बोलते जाते थे, और एक के बाद दूसरी चौज उठा-उठाकर लोगों को दिखाते जाते थे। एक आदमी गाँवीजी के हाथ में लोमड़ी का जो चमड़ा था उसे नहीं देख सका। उसने वहीं से चिल्लाकर बहा, “हृपा कर आप अपना हाथ तो बतलाइए” गाँधीजी ने तुरन्त जवाब दिया, “जरा ठह-रिए, मैं अभी ठीक तरह से बतलाता हूँ”—मतलब यह कि उस चमड़े को वह अभी थोड़ी देर में बेचनेवाले हैं और उसकी अच्छी कीमत माँगेगे। वह अभी थोड़ी देर में बेचनेवाले हैं और उसकी अच्छी कीमत माँगेगे। जिससे फिर उसे छोड़ ही देना पड़ा। पर इस बाक्य का अर्थ यह लगाया गया कि वह कोई रहस्य अपने अन्दर छिपाये हुए है। ‘टाइम्स ऑफ इण्डिया’ की एक रिपोर्ट में आया है कि “जिनका यह ख्याल है कि मिं गाँधी की ताकत खाली होगई है, वे गलती पर हैं, वह अब भी कोई रहस्य अपने अन्दर छिपाये हुए हैं। लोगों ने ज़ोरों से तालियाँ पीटी, जबकि

उन्होंने इतिफाकन् यह कहा 'मैंने अब भी अपना हाथ नहीं दिखाया। ठहरिये, जबतक कि मैं इसे दिखा न दूँ।'" कोई रहस्य की चौज तो थी नहीं, क्योंकि वह कोई गोप्यवस्तु रखते ही नहीं। म० द०]

मेरी कल्पना और मेरी जिम्मेदारी

अखबारों में आप लोगों ने यह तो देखा ही होगा कि गाँव में काँग्रेस का जो यह अधिवेशन हो रहा है, इसके लिए मैं ही सब तरह से जिम्मेदार हूँ। उन्होंने यह भी घोषित कर दिया था कि मैं दिसम्बर के शुरू में फेंजपुर पहुँच जाऊँगा और प्रदर्शिनी सम्बन्धी सारी व्यवस्था की निगरानी करूँगा। यह पिछली बात सही है, और बगैर किसी भूठे शील-संकोच या अतिशयोक्ति के, मैं यह कहूँगा कि आप जो भी यहाँ त्रुटियाँ देख रहे हैं, उनके लिए मैं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, काँग्रेस और नुमाइश को गाँव में करने की कल्पना मैंने ही आगे रखी थी, इसलिए जो भी दोष या त्रुटियाँ आप यहाँ देखेंगे उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर मुझे लेनी ही चाहिए। और कोई भी अच्छी चीज जो आप यहाँ देखें उसका श्रेय उन लोगों को है जिन्होंने कि यहाँ यह सारी व्यवस्था की है। गाँव में काँग्रेस और प्रदर्शिनी करने की मेरी तजवीज दास्ताने और देव ने स्वीकार की थी, और परिपूर्णता और दृढ़ निश्चय के साथ, जो कि महाराष्ट्रों के चारित्र्य की विशेषता है, उन्होंने अपने वचन का पालन भी किया है। प्रदर्शिनी का तो मेरी कल्पना के अनुसार होना आवश्यक था, क्योंकि चर्खा-संघ ने, जिसका कि मैं अध्यक्ष हूँ, और ग्राम-उद्योग-संघ ने, जिसे कि मैं अपने पथ-प्रदर्शन में चला रहा हूँ, उसका सारा आयोजन किया है। मुझे इस बात के लिए उन्हें आगाह करना पड़ा कि

महाराष्ट्र के इस गांव में वे लद्दनऊ या दिल्ली बनाने का ख्याल छोड़ दें। अगर यही करना है तो फिर पूना में काँप्रेस और नुमाइश क्यों न की जाय ? पर अगर गांव में काँप्रेस और नुमाइश करनी है तो भारतीय गांव के मुताबिक ही उन्हें सारा आयोजन करना चाहिए। और मुझसे अच्छा यह काम और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसा कि मैंने उनसे कहा था, मैं मुहत्त से ग्रामीण रहा हूँ, जबकि वे हाल ही में ग्रामीण बने हैं। सेगांव में बमे हुए बेशक मुझे अभी चन्द महीने ही हुए हैं, और मेरा जन्म और मेरा पालन-लोषण चूँकि एक कस्बे में हुआ, शिक्षा भी असल में मैंने कस्बे में ही पाई, इस खुद अपने-आप ग्रामीण जीवन के मुआफिक बनाने में मेरे शरीर को कठिनाई मालूम पड़ी। इसीसे मुझे वहाँ मलेरिया आगया। लेकिन, जैसाकि आप जानते हैं, मैंने उसे तुरन्त भगा दिया, जल्दी अच्छा होगया, और अब सब ठीक तरह से चल रहा है। दरअसल कुछ सवब तो इसका यह है कि अब मैं निश्चिन्त हूँ, अपनी तमाम चिन्ताओं का भार जवाहरलाल और सरदार के विशाल कन्धों पर छोड़ दिया है। फिर भी मुझे अपने स्वास्थ्य के सच्चे रहस्य को कबूल करना ही चाहिए, और वह यह कि मेरा शरीर वहाँ ठीक रहता है, जहाँकि मेरा दिल रम जाता है।

बलाकार नन्दलाल वोस

वहाँ को रचना का श्रेय शिल्पी स्हान्त्रे और कलाकार श्री नन्दलाल वोस को है। दो महीने हुए कि जब नन्दो बाबू मेरे खुलाने पर वर्धा पहुँचे तो मैंने उन्हें समझाया कि मैं असल में क्या चाहता हूँ, और अपनी कल्पना को मूर्त्तरूप देना मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया।

कारण कि वह एक कलाकार है, और मैं नहीं हूँ। ईश्वर ने मुझे कला की भावना तो दी है, पर उसे मूर्त रूप देने की प्रतिभा मुझे प्रदान नहीं की है। नन्दलाल बोस को ईश्वर ने ये दोनों ही चीजें बख्शी हैं। मैं उनका आभार मानता हूँ, कि प्रदर्शिनी की कलापूर्ण रचना का सारा भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और खुद ही हरेक चीज की ठीक-ठीक व्यवस्था करने के लिए वह कुछ हफ्ते पहले यहाँ आकर बैठ गये। फल यह हुआ कि सारा तिलकनगर स्वतः एक प्रदर्शिनी बन गया है, और इसीलिए प्रदर्शिनी वहाँ से शुरू नहीं होती, जहाँकि मैं उसे खोलने जा रहा हूँ, बल्कि मुख्य प्रवेश-द्वार से उसका आरम्भ होता है, जो कि ग्रामीण कला का एक सुन्दर नमूना है। निस्सन्देह श्री महात्रे के भी हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने कि सारी ही आयोजना पूर्णता को पहुँचाने में कुछ उठा नहीं रखा है। कृषा कर यह याद रखिए, कि यहाँ यह जो तमाम कलात्मक रचना दिखाई देती है, इसमें हमारे नन्दो बाबू ने स्थानीय साधन-सामग्री और यहींके मन-दूरों से सारा काम लिया है।

यह कोई तमाशा नहीं है

अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रदर्शिनी में जायें, और सम्भव हो तो उसे मेरी आँखों से देखें। अगर आप यह देखेंगे कि चर्खा-संघ और ग्रामोद्योग-संघ की संरक्षता में उसका आयोजन किया गया है तो आपको मालूम हो जायगा कि वहाँ आपको क्या देखने को आशा करनी चाहिए। चर्खा-संघ का उद्देश्य सारे हिन्दुस्तान को खादीमय बना देना है, जिस मकासद तक दुर्भाग्य से हम अवतक नहीं पहुँचे हैं, और वह अब भी हमसे दूर है। और ग्राम-उद्योग

संघ का उद्देश्य भारतवर्ष की मरती हुई दस्तकारियों का पुनरुद्धार करना है। खादी तथा ये दूसरे गृह-उद्योग हमारे गाँवों की आर्थिक उन्नति के लिए इन्हें ज़रूरी हैं, जिन्हें कि शरीर के लिए प्राण।

यह नुमाइश कोई तमाशे की चीज़ नहीं है, लोगों की आँखों को चौंधियाने या भुलावे में डालने के इरादे से यह नुमाइश नहीं लाई गई है। यह असली ग्राम-प्रदर्शनी है, जो गाँववालों के परिश्रम से तैयार की गई है। यह शुद्ध शिक्षणात्मक प्रयत्न है। ग्रामवासियों को यह दिखलाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अगर वे अपने हाथ और पैरों तथा अपने आस-पास की साधन-सामग्री का ठीक-ठीक उपयोग करें तो वे किस प्रकार अपनी आमदनी को दुरुना कर सकते हैं। मैं तो अपने राष्ट्रपति से यह कहूँगा कि वे मुझे संयुक्तप्रान्त के किसी गाँव में ले चलें। उस गाँव की पुनर्रचना में जमनालालजी के रूपये से नहीं, बल्कि उस गाँव के मर्दों और औरतों के हाथ-पैरों की सहायता से करूँगा—वर्तमान कि उस गाँव के लोगों को मैं जो हिदायतें दूँ, उनके अनुसार काम करने के लिए वे उन्हे राजी करले। हमारे राष्ट्रपति इसपर शायद यह कहे कि ज्योंही ये गरीब आदमी अपनी आमदनी को कुछ बढ़ाना शुरू करेंगे, त्योंही जमनालालजी जैसे जमीदार लगान में इजाफ़ा कर देंगे और इस तरह उनके हाथ से उनको वह जायद आमदनी छीन लेंगे। हम इस तरह का काम जमीदार को नहीं करने देंगे। मेरे मन में जरा भी सन्देह नहीं कि हमारे हिन्दुस्तान-जैन देश में, जहाँ लाखों बेकार आदमी भरे पड़े हैं, वहाँ इस गरज से कि वे ईमानदारी के साथ अपनी रोज़ी कमा सकें, उनके हाथ और पैरों को किसी-न-किसी काम में लाये रखना ज़रूरी है। खादी और गृह-उद्योग उनके लिए आवश्यक है। मेरे लिए

यह सूर्य-प्रकाश की भाँति स्पष्ट है कि इन उद्योगों की आज सरल जल्दी है। भविष्य मे उनका क्या होगा, यह मैं नहीं जानता, न जानने की चिन्ता ही करता हूँ। (इसके साथ, वे प्रदर्शिनी की कुछ चीजों का, जो उनके सामने रखली हुई थीं, वर्णन करने लगे—जैसे, लुहारखाले के औजार जो रात को तैयार किये गये थे; आन्त्र के कारीगरों की बनाई हुई चीजें जैसे, बटुबे और चश्मे के केस, जो नदी किनारे उगानेवाली एक घास से तैयार की गई थी, लोमड़ी का चमड़ा, जो वर्धा के चर्मालय में पकाया गया था और खादी का उसमे अस्तर लगाया गया था, बगैरा-बगैरा) ये छोटी-छोटी चीजें गरीब ग्राम-वासियों की आमदनी को बढ़ा सकें, आप उन्हे यकीन करा सकें कि तीन पैसे रोज़ के बजाय, जो आज उन्हे मिलते हैं, वे तीन आने रोज़ पैदा कर सकेंगे, तो उन्हें स्वराज्य मिल गया, ऐसा वे सोचने लगेंगे। कत्तिनों के लिए खादी यही करने का तो आज प्रयत्न कर रही है।

ग्राम-प्रदर्शिनी

सक्षेप में कहा जाय तो उनको यह सिखाना है कि धूल से कञ्चन किस तरह बन सकता है, और उन्हे यह सिखाना ही इस प्रदर्शिनी का मक्कापद है। दो महीने पहले जब मैं नन्दो बाबू से मिला, तब उनसे मैंने कह दिया था, कि आप यहाँ शान्ति-निकेतन से अपने आर्ट रकूल के कीमती चित्र न लाइएगा, फर यह है कि वे-सौसम की वारिश से वे चित्र कहीं खराब न होजायें। उन्होंने मेरी सलाह मान ली और यहीके पास-पड़ोस से ही उन्होंने ये सारी चीजें इकट्ठी की हैं। उन्होंने अपनी कलाकार की दृष्टि से आस-पास के गांवों मे चक्रर

लगाया, और किसानों की गिरिस्ती में से वे अनेक चीज़ें चुन लाये— ऐसी चीजें, जिनमें मामूली आँख को कोई आश्वर्यजनक कला नहीं दिखाई देगी, पर उनकी आँख तो कठाकार की सूखमदर्शी आँख है, उन्होंने उन चीजों को यहाँ खूबसूरती के साथ सजा दिया है और उन्हें एक नया ही रूप दे दिया है।

पहले की प्रदर्शनियों के मुकाबिले में यह प्रदर्शनी बहुत छोटी है, इसके लिए श्री बैकुण्ठलाल मेहता ने माँफी माँगी है, पर माँफी माँगने की ऐसी कोई बात नहीं थी। इस प्रदर्शनी में कोई चीज फजूल नहीं है। हाथ के बने कागज के ही नमूनों को ही ले लीजिए। ये कागज मूँज से, केले की छाल से, और वांस से तैयार किये गये हैं; आप यहाँ जो सारा नगर देख रहे हैं, इसकी बनावट में वांस का भाग मुख्य है, और आप यह यकीन रखें कि कौन्हेस कैम्प उचड़ने के बाद इस तमाम वांस के अच्छे दाम मिल जायेंगे।

यह तो एक तीर्थ स्थान है

हमारे राष्ट्रपति के लिए जिस प्रकार के जल्दी का आयोजन किया गया था, उसकी वह अनोखी सादगी आपने ज़रूर देखी होगी—खास करके वह सुन्दर सजा हुआ रथ, जिसमें छः जोड़ी बैल जुते हुए थे। आपको यहाँ क्या मिलनेवाला है इस बात के लिए आपको तैयार करने की गरज से ही इस प्रकार का यह सब आयोजन किया गया था। शहर की जैसी कोई खूबी या आराम यहाँ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ तो आपको ऐसी ही चीजें मिलेगी, जिन्हे कि गांव के गरीब आदमी मुहैया कर सके हैं। इस तरह यह जगह हम सबके लिए, एक तीर्थ-स्थान बन गई है—यह हमारी काशी है,

यह हमारा मक्का है, जहाँ हम स्वतन्त्रता देवी के चरणों पर प्रार्थना-कुमुमांजलि चढ़ाने और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने को उत्सर्ग करने आये हैं। आप लोग यहाँ गरीब किसानों पर हुक्मत जतलाने नहीं आये हैं, बल्कि यह सीखने के लिए आप यहाँ आये हैं कि उनके रोजामर्रा के मशक्त के कामों में भाग लेकर—जैसे, भंगी का काम करके, अपने कपड़े बगैरा खुद धोकर और अपना आटा खुद पीसकर, आप उनका भार किस तरह हल्का कर सकते हैं। कांग्रेस के इतिहास में यह पहला ही मौका है कि आपको यहाँ बिना पालिश का अनकुप्त चावल और हाथ के पिसे आटे की रोटियाँ भोजन में दी जारही हैं। चाहे जितनी ताज़ी हवा और स्वच्छ पृथकी माता की गोद तो है ही, जहाँ आप सुख से आराम कर सकते हैं। पर कृपा कर गरीब व्यवस्थापकों की तमाम त्रुटियों का ख्याल रखिये, क्योंकि खांसाहब के शब्दों में हम सब 'खुदाई लिंदमतगार' हैं, हम यहाँ सेवा लेने के लिए नहीं, किन्तु सेवा देने के लिए आये हैं।

: २५ :

एक आध्यात्मिक प्रवचन

[गांधीजी के फैजपुर मे दो भाषण हुए । एक तो हुआ २५ तारीख को प्रदर्शिनी का उद्घाटन करते भमय, जो प्रासादिक विनोदयुक्त था । और डूमरा २७ तारीख को । यह भाषण इतने अधिक महत्त्व का था कि मैंने उसे नीचे अक्षरश उतारने का प्रयत्न किया है । अक्षरश उतारने का कारण यह है कि इसके खासे अनर्थ हुए हैं । कोई कहता है कि इसमे गांधीजी का पुण्य-प्रकोप था, किसीका कहना है कि गांधीजो ने राजनीति में फिर से आने का यह मगलाचरण किया है, कोई कहता है कि गांधीजी ने लार्ड लिनलिथगो को चुनौती दी है । इसमे न प्रकोप था, न वर्तमान राजनीति मे फिर से आने की वात थी, और न किसी भी प्रकार का आह्वान था । इसमे तो उनके सुदर्शनचक्र—चरखे—विषयक पुराने विश्वास का पुनरावर्तन था, और उस विश्वास के पीछे रहनेवाली अकाद्य तर्क-भूमिका । इम भाषण मे किसी पैगम्बरी वाणी से उच्चारित आर्पदर्शन था । यह वाणी सुनने की चीज़ है, स्याही द्वारा कागज पर इसे किस तरह उतारा जाय ? फिर भी यह स्याही-कागज का खोखा भी पाठको को प्राण-रहित प्रतीत नहीं होगा, ऐसा विश्वास है ।—म० द०]

मानव-सेद्धिनी

यह भाषण द०। वजे रक्खा गया था, पर उसके बदले इतनी देरी से ६। वजे शुरू हुआ है, इसके लिए मुझे दुःख हो रहा है । मगर दूसरा

उपाय था नहीं। यहाँ इतने अधिक मनुष्य आये हैं, और हमारी प्रदर्शिनी तो कच्चे बांस की टटियों की बनी हुई दीवारों की है, तमाम आदमी एक साथ पिल पड़े तो टटियाँ टूट-टाट जायेंगी। इसलिए इनकी रक्षा के लिए भी व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ी और व्यवस्था करनेवालों का उसमें कुछ समय चला गया। ये लोग इतने तमाम आदमियों के एक साथ पिल पड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ मेरा भाषण रखने में आपको थोड़ी चालाकी मालूम होगी, पर ऐसा इरादे से ही किया गया है। और कुछ नहीं लो लोग मेरा भाषण सुनने के लिए तो आयेंगे ही और उसकी खातिर दो आने प्रदर्शिनी को भी देंगे, ऐसा करते हुए भूल मे ही अगर वे थोड़ी-सी खादी ले लें और थोड़ी ग्राम-कला भी देख लेंगे तो उन्हें अनायास ही थोड़ा-सा पुण्य मिल जायगा, और सुभें भी मिल जायगा।

आपने देखा होगा कि यह समूचा तिलकनगर ही प्रदर्शिनी है। इसका श्रेय बाबू नन्दलाल बोस को है। उन्होंने निश्चय किया कि प्रदर्शिनी और काँप्रेस के लिए एक ही व्यवस्था रखनी जाय। इसमें खर्च बहुत थोड़ा हुआ है। इतने कम खर्च में किसी भी काँप्रेस-नगर की रचना हुई होगी यह मैं नहीं जानता। हाँ, अब भी कुछ खर्च मेरी हाई से अधिक हुआ है; पर यह तो गाँव में होनेवाली पहली काँप्रेस है न? जमीन लेने मे खासा खर्च करना पड़ा। पर हमने इतना तो किया है कि इसके बाद के काँप्रेस-अधिक्रेशन गाँव मे करने का हमे प्रोत्साहन मिलेगा। आप देखते हैं कि लोग उमड़ते ही चले आ रहे हैं। स्वयंसेवक इन्हे अधिक हैं, तो भी ऐसा लगता है, मानो इस भारी जन-समूह में वे बिला गये हों। भोजन करनेवाले इतने अधिक आते हैं कि उनका प्रबन्ध करना कठिन होगया है।

पुरानी बात का पुनरावर्त्तन

यह तो प्रस्तावना हुई। आज मैं आप लोगों को कोई नई बात सुनाने नहीं आया हूँ। पहले जो कहता था, उसका पुनरावर्त्तन ही करूँगा। चर्खा-संघ को, या यों कहिए कि खादी को १८ वर्ष हो गये हैं। ग्राम-उद्योग-संघ का जन्म इसकी छाया में हुआ, और उसे दो वर्ष हुए हैं। जब खादी का आरम्भ हुआ, तब लोगों के आगे मैंने अपना यह विश्वास प्रकट किया था कि चर्खे से स्वराज्य मिलेगा, सूत के धागे से हम स्वराज्य लेंगे। उस समय यह कितने ही लोगों को पागलपन की बात मालूम हुई होगी। मुझे तो आज भी इसमें कोई पागलपन की बात मालूम नहीं होती। स्वराज्य, पूर्ण-स्वराज या मुक-मिल आजादी के मानी ये हैं कि हमारे ऊपर कोई भी विदेशी सल्तनत राज न करे। यह आजादी चार बाजू की होनी चाहिए। इसमें अर्थ-सिद्धि होनी चाहिए। अर्थ-सिद्धि का मतलब यह है कि लोग उसमें भूखों न मरें। इसका अर्थ यह नहीं कि खादी-सूखी रोटी सब को मिलती जाय। इसका अर्थ तो यह है कि हम सुख से रहे और रोटी के साथ हमें भी भी मिले, और दूध और साग-भाजी भी मिले, जो गोश्त खाना न छोड़ सकते हों उन्हे गोश्त भी मिले। इसके बाद पहनने के लिए भी मेरे जैसा कच्छ या लंगोटी नहीं, किन्तु गृहस्थों के जैसे वस्त्र मिलें—पुरुषों को अंगरखा, कुर्ता, साफ़ा, बगेरा और खियों को पूरी साड़ी और दूसरे कपड़े(आज जिस फैशन की पोशाक की चलन है वैसी तो नहीं, पर हाँ, पुराने ज़माने में गृहस्थ जैसे कपड़े पहनते थे, और जिनके नमूने आप इस प्रदर्शनी में देखेंगे, वैसे सुन्दर कपड़े ज़रूर मिलने चाहिए।)

‘सभी भूमि गोपाल की’

दूसरी है राजनैतिक आजादी। यह भी भारतीय होनी चाहिए। यह यूरोपीय नमूने की न हो, ब्रिटिश पार्लमेण्ट या सोवियट रशिया या इटली का नमूना मैं कैसे लूँ? मैं किसका अनुकरण करूँ? मेरी राजनैतिक आजादी इस प्रकार की नहीं होगी, वह तो भारत-भूमि की रुचि की होगी। हमारे यहाँ स्टेट तो होगी, पर कारबार किस प्रकार का होगा, यह मैं आज नहीं बता सकता। गोलमेज़ फॉन्स में मैंने यह कहने की धृष्टता की थी कि अगर आपको हिन्दुस्तान के लिए राजकीय विधान का नमूना चाहिए तो कांग्रेस का विधान ले लीजिए। इसे मेरी धृष्टता भले ही कहें। पर मेरी कल्पना के अनुसार तो इसमें गरीब और असीर दोनों एक भंडे की सलामी करते हैं। पंच कहें सो परमेश्वर! इसलिए हमारे यहाँ के भलेमानस हिन्दुस्तान को जानने-वाले करोड़ों मनुष्य जैसा तन्त्र चाहते हों वैसे की हमें जरूरत है। यह राजनैतिक आजादी है। इसमें एक आदमी का नहीं, बल्कि सब का राज्य होगा। मैं सोशलिस्ट भाइयों से कहूँगा कि हमारे यहाँ तो—

सभी भूमि गोपाल की, वा मे अटक कहाँ?

जाके मन मे अटक है, सोई अटक रहा।

इस सूत्र को युगों से मानते आरहे हैं। इसलिए यह भूमि जमींदार की नहीं, मिल-मालिक की नहीं, या गरीब की नहीं, यह तो गोपाल की है—जो गायों का पालन करता है उसकी है। गोपाल तो ईश्वर का नाम है, इसलिए यह भूमि तो उसकी है। हमारी तो कही ही नहीं जा सकती। यह न जमींदार की है और न मेरे जैसे लंगोटिये की। यह शरीर भी हमारा नहीं, ऐसा साधु-सन्तों ने कहा है। यह शरीर नाशवान् है, केवल एक आत्मा ही रहनेवाली है। यह सच्चा

सोशलिज्म है। इसपर हम अमल करने लग जायें, तो हमें सब कुछ मिल गया। इस सिद्धान्त का अनुकरण करनेवाला आज कोई दीख नहीं रहा है, तो इसमें सिद्धान्त का दोष नहीं, दोष हमारा है। मैं इसकी व्यावहारिकता बिल्कुल शक्य मानता हूँ।

चार समकोण

स्वराज्य का तीसरा भाग नैतिक या सामाजिक स्वतन्त्रता का है। नैतिक और सामाजिक को मैं मिला देना चाहता हूँ। या तो हमारा स्वराज्य चक्र होना चाहिए या चतुष्कोण। मेरी कल्पना शुद्ध चतुष्कोण की है। इसके दो समकाण मैंने कह दिये हैं। यह तीसरा है। इस तीसरे में प्राचीनकाल से हमें जो नीति मिलती आ रही है वह नीति है—सत्य और अहिंसा की। चौथा कोण धर्म का है। क्योंकि धर्म के बिना ये तीनों पाये खड़े नहीं रह सकते। कोई अगर कहे कि मैं तो सत्य को मानता हूँ, तो मैं उससे कहूँगा कि तुम सत्य को मानते हो तो खुदा को क्यों नहों? मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं सत्य को मानता हूँ तो भगवान को भी मानता हूँ। कारण, भगवान का नाम ही सत्यनारायण है। मेरा सत्य तो जीवित है, वह ऐसा जीवित है कि दुनिया में जब सब मिट जायगा तब यही एक रहेगा। सिख 'सत् श्री अकाल' कहते हैं, गीता कहती है कि सत् का नाम लेकर सब काम आरम्भ करो, कुरान कहता है कि खुदा एक है। इस प्रकार सत् को माननेवाले हम सब एक दूसरे के गले क्यों काटें? मुसलमान हिन्दुओं के गले काटें, हिन्दू मुसलमान के गले काटें, सिख दोनों के काटें, और ईसाई तीनों के गले काटें, यह बात ईश्वर को माननेवालों से तो हो ही नहीं सकती।

इस तरह चारों कोनों को हमें एक-सा सम्हालना है, यह सब ६० अंश के समकोण हैं। इन चारों कोणों से बने हुए स्वराज्य को आप स्वराज कहिए; मैं इसे रामराज्य कहूँगा।

धारा-सभा का कार्यक्रम

अठारह वर्ष पहले मैंने कहा था कि यह स्वराज्य सूत के तार पर अवलम्बित है। वही मन्त्र मैं आज भी बोल रहा हूँ। उसका स्मरण आज भी करा रहा हूँ। यह बात नहीं कि धारा-सभा के कार्यक्रम को मैं मानता नहीं हूँ। इसे एक बार नष्ट करने के लिए मैंने कहा था, और डा० अन्सारी साहब के साथ मिलकर इसके सजीवन में भी मेरा हाथ है। इसे सजीवन इसलिए करना पड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि इसके बिना हम अपना काम चला नहीं सकते। पर यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए नहीं है और न मेरे लिए है। हम सब कौंसिलों के अन्दर जायेंगे तो वहाँ समायेंगे कहाँ? हमारे देश की ३५ करोड़ की आबादी में एक हजार या पन्द्रह सौ देश-सेवक भले कौंसिलों में चले जायें। पर उन लोगों को हुक्म तो हमें ही देना होगा। हमारी कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि वहाँ रहेंगे, पर उन्हें वहाँ भेजने की राय देने का हक तो सब को नहीं है। मुझे भी बोट देने का हक्क नहीं। मुझे तो हृदय की सजा हुई थी, इसलिए मैं नापास समझा जाता हूँ। ३५ करोड़ में से ३१॥ करोड़ को मत देने का हक्क नहीं। उनके साथी ही मैं रहूँ यह अच्छा है न ? बोलिये, आप क्या कहते हैं? (आवाज “३१॥ करोड़ के साथ”) बहनों! आप क्या कहती हैं? (आवाज—“हमारे साथ”।) आपके साथ तो हूँ ही। जिस माता की गोद में खेला, जिस माता का दूध पिया, उन माताओं के कन्धे के ऊपर कैसे

बढ़ूँगा ? उनके तो चरणों के आगे रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा ।

अब जो ३॥ करोड़ मत देनेवाले बचे, उनमें से कितने धारा-सभाओं में जायें ? पन्द्रह सौ जगहों के लिए हम लड़े तो यह कहा जायगा कि हमने स्वराज का कल्प कर दिया । कहते हैं, कि आज ऐसा कल्प होरहा है । धारा-सभा का कार्यक्रम शरीफ आदमियों के लिए ही होना चाहिए । लेकिन गन्दे आदमी वहाँ घुस जायें तो क्या करेंगे ? पर खैर, यह तो हुआ । जिन्हे मत नहीं देना है, वे ३॥ करोड़ क्या करेंगे ? उनके लिए तो सिवा रचनात्मक कार्यक्रम के दूसरा कुछ है ही नहीं ।

जो धारा-सभाओं में जायेंगे वे वहाँ कितना काम कर सकेंगे यह बतला दें । हिन्दुस्तान में जो आर्डिनेन्स का राज्य चलता है उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि शामिल थे, इतिहास में अगर यह न कहा गया तो काफ़ी है । कोई गन्दा मनुष्य भी बतैर हमारे प्रतिनिधि के चला जायगा, पर मत तो उसका हमारे पक्ष में ही पड़ेगा । प्रतिनिधि आर्डिनेन्सों का चचना रोक नहीं सकते, जबाहरलाल को जेल जाने या फाँसी पर चढ़ने से वे रोक नहीं सकेंगे । और वह तो फाँसी के तख्ते पर भी वहादुरी से चढ़ेंगे, और हँसते-हँसते चढ़ेंगे । पर उन्हे जो भी सज्जा मिले उसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों की मंजूरी नहीं मिलेगी । सुभाष बोस को शायद बंगाल के प्रतिनिधि छुड़ालें, और सम्भव है कि शायद यह भी वे न कर सकें । पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोई भी अनुचित बात कांग्रेसवालों के हाथ से नहीं होगी । किसी भी गन्दी बात में हमारा बोट नहीं मिलेगा । आर्डिनेन्स राज्य का अर्थ है, जैसा बादशाह कहे वैसा करना । ऐसे राज्य को हमारे प्रतिनिधियों की मंजूरी नहीं मिलेगी ।

आजादी नहीं दिला सकते

लेकिन ये प्रतिनिधि हमें आजादी नहीं दिला सकते। वह तो सूत के तार से ही मिलेगी। सूत का तार छोड़ा और आजादी का जाना शुरू हुआ। इसमें अंग्रेजों का अपराध तो था ही; पर हम भी पागल बन गये। हमने चर्खा छोड़ दिया, हमने विलायत से आनेवाला कपड़ा लेना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे देश में लोगों के हाथ में कुछ भी काम नहीं रहा और करोड़ों मनुष्य बेकार हो गये। अगर दूसरे किसी भी उपाय से हमारे आदमी बेकार न रहे, सबको खाने-पीने को मिलने लगे, और सब आराम से रह सकें, तो हम खुशी से लंकाशायर से कपड़ा मंगाने लगें। लंकाशायर से कपड़ा मंगाना खुद कोई पाप नहीं है। लेकिन दूसरे के पार्षदों की शोध करने से पहले उन दोनों कोनों का, यानी नीति और धर्म का पालन करना पड़ेगा। इस शर्त पर मुझे सूत के तार के बदले या चर्खे के बदले कोई दूसरी चीज़ दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊँगा। पर यह चीज़ मेरी जिन्दगी में पूरी हो सकेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। बाक़ी तो बनानेवाला ईश्वर है, उसे जो करना हो करे।

आज मैं सेगांव चला गया हूँ, तो भी उसकी यही बात सुनाता हूँ। हमारे लोग बेकारी से भूखों मर रहे हैं, पर इसका कारण केवल अंग्रेजी राज्य नहीं है। यह भी इसका एक कारण है, अंग्रेज़ी राज्य से बेकारी फैली, और बेकारी से दारिद्र्य, पर इस दारिद्र्य को निर्म-त्रण देने में हमारा काफ़ी हिस्सा है। बेकारी हमारे देश में ईस्ट इंडिया कम्पनी की बढ़ौलत आई, पर आज जो आलस्य देखने में आता है, इसमें तो हमारा ही दोष है। मैं सेगांव में देखता हूँ न कि लोगों को

उनके घर जा-जाकर पैसा दें तो भी वे आलस्य छोड़कर काम नहीं करते। लोगों को पैसा दिलाने के, उनकी जेब में थोड़ा-सा पैसा ढालने के मार्ग तो बहुत हैं, पर वे नीति के अनुकूल होने चाहिए। शराब के धन्धे से भी पैसा मिलता है, पर वह किस काम का? खजूर के पेड़ों से यों ताढ़ी बनती है, पर मैं उनसे गुड़ बना रहा हूँ। ऐसा गुड़ बना रहा हूँ कि जैसा आपने कभी नहीं खाया होगा। इसमे मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। यह गुड़ अगर पैदा हो सका तो मैं कुछ इजारा रखये तो सेगांव के लोगों की जेब में ढालूँगा ही। अब उन पेड़ों से ताढ़ी निकालें तब भी रुपया मिलेगा। पर इससे आजादी नहीं मिलेगी, और मिले भी तो भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि मैं वहां गुड़ दाखिल करूँ और उसके बाद लोग चोरी से ताढ़ी बनाने लगें तो मुझे उनके विरुद्ध कड़ा सत्याग्रह करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा धन्धा मुझे कोई खादी के बदले बतावे तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा। किन्तु कोई भी नीति से चलनेवाली बस्तु खादी के बदले कोई मुझे बतावे तो उसे मैं उठा लेने के लिए तैयार हूँ। वह मुझे किसीने बताई नहीं।

इसीलिए मैं कहता हूँ कि सूत के तार से ही स्वराज्य मिलेगा, पर इसके साथ नीति की जरूरत है। कुछ लोग ठगबाजी के लिए और खून करने के लिए भी खादी पहनते हैं। उनकी मनोदशा को मैं खादी की मनोदशा नहीं कहता। हमारा हृदय जब खादी से व्याप्त हो जायगा, तब हमारी आजादी को रोकनेवाली एक भी शक्ति ठहरने की नहीं। गांवों में बसनेवालों को हमें यही चीज़ सिखानी है। इतना उन्होंने समझ लिया और कर लिया तो फिर धारा-समायें सो जायेंगी, कारण कि हम तो इसके पहले ही स्वराज प्राप्त कर चुके होंगे।

मैंने इसी समझ से एक साल के अन्दर स्वराज प्राप्त करने की वात अठारह साल पहले कही थी। वही वात आज भी कह रहा हूँ, और की थी इसके लिए मुझे जरा भी शर्म नहीं। मैंने जिन शतों को पूरा करने के लिए कहा था, उनमें से क्या एक भी पूरी हुई थी? आज भी उन्हें आप पूरा करें तो स्वराज हस्तामलकवत् है। आज हिन्दू-मुस्लिम-एकता कहाँ है? वस्त्रई में हाल में कैसी-कैसी शैतानियाँ हुई? आज वे करोड़ चर्खे कहाँ हैं? और कहाँ हैं वे नियमित रूप से रोज आधा घण्टा कातनेवाले? (यद्यपि आज तो मैं पाँच घण्टा कातने को कहना हूँ, क्योंकि कातनेवाले बहुत थोड़े रह गये हैं।) और हमने अस्पृश्यता कितनी दूर की है? व्रावणकोर की यह घोषणा तो समुद्र में एक बूँद के समान है। अस्पृश्यता जब विलकुल नष्ट हो जायगी, तब हिन्दू-मुसलमान गले मिलेंगे। अस्पृश्यता को जड़-मूल से नष्ट करने का अर्थ है, सबको अपना भाई बनाना—हरिजनों को ही नहीं, वल्कि मुसलमान ईसाई वगैरा को भी अस्पृश्य न मानना। और हमें जो शराब का सम्पूर्ण विहिष्कार करना था, वह किया है क्या? मैंने तो इसके अलावा सरकारी स्कूलों, अदालतों और धारा-सभाओं के विहिष्कार की भी वात की थी। मान लीजिए कि आज भी कोई धारासभा में नहीं जाना चाहता तो मैं किसी से जाने का आग्रह करता हूँ क्या? मैं तो बनिया ठहरा, जो वात लोगों को पसन्द नहीं आई, और जिसे वे हजाम नहीं कर सके, उसे छोड़ दिया और धर्म और नीति के अनुकूल उनके सामने दूसरी चीज़ रख दी।

आर्थिक सूर्य-मण्डल

आज मैं सरल शब्दों में एक बड़ी ऊँची वात आण लोगों से कह

रहा हूँ—अगर आप चर्खे को अपनायेंगे तो आप देखेंगे कि सूत के तार से स्वराज मिलता है या नहीं ? सारा हिन्दुस्तान तो सूर्य-मण्डल है । उसमें चरखा मध्य-बिन्दु है, और इसके आस-पास ग्राम-ज्योग लघी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं । नभो मण्डल में तो नवग्रह कहे जाते हैं, पर चरखे के आस-पास तो अनन्त ग्रह घूमते हैं । इस मध्यचक्र अर्थात् सूर्य को मिटाने का अर्थ है, आस-पास के सभी ज्योगों को नष्ट कर देना । आज सूर्य सेवा करता है तो उसकी गरमी से टिके हुए दूसरे ग्रह सेवा करते हैं । मूल सूर्य का अस्तित्व स्थिर होगया तो फिर दूसरे सब ग्रह तो उसके आस-पास चक्कर लगायेंगे ही ।

इस प्रदर्शिती में आप एक छोटा-सा सूर्य मण्डल देखेंगे । यह तो एक नमुना है, पर ऐसे नमूने से आप सारे हिन्दुस्तान को भर दें, सारा हिन्दुस्तान इस प्रकार के गाँवों का बन जाय, तो फिर धारा-सभा के कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं रहेगी, और न जेल जाने की जरूरत रहेगी । स्त्रियों को तो जेल जाना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पुरुषों को भी नहीं जाना पड़ेगा । हमें जेल में अपने याप के कारण जाना पड़ता है; याने इससे कि हम सब रचनात्मक काम को हाथ में नहीं उठा लेते ।

ऊँचा उपाय

इसलिए यह एक ऊँचा उपाय है । इसके आगे हिंसक उपाय फीका पड़ जाता है । हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि ३५ करोड़ सहज ही ७०,००० अग्रेज़ों को पत्थर मारकर भी मार डाल सकते हैं । लेकिन फिर ३५ करोड़ के बारे में क्या कहा जायगा ? इससे

आजादी मिलनी तो दूर, पर ईश्वर याने संसार हमारे ऊपर थूकेगा। और ब्रिटिश सरकार के पास इस सम्बन्ध में धर्म नहीं, नीति नहीं। वह तो हवाई जहाजों से बम फेंकेगी, और ज़हरीली गैस वरसायगी, यह भय तो हमेशा है ही। इस भय को मिटाने के लिए मैंने चर्खा खोजा, और आज सेगांव में बैठा हूँ, पर रटना उसीकी है। आज भी मुझमें जेल जाने की शक्ति है, पर अब मैं हृद वर्ष का होगया हूँ, अब तो आप लोगों में जो जवान हैं, वे जेल में जायें। लेकिन आज तो मैं आपके आगे वह चीज रख रहा हूँ, जो मेरे अन्दर भरी हुई है। जेल तो जाने के लिए तैयार हूँ, फाँसी पर चढ़ने को भी तैयार हूँ—शायद जवाहरलाल की तरह हँसते-हँसते नहीं, रुर्धासी आँखों से चहूँ। पर आज इसके लिए सबाल कहाँ पैदा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि ३५ करोड़ आदमी अगर बुद्धिपूर्वक हिंसा का नाम छोड़ दें, मेरे बताये अनुसार चर्खे को अपना लें, तो धारा-सभा या जेल में जाने की, फाँसी पर चढ़ने की, अर्जियाँ भेजने की या लार्ड लिनलिथगो के पास जाने की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। उलटे लार्ड लिनलिथगो कांग्रेस में आकर कहेंगे कि तुम्हे जो चाहिए ले लो, और हमें यह बताओ कि हम यहाँ किस तरह रहें। वह कहेंगे—‘हमसे गलती हुई। तुम्हारा वर्णन हमें आतंकवादी और हिंसावादी के के रूप में नहीं करना चाहिए था। अब तुम रखोगे तो रहेगे, और जिस तरह रहने को तुम कहोगे, उस तरह रहेगे। इसके बाद हमें विदेशियों को रोकने के क़ानून की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम उन लोगों से कहेंगे, ‘तुम दूध में शक्कर को तरह मिल जा सकते हो तो मिल जाओ, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता।’

यह मेरा स्वप्न है। यह स्वप्न सेगांव में रहकर सुझे इतना प्रत्यक्ष

दिवार्हि देता है कि मुझे लगा कि आप लोगों को यह सुना देना चाहिए। आगामी कांग्रेस में मिलेंगा या नहीं इसकी किसे खबर है? मैं तो यमराज के लिए किवाड़ खोलकर बैठा हूँ, कौन कह सकता है कि वह कब आकर उठा के जाय? इसलिए मेरे मन में जो भरा हुआ था, उसे सुनाने का आज मैंने अवसर लिया। मेरे बताये अर्थ से भरे हुए चर्खे में हमारे देश के हरेक स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान, पारसी-ईसाई सबकी स्वतन्त्रता समाई हुई है—जिस स्वतन्त्रता में सबका हक्क समान है—‘सभी भूमि गोपाल की।’

ह० से० ९-१-३७

: २६ :

सालाना शिक्षण-शाला

“पहले-पहल लखनऊ में जब इस तरह की प्रदर्शिनी का उद्घाटन हुआ, तब मैंने कहा था कि ‘हमारी प्रदर्शिनियाँ शिक्षणशालायें होनी चाहिए। तबसे हम बराबर इस आदर्श की ओर सफलता के साथ बढ़ते जा रहे हैं और जिस प्रदर्शिनी का मैं उद्घाटन कर रहा हूँ वह ऐसी ही एक सालाना शिक्षण-शाला है। यह वैसी प्रदर्शिनी नहीं, जैसी पहले हुआ करती थी; बल्कि उन सैकड़ों-हजारों की शिक्षा का स्थान है, जो एक-दो सप्ताह, जबतक कि यह रहेगी, इसको देखने के लिए आयेंगे। जो गरीब आदमी इसे देखने के लिए आते हैं, उन्हें इससे अगले साल के लिए कुछ मसाला मिलेगा। यह उन्हें ऐसे धन्यों की शिक्षा भी देती है, जिन्हें आठ घण्टे रोज काम करके वे अपना और अपने परिवार का पालन कर सकते हैं। कोई भी आदमी या औरत कितने ही अज्ञान या निरक्षर क्यों न हो, हरेक को इससे ऐसी शिक्षा मिलती है, जिसके द्वारा वे ईमानदारी के साथ अपनी कमाई कर सकते हैं।

“प्रदर्शिनी में आज सवेरे मैंने एक घण्टा बिताया है। आप यह एक क्षण के लिए भी न सोचें कि जो अखिल-भारत-चर्खा-संघ का अध्यक्ष रह चुका है और जो अखिल-भारत-ग्राम-ज्योग-संघ को रास्ता दिखा रहा है, उसके लिए इसमें कोई नई बात न होगी। आप ऐसा मानते हों, तो भी मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ ‘जो ऐसा समझूँ। मैं तो

चाहूंगा कि इसमें मैं सिर्फ़ एक घण्टा ही न बिताऊँ, बल्कि प्रत्येक क्षण कुछ-न-कुछ नई बात सीखते हुए घण्टों लगा दूँ। लेकिन यह मैं भंजूर करता हूँ कि इससे कोई धन्यों चुनकर मैं अपनी रोज़ी नहीं कभी सकूँगा, क्योंकि फिलहाल तो मैं भीख माँगकर अपना गुजर करता हूँ, जोकि शायद मेरे जैसों के लिए अनिवार्य है। मगर इस बात का मुझे इत्मीनान है कि किसी भी ऐसे स्त्री-पुरुष के लिए, जिसका शरीर काम देता हो, इस प्रदर्शिती में प्रदर्शित अनेक धन्यों में से किसीको ग्रहण करके ईमानदारी के साथ अपना निर्वाह कर लेना असम्भव नहीं है।”

ह० से० १९-२-३८

खादी का रहस्य

संयुक्तप्रांत और बिहार के मंत्री पद-त्याग करके आगये हैं। इसमें कोई बड़ा आशचर्य नहीं हुआ। यह शासन-विधान एक खिलौना है, यह समझकर ही वे वहाँ पदों पर बैठे थे। जो बिहार और संयुक्तप्रांत में हुआ है वही कल बम्बई में और परसों मद्रास में हो सकता है। यह कैसा हुआ, इसका रहस्य मैं आपको समझाता हूँ। मैं मंत्री हूँ, इसलिए ३० कैंडियों को या ३ को छोड़ने में मेरा इहितयार है। इसमें गवर्नर क्यों दस्तन्दाजी करे? मुझे मंत्री इसलिए बनाया है कि मेर पास इतने मत हैं। इसलिए कैंडियों को छोड़ने का मुझे अधिकार है। समाजखादी भले ही मुझे गालियाँ दें, पर मुझे यह कहना चाहिए कि हम खादी का मंत्र नहीं जानते, इसीसे गवर्नर ऐसा कर सके। खादी का भेद नहीं समझा, यही इसका कारण है।

खादी अहिंसा की प्रतिष्ठा है, अहिंसा की मूर्ति है। समझदार खादीधारी की जावान से असत्य नहीं निकल सकता। ढोंगी खादीधारी या पेट भरने के लिए खादी पहननेवाले की मैं बात नहीं करता। हमारे मन में अगर हिंसा है, चालबाजी है, तो हम खादी का रहस्य नहीं समझें। लोग यदि यह कहे कि खादी का अगर यह अर्थ है तो हम खादी नहीं पहनते, तो मैं प्याकहूँगा? मैं कहूँगा कि हिन्दुस्तान सत्य और अहिंसा द्वारा स्वराज लेना नहीं चाहता। मैं ज़ोर-ज़बर्दस्ती से सत्य और अहिंसा का पालन नहीं करा सकता और इस तरह

स्वराज भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

यहाँ हरिपुरा में कांग्रेस पर साढ़े सात लाख रुपया खर्च हुआ है । इसमें बहुत-सी चीजें मुझे अच्छी लगी हैं । पर इसमें खादी की आत्मा थोल-प्रोत नहीं है । सरदार और मुझमें कोई भेद नहीं है । हम एक दिल हैं, पर यह हो सकता है कि सरदार ने शायद खादी का रहस्य पूरी तरह से नहीं समझा । जहाँ खादी की साधना मौजूद हो, वहाँ साढ़े सात लाख रुपया खर्च कैसे हो सकता है ? मैंने तो कहा था कि गाँवों में कांग्रेस की जाय, तो उसमें पांच हजार का खर्च होना चाहिए । फैजपुर-कांग्रेस के समय देव से भी मैंने यही कहा था कि पांच हजार से अधिक खर्च होगा तो तुम्हारा सारा आयोजन निरर्थक समझूँगा और यही हुआ भी । यह बात मेरे मन से गई नहीं । इतना अगर नहीं हो सकता, तो इसका यही अर्थ हुआ कि हम सच्चे स्वराज के सेवक नहीं बने, सच्चे देहाती नहीं बने । जहाँ देहाती भावना हो, वहाँ विजली का क्या काम ? वहाँ मोटर लारियों क्यों ? फैजपुर में मुझे मोटर में बैठाकर ले गये थे । यहाँ भी मोटर में बिठाकर लाये । मुझे पैदल नहीं चलने दिया । बैलगाड़ी में तो सुभाष बाबू को बिठाया, मुझे नहीं । मुझे यहाँ आने में देर लगाती तो क्या बिगड़ जाता ? अब तो सभी शाहजादे बन गये हैं, और कहते हैं कि मोटर न मिली तो हम दंगा करेंगे । यहाँ जो यह साढ़े सात लाख का खर्च हुआ, इसमें खादी की भावना नहीं है । मैं तो खेत में कपास पैदा करूँ और उससे खादी बनाऊँ । यहाँ तो तमाम चीजें बाहर से मंगाई गई हैं । कामिनिया हेयर आयल और टूथ पाउडर भी आये हैं । देहाती का टूथ पाउडर तो कोयला और नमक है । पर यहाँ तो लोगों को दातुन नहीं, किन्तु टूथ-ब्रश चाहिए; नमक नहीं किन्तु पाउडर-

पेस्ट चाहिए। कंधी भी मशीन की चाहिए। भोटर चाहिए और बाक़ी का सारा सामान विदेशी चाहिए।

इस प्रदर्शनी में भी पाँच दोष एक आदमी ने सुझे और मैंने शंकरलाल को बता दिये हैं। हम खादी का मंत्र ग्रहण नहीं कर सके, इसलिए समाजबादी अधीर होगये हैं, और कहते हैं कि गांधी का जमाना गया, अब तो दूसरा जमाना आया है। इसमें सुझे डर नहीं, दुःख नहीं। मेरी बात अगर आपको फेंक देने जैसी लगे तो फेंक दें, आप जो-कुछ भी करें वह हिन्दुस्तान की खातिर करे, मेरी खातिर न कीजिएगा। मैं तो मिट्टी का पुतला हूँ, इसकी तो खाक हो जायगी, मेरी खानिर आप खादी पहनते होंगे, तो मेरा शरीर जिस दिन जलाओ उसके दूसरे दिन खादी को भी जला देना। पर अगर आपने खादी का मंत्र ठीक तरह से समझा होगा, तो उसका रहस्य घोट कर पी लिया होगा, तो खादी मेरी मृत्यु के बाद टिकी रहेगी। खादी-रूपी प्रतिमा में आत्मा है या नहीं, यह तो आप जानें। पुतले को परमेश्वर न समझें; समझेंगे तो बुतपरस्त बन जायेंगे। खादी का भेद समझे बिना खादीपरस्त बनेंगे, तो बुतपरस्त बनेंगे। खादी की कल्पना मैंने पिछले बीस वर्षों से हिन्दुस्तान के सामने रख रखी है। इन बीस वर्षों में मैंने यह एक ही बात हिन्दुस्तान में सबको सुनाई है। आज मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ भी मैं यही कहना चाहता हूँ। खादी अब पुरानी, जीर्णशीर्ण चीज नहीं रही, बल्कि नौजवान बन गई है, और खूबसूरत मालूम पड़ती है। आज यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ईश्वर सुझे कह रहा है कि इसमें कोई भूल नहीं है। इसमें स्वराज्य है, इसीमें स्वतन्त्रता है।

जुलाहों को कैसे बचायें ?

इस कथन में कि करधा-व्यवसाय ने मिल प्रतियोगिता को पीछे हटा दिया है, केवल अंशिक सचाई है। आज तो करधे पर कपड़ा बुनने-वाले जुलाहे पहले से आधे भी नहीं रहे। एक बत्त था, जब जिस तरह राष्ट्र की जरूरत का सारा सूत चर्खे पर कतता था उसी तरह जरूरत का सारा कपड़ा करधे पर बुना जाता था। जब मिलें क्रायम हुई तो चर्खे का खात्मा होगया, क्योंकि उनसे कमाई थोड़ी होती थी, वे पूरे समय का धन्धा कभी नहीं रहे। लेकिन करधा टिका रहा, जिसकी एक वजह यह भी थी कि यह पूरे समय का धन्धा था और इसमें बुनाई का काम करनेवालों को अपनी कमाई बढ़ाने की गुंजाइश थी। मगर जब कता की मिलें खुलीं, तो जुलाहे अपने सूत की लच्छियों के लिए उनपर अब-लम्बित होगये। बल्कि इस तब्दीली पर वे खुश भी हुए, क्योंकि मिलों से उन्हें अधिक समान और मजबूत सूत मिल सकता था। इस बात पर उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया कि अगर किसी वजह से मिलें उन्हें सूत न दे सकीं तो वे पूरी तरह असहाय हो जायेंगे। उधर गाँव के कत्तैयों के विपरीत, मिल-मालिक अपने सूत के मनमाने दाम रखने लगे। नतीजा यह हुआ कि बिना नये-नये नमूनों की खादी बुननेवाले जुलाहे क्रमशः मिल प्रतियोगिता के सामने टिक न सके और खत्म हो गये। इस प्रकार पिछले कुछ सालों से बढ़िया कपड़ा बुननेवालों पर भी बुनाई के मिलों का असर पड़ रहा है। सर्वसाधारण की रुचि

धीरे-धीरे, पर निश्चित रूप से बदल रही है। मिलें अगर गाँव के जुलाहों द्वारा बने हुए कपड़ों को हूब्हू नकल न कर सकें, तो वे, जैसा कि वे करती हैं, नये-नये नमूने तो निकाल ही सकती हैं और ढंग से विज्ञापन करके ग्राहकों को आकर्षित भी कर सकती हैं। यही कारण है कि रिवाज बदल जाने के कारण उड़ीसा के कई हजार जुलाहे आज हाथ-पर-हाथ धरे बैठे हैं। यही आवाज उस दिन अहमदनगर से मेरे पास आई थी, जो कि बुनाई का एक मजबूत केन्द्र है। उन सबको मैंने जो सलाह दी वह यही थी कि अगर ये जुलाहे परिवारं अपने घरों में सिर्फ धुनाई और कताई जारी करलें तो वे मिल के सूत से बिरकुल स्वतन्त्र होकर 'अखिल-भारत-चर्चा-संघ' की अचूक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह हो सकता है कि उस हालत में जुलाहों को पहले की जितनी कमाई न हो, क्योंकि उनका कुछ समय कताई में चला जायगा। लेकिन 'चर्चा-संघ' की संशोधित नीति के अन्दर, जिसका उद्देश्य कातनेवालों को एक आना फी घटा देना है और डेढ़ पैसा फी घटा उन्हे सचमुच दिया भी जा रहा है, जुलाहे अपनी कमाई की कमी को मुश्किल से ही महसूस करेंगे। और इसमें तो, कोई शक ही नहीं कि भूखों मरने के बजाय कम कमाई होना भी हर हालत में ठीक ही है।

यह समझ लेने की बात है कि अपने परिवार में कताई और पिंजाई जारी करने में जुलाहों को कोई खास रुच नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि चर्चा तो, उनके पास पहले से ही मौजूद है; अलवत्ता, उसमें कुछ सुधार की जरूरत अवश्य होगी। सिर्फ पीजन के लिए उन्हे कुछ पैसे रुच करने पड़ेंगे।

मुझे मालूम हुआ है कि उड़ीसा-सरकार अपनी जेलों से मिल

का सूत बन्द कर जेलों के लिए खादी ही खरीदने का हुक्म दे रही है। काँग्रेस के रचनात्मक कार्य की इस पूर्ति के लिए उड़ीसा की सरकार बथाई की पात्र है। जिन कार्यकर्ताओं पर इस संगठन का भार हो वे इस नुसखे को याद रखें तो उन्हें पता लगेगा कि जुलाहों को कताई के लिए प्रेरित करने पर आवश्यक सूत को उत्पत्ति बहुत आसान हो जायगी। साथ ही, इस उपाय से शायद उन्हें यह भी पता लग जायगा कि अगर वे अन-सिखिये गाँववालों को सिखा-पढ़ाकर होशियार कर्तृये बनाने तक इन्सजार करेंगे तो तुलनात्मक रूप से खादी सस्ती पड़ सकती है। निःसन्देह, इसके लिए उन्हे सब गाँवों में कताई जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही 'चर्खा-संघ' का लक्ष्य है। लेकिन जबतक यह उद्देश्य ठीक न हो, तबतक करघे पर कपड़ा बुननेवालों की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

२६ :

खादी को लोकप्रिय कैसे बनायँ ?

आदरणीय खादी कार्यकर्ता ने मुझे हिन्दी में एक पत्र लिखा है, जिसका सारांश यह है :—

“मिलों के कपड़े के मुक्काबिले में, कीमत के लिहाज से खादी महंगी पड़ती है। मिल के कपड़े से तो इसका मुक्काबिला तभी हो सकता है, जबकि हाथ से ओटने, धुनने और कातने की मजूरी को उसमें से निकाल दिया जाय। इसलिए जो लोग खुद सूत कातते हैं, उनके लिए भी यह कोई मुनाफ़े की बात नहीं है। इसमें शक नहीं कि आपने खादी का नया अर्थशास्त्र निकाला है। लेकिन जबतक बहुसंख्यक लोग उसकी क़द्र न करें, खादी सब लोगों में प्रसार पा नहीं सकती। और तो और, हमारे काँग्रेसी मंत्री भी आपके नये अर्थ-शास्त्र को समझते या उसकी क़द्र करते हों, ऐसा मालूम नहीं पड़ता। ऐसी हालत में आप खादी कार्यकर्ताओं, बृहिक आमतौर पर काँग्रेसजनों का भी मार्ग-प्रदर्शन नहीं करेंगे? आपका विश्वास तो इतना नवरदस्त मालूम पड़ता है कि अगर हम, याने आपके साथी खादी-कार्यकर्ता आपसे कहे तो आप ईमानदारी और कुशलता के साथ किये जानेवाले आठ घण्टे के काम के लिए, कतनेवालों को आठ आना रोज़ भी फौरन दे देंगे। लेकिन, सच बात तो यह है कि, हमारे अन्दर आपके जैसी श्रद्धा नहीं है।

निस्सन्देह खादी मिल के कपड़े से मुक्काबिला नहीं कर सकती,

न ऐसा कभी सोचा ही गया था । जिस नियम से खादी के काम का नियंत्रण होता है, उसे अगर लोग न समझें तो खादी सर्वसाधारण में कभी भी स्थान नहीं पा सकती । उस हालत में तो लाजिमी तौर पर यह मालदारों और उन्हीं लोगों के शौक की चीज़ रहेगी, जिन्हे कि इसकी धुन है । और अगर इसे खाली यही बनाना हो, तो अखिल-भारत-चर्खा-संघ जैसी महान् संस्था के सारे प्रयत्नों को अगर बुरा न कहे, तो बिल्कुल व्यर्थ तो कहना ही पढ़ेगा ।

लेकिन खादी का एक बड़ा मिशन है । खादी उन लाखों आदमियों को सम्मानपूर्ण धन्या देती है जो साल के लगभग चार महीने बेकार रहते हैं । इस काम से उन्हे पारिश्रमिक ही नहीं मिलता, बल्कि यों भी इसका मुआवज़ा उन्हे प्राप्त होता है । क्योंकि लाखों आदमी अगर लाजिमी तौर से बेकार रहे तो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से वे जरूर मुर्दा बन जायेंगे । फिर चर्खे से लाखों गरीब औरतों की स्थिति भी अपने-आप सुधरती है । इसलिए मिल का कपड़ा चांदे मुफ्त ही क्यों न दिया जाय, तो भी उनकी सच्ची भलाई इसीमें है कि वे खादी के मुकाबिले में, जो कि उन्हींके परिश्रम का फल है, उसे लेने से इन्कार कर दें ।

जिन्दगी रूपये से ज्यादा क़ीमती है । यों तो यह बड़ा सस्ता नुस्खा है कि हमारे माँ-बाप आदि जो बड़े-बूढ़े वृद्धावस्था के कारण काम करने में असमर्थ हो जायें और हमारी ही कमाई पर निर्भर हों, उन्हे हम मार डालें । साथ ही जिन वच्चों की अपनी भौतिक सुविधा के लिए हमें कोई जरूरत न हो और बदले में कुछ मिले बिना जिनकी हमें परवरिश करनी पड़े, उन्हें मार डालना भी सस्ता ही ही तरीक़ा है । लेकिन न तो हम अपने बड़े-बूढ़ों की हत्या करते हैं,

न अपने बच्चों को मार डालते हैं, बल्कि चाहे जितना ख़र्च पड़ने पर भी उनकी परवरिश करना ही मुनासिब समझते हैं। इसी तरह खादी को भी हमें और सब कपड़े को छोड़कर कायम रखना ही चाहिए। यह तो आदत की बात है, जिससे प्रेरित होकर हम खादी के बारे में कीमत का खयाल करते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि हम खादी की सस्ताई-मंहगाई की अपनी धारणा को बदल दें। राष्ट्र के हित की दृष्टि से जब हम इस बात का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि खादी हरगिज मंहगी नहीं है। सक्रमण काल में घेरेलू अर्थशाल्व में रद्दोबदल का खतरा तो उठाना ही होगा। इस समय तो हमारे सामने एक बड़ी स्कावट है। लकाशायर की, और आप चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि हिन्दुस्तानी मिलों को भी लाभ पहुँचाने के लिए रुई की उत्पत्ति का केन्द्रीकरण कर दिया गया है। रुई की कीमत का निर्णय विदेशों की कीमतों से होता है। जब रुई की उत्पत्ति का विभाजन खादी की आवश्यकताओं के मुताबिक होगा, तब रुई की कीमत में घटा-घटी नहीं होगी और अब से कम तो हर हालत में रहेगी। राज्य के संरक्षण या स्वेच्छापूर्वक प्रयत्नों से जब लोग केवल खादी का ही व्यवहार करने की आदत डाल देंगे, तब वे उसी तरह इसके सस्ते-मह़रो होने पर ध्यान देंगे, जिस तरह कि लाखों शाकाहारी मासाहार और शाकाहार की कीमतों की कोई तुलना नहीं करते। वे तो मासाहार के बजाय भूखों मर जाना भी पसन्द करते हैं, फिर वह चाहे मुफ़्त ही बच्चों न बाँटा जाय।

लेकिन यह मैं मानता हूँ कि खादी में ऐसी जीवित श्रद्धा काँग्रेस-जनों में से बहुत-कम को है। मन्त्री जरूर काँग्रेसी है, लेकिन वे भी अपने आस-पास के बातावरण से ही प्रेरणा पाते हैं। अगर खादी में

उनका जीवित विश्वास हो, तो उसे लोकप्रिय बनाने के लिए ये बहुत-कुछ कर सकते हैं।

सन् १९२० में स्वराज्य का जो मूल कार्यक्रम बनाया गया था, उसका खदार आवश्यक अंग था। १९२१-२२ में हजारों काँग्रेस-जनर्म्मने सैकड़ों सभाओं में यह बात दुहराई थी, कि हरेक गाँव में चर्खा चलने लगे, तभी लाखों आदिमियों को स्वराज्य मिल सकता है। भट्ट-हूमूल अलीबन्धु मुख्तलिफ़ सभाओं में तकरीर करते हुए अक्सर यह कहा करते थे कि जबतक हरेक घर में चर्खा और हरेक गाँव में करघा नहीं होगा, तबतक आजादी हासिल नहीं हो सकती। श्री० मुहम्मद अली अपनी ध्यान खींच लेनेवाली आवाज में कहा करते थे कि, “हमारे चर्खे हमारी आजादी की जंग के हथियार हैं और उनसे निकलनेवाली सूत की आंटियां हमारा गोला-बारूद हैं।” वह ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ यह बात कहते थे कि श्रेताओं के दिल में बैठ जाती थी। लेकिन शुरू के उन दिनों का वह विश्वास कायम नहीं रहा। श्री० जवाहरलाल नेहरू ने खादी को हमारी आजादी की बद्धी कहा है। लेकिन कितने उसे इस मानी में मानते हैं? काँग्रेस-जन अगर ऐसा विश्वास रख सकें तो खादी अपने-आप चल निकलेगी। क्योंकि स्वतन्त्रता किसी ‘कीम’ पर भी महगी नहीं है। वह तो जीवन का सास है। भला अपनी जिन्दगी के लिए कौन क्या ऊर्जा करने को तैयार न होगा। सिविल ना-फर्मानी तो एक अस्थायी चीज है। काँग्रेसी-भण्डा उसका द्योतक नहीं है, बल्कि उसका निर्माण इस प्रक्रम किया गया है कि स्वतन्त्रता की मूल भूत बातों को वह व्यक्त करे। खादी उसकी पार्श्वभूमि है। उसके ऊपर चर्खा अकित है और वही उसको कायर्म रखे हुए है। उसके रंगों से जाहिर होता है कि स्वत-

न्त्रिता हासिल करने के लिए साम्प्रदायिक एकता कितनी जरूरी है। ये शत पूरी हो जायें, तो शायद सविनय कानून-भंग की ओर उसके कारण उठाये जानेवाले कष्टों के सहने की कोई जल्दत ही न रहे। मेरे लिए तो खादी पहिनना आजादी का बाना धारण करना है।

खादी के इस अर्थ को तहे दिल से मान लिया जाय, तो मैं वत्ता सकता हूँ कि कांग्रेसी मंत्री ही नहीं, बल्कि दूसरे सूबों के भी मंत्री और खादी-कार्यकर्ता तथा कांग्रेस-जन क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए।

यह हो सकता है कि एक मंत्री इसीलिए रहे, कि वह खादी और आम-उद्योगों की देखभाल करता रहे। इसलिए इस काम का एक महकमा होना चाहिए, जिसे दूसरे महकमों का सहयोग प्राप्त हो। इस प्रकार कृषि-विभाग रुई उत्पत्ति के अकेन्द्रीकरण की योजना बनायेगा, ग्रामों के उपयोग के लिए रुई की पैदावार करने लायक जगह की घैमायश करेगा और इस बात का पता लगायेगा कि उसके प्रान्त के लिए कितनी रुई की जरूरत होगी। यही नहीं बल्कि उपयुक्त केन्द्रों में वितरण के लिए वह रुई का स्टाक भी रखेगा। स्टोर का महकमा प्रान्त में उपलब्ध खादी को खरीदेगा और अपनी जरूरत का कपड़ा बनवायेगा। टेक्निकल महकमा चर्खों तथा दस्तकारी के दूसरे औजारों की तरकी के लिए कोशिश करेगा। ये सब महकमे 'अ०-भा०-चर्खा-संघ और प्राम-उद्योग-संघ' को अपने विशेषज्ञ मान-कर सदा उनके सम्पर्क में रहेंगे।

माल-मंत्री मिल की प्रतियोगिता से खादी का संरक्षण करने के उपाय सोचेगा।

खादी कार्यकर्ता अथक उत्साह के साथ खादी-विज्ञान के नियमों

की छानबीन करेंगे और खादी को अधिक टिकाऊ व अधिक आकर्षक बनाना चाहेगे और खादी के प्राप्तार के उपाय सोचने के लिए अपने को ज़िम्मेदार समझेंगे । यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर उन्हींकी मदद करता है, जो सदा जागरूक रहते हैं और अपने सारे गुणों का उपयोग अपने मिशन की अनन्य साधना के लिए करते हैं ।

आमतौर पर सभी कॉम्प्रेस-जन न सिर्फ समारोहों में बल्कि आदतन खादी पहनकर खुद कमाई करके और जब कभी उनसे कहा जाय तभी खादी-कार्यकर्ताओं की मदद करके अपने पड़ोसियों में खादी के सन्देश का प्राप्तार करें ।

३०

‘सच्चा’ स्वदेशी

अगर मैं स्वदेशी के पहले ‘सच्चा’ विशेषण का प्रयोग करूँ, तो आलोचक मुझसे पूछ सकता है कि क्या भूठा स्वदेशी भी होता है ? दुर्भाग्यवश मुझे यह जवाब देना पड़ेगा कि ‘हाँ, होता है ।’ चूंकि स्वदेशी के सम्बन्ध मेरा मत प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए जबसे खादी चली, पत्र-प्रेषकों ने अगणित पढ़ेलियाँ मेरे सामने लाकर रखी हैं। और मुझे स्वदेशी के दोनों प्रकारों का परिचय देने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

अगर विदेशी पूँजी को स्वदेशी के साथ मिला दिया जाय, या विदेशी हुनर को स्वदेशी के साथ, तो क्या वह चीज स्वदेशी रहेगी ? और भी कुछ प्रश्न है। लेकिन उसदिन एक मन्त्री को मैंने जो व्याख्या बताई थी उसका उद्धृत कर देना मैं बेहतर समझता हूँ। मैंने यह व्याख्या की भी—‘कोई भी वस्तु स्वदेशी हो सकती है, अगर वह करोड़ों देशवासियों का हित-साधन करती हो, हालांकि पूँजी और बला-कुशलता भी विदेशी हो, मगर अच्छे योग्य भारतीयों के ‘कंट्रोल’ में हो ।’ इस प्रकार चर्चा-संघ की व्याख्या के अनुसार खादी सच्ची स्वदेशी है, हालांकि पूँजी भले ही सारी विदेशी हो, और भारतीय घोड़ द्वारा नियुक्त खादी-निष्ठात भी पाश्चात्य हों। इसके विपरीत, चाटा के रबर के या दूसरे जूने विदेशी माने जायेंगे, यद्यपि कारीगर भले ही उसमें सब हिन्दुस्तानी हों और दैनी भी हिन्दुस्तान से लेकर

लगाई गई हो। वे जूते दोहरे विदेशी होंगे, क्योंकि, एक तो विदेशियों के हाथ में 'कट्रोल' होगा, और वे चाहे कितने ही सस्ते हों, गाँव के चम्कारों और मोचियों को तो हमेशा के लिए बेकार कर देंगे। बरार के मोची तो इस घातक प्रतिस्पर्धा को महसूस करने भी लग गये हैं। बाटा का जूता भले ही यूरोप के लिए बचत की चीज हो, पर हमारे गाँव के मोची और चम्कार के लिए तो उसका अर्थ भूत्यु ही होगा। मैंने यह दो स्पष्ट उदाहरण दिये हैं, जो आशिक रूप से दोनों ही कल्पित हैं। क्योंकि चर्खा-सघ में पूजी स्वदेशी ही है और कारीगर भी सब देशी है। मार मैं यह पसन्द करूँगा कि पाञ्चात्य एजीनियरी की कला-कुशलता ऐसा ग्रामोषयोगी चर्खा बनाने के लिए प्राप्त की जाय, जो तमाम मौजूदा चर्खों से बाजी मार सके, हालाँकि मेरे दिल मे यह गहरा विश्वास है कि हमारे देश के कारीगरों ने अपने हुनर-कौशल से जो सुधार किये हैं, वे किसी भी तरह नगण्य समझने लायक नहीं हैं। पर यह तो मैं विषयान्तर कर गया। मैं जल्द यह आशा करता हूँ कि मन्त्री या दूसरे लोग, जो जनता को मार्ग दिखाते या उसकी सेवा करते हैं, सच्चे और भूठे स्वदेशी में क्या अन्तर है उसे पहचानने की आदत ढालेंगे।

३१ :

स्वदेशी व्रत

स्वदेशी-व्रत इस युग का महाव्रत है। जो वस्तु आत्मा का धर्म है, लेकिन अज्ञान या दूसरे कारण से आत्मा को जिसका भान नहीं रहा उसके पालन के लिए व्रत लेने की जरूरत पड़ती है। जो स्वभावतः निरामिषाहारी है उसे आमिषाहार न करने का व्रत नहीं लेना रहता। आमिष उसके लिए प्रलोभन की चोज नहीं होती, उल्टे आमिष देखकर उसे उल्टी आती है।

स्वदेशी आत्मा का धर्म है, पर वह विसर गया है, इससे उसके विषय में व्रत लेने की जरूरत पड़ती है। आत्मा के लिए स्वदेशी का अन्तिम अर्थ सारे स्थूल सम्बन्धों से आत्मन्तिक मुक्ति है। देह भी उसके लिए परदेशी है। क्योंकि देह अन्य आत्माओं के साथ एकता स्थापित करने में बाधक होता है, उसके मार्ग में विप्रलूप है। जीव मात्र के साथ ऐक्य साधते हुए, स्वदेशी धर्म को जानने और पालने वाला देह का भी त्याग करता है।

यह अर्थ सत्य हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि अपने पास-पड़ोस की सेवा में ओत-प्रोत हुए रहना स्वदेशी धर्म है। ऐसी सेवा करते दूरवाले बाकी रह जाते हैं अथवा उनको हानि होती है, ऐसा भासित होना सम्भव है, पर वह आभास-मात्र होगा। स्वदेशी की शुद्ध सेवा करने में परदेशी की भी शुद्ध सेवा हो ही जाती है। जैसा पिंड में वैसा ब्राह्मणड में। इसके विरुद्ध दूर की सेवा करने का

मोह रखने में वह तो होती नहीं और पड़ोसी की सेवा हूट जाती है। यों न इधर के रहे न उधर के ही, दोनों बिगड़ते हैं। मुझपर आधार रखनेवाले कुदुम्बीजन और ग्रामवासियों को मैंने छोड़ दिया तो मुझपर उनका जो आधार था वह चला गया। दूरवालों की सेवा करने जाने में उनकी सेवा करने का जिसका धर्म है वह उसे भूलता है। वहाँ का वातावरण बिगाड़ा और अपना तो बिगाड़ कर चला ही था। ऐसे अनगिनत हिसाब सामने रखकर स्वदेशी धर्म सिद्ध किया जा सकता है। इसीसे 'स्वधर्मं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' वाक्य की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ यों किया जाय तो ठीक होगा कि "स्वदेशी पालते हुए मौत भी हो तो अच्छी, परदेशी तो भयानक ही है।" स्वधर्म अर्थात् स्वदेशी।

स्वदेशी न समझने में ही गड़बड़ होती है। कुदुम्ब पर मोह रख कर मैं उसे पोसूँ, उसके लिए धन चुराऊँ, यह स्वदेशी नहीं है। मुझे तो उनके प्रति मेरा जो धर्म है उसे पालना है। उस धर्म की खोज करते और पालते हुए मुझे सर्वव्यापी धर्म मिल रहता है। स्वधर्म के पालन से परधर्मों को या परधर्मों को कभी हानि पहुँच ही नहीं सकती, न पहुँचनी चाहिए। पहुँचे तो माना हुआ धर्म स्वधर्म नहीं, बल्कि वह स्वाभिमान है, इससे वह त्याज्य है।

स्वदेशी का पालन करते हुए कुदुम्ब का बलिदान भी देना पड़ता है। पर वैसा करना पढ़े तो उसमें भी कुदुम्ब की सेवा होनी चाहिए। यह सम्भव है, कि जैसे अपने को खोकर अपनी रक्षा कर सकते हैं, वैसे कुदुम्ब को खोकर कुदुम्ब की रक्षा कर सकते हैं। मानिए, मेरे गाँव में महामारी हो गई। इस बीमारी के चंगुल में फैसे हुओं की सेवा में मैं अपने को, पत्नी को, पुत्रों को, पुत्रियों को लगाऊँ और सब-

इस रोग में फंसकर मौत के मुँड में चले जायें, तो मैंने कुदुम्ब का संहार नहीं किया, मैंने उसकी सेवा की है। स्वदेशी में स्वार्थ नहीं है, अथवा है तो वह शुद्ध स्वार्थ है। शुद्ध स्वार्थ याने परमार्थ; शुद्ध स्वदेशी याने परमार्थ की पराकाप्रा।

इस विचार-धारा के अनुसार मैंने खादी में सामाजिक शुद्ध स्वदेशी धर्म देखा। सबकी समझ में आने योग्य, सभीको जिसके पालन की भारी आवश्यकता हो ऐसा इस युग में, इस देश में कौन स्वदेशी धर्म हो सकता है? जिसके अनायास पालन से भी हिन्दुस्तान के करोड़ों की रक्षा हो सकती है, ऐसा कौन सा स्वदेशी धर्म हो सकता है? इसके जवाब में चर्खा अथवा खादी मिली।

कोई यह न माने कि इस धर्म के पालन से परदेशी मिलवालों को नुकसान होता है। चोर को चुराई हुई चीज वापस देनी पढ़े या वह चोरी करते रोका जाय, तो उसमें उसे नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। पड़ोसी शराब पीना या अफीम खाना छोड़ दे तो इससे कलवार को या अफीम की टूकानदार को नुकसान नहीं, लाभ है। वे वाजबी तरह से जो अर्थ साधते हों उनके इस अनर्थ का नाश होने में उनको और जगत् को फ़ायदा ही है।

पर जो चर्खे द्वारा जैसे-तैसे सूत कातकर, खादी पहन-पहना कर स्वदेशी धर्म का पूर्ण पालन हुआ मान बैठते हैं, वे महामोह में ढूबे हुए हैं। खादी सामाजिक स्वदेशी की पहली सीढ़ी है, इस स्वदेशी धर्म की परिसीमा नहीं है। ऐसे खादीधारी देखे गये हैं, जो और सब सामान परदेशी रखते हैं। वे स्वदेशी का पालन करनेवाले नहीं कहे जा सकते। वे तो प्रवाह में बहनेवाले हैं। स्वदेशी व्रत का पालन करने वाला वरावर अपने आस-पास निरीक्षण करेगा और जहाँ-

जहाँ पड़ासी की सेवा की जा सकती है अर्थात् जहाँ-जहाँ उनके हाथ का तैयार किया हुआ आवश्यक माल होगा, वहाँ वह दूसरा छोड़कर वह लेगा। फिर वाहे स्वदेशी वस्तु पहले मंहानी और कम-दर्जे की हो। ब्रतधारी इसे सुधारने और सुधरवाने का प्रयत्न करेगा। कायर बनकर स्वदेशी खराब है इससे परदेशी काम में नहीं लाने लग जायगा।

किन्तु स्वदेशी धर्म जाननेवाला अपने कूर्च में डूबेगा नहीं। जो वस्तु स्वदेश में नहीं बनती अथवा महाकष्ट से ही बन सकती है वह परदेश के द्वेष के कारण अपने देश में बनाने बैठ जाय तो उसमें स्वदेशी धर्म नहीं है। स्वदेशी धर्म पालनेवाला कभी परदेश का द्वेष करेगा ही नहीं। अतः पूर्ण स्वदेशी में किसी का द्वेष नहीं है। यह संकुचित धर्म नहीं है। यह प्रेम में से, अहिंसा में से पैदा हुआ सुन्दर धर्म है।

मगलप्रभात से]

सप्तां साहित्य मण्डल

‘सर्वोदय साहित्य माला’ की पुस्तकें

१—द्विव्य-जीवन	॥३॥	२३—२४—(अप्राप्य)	
२—जीवन-साहित्य	॥४॥	२५—छो और पुरुष	॥
३—तामिल वेद	॥५॥	२६—घरों को सफाई	॥
४—व्यसन और व्यभिचार	॥६॥	२७—क्या करें ?	॥॥
५—(अप्राप्य)		२८—(अप्राप्य)	
६—भारत के छी-ख (तीन भाग) ३।	३।	२९—आत्मोपदेश	।
७—अनोखा (विकटर ह्यूगो) १॥८॥	१॥८॥	३०—(अप्राप्य)	
८—ब्रह्मचर्य-विज्ञान	॥९॥	३१—जब अग्रेज नहीं आये थे— ।	
९—यूरोप का इतिहास	२।	३२—(अप्राप्य)	
१०—समाज-विज्ञान	१॥१॥	३३—श्रीरामचरित्र	॥।
११—खद्र का सम्पत्तिशास्त्र ॥३॥	॥३॥	३४—आश्रम-हरिणी	।
१२—१३—(अप्राप्य)		३५—(अप्राप्य)	
१४—दक्षिण अफिक का सत्याग्रह १।	१।	३६—स्वाधीनता के सिद्धान्त	॥
१५—(अप्राप्य)		३७—महान् मातृत्व की ओर ॥॥	
१६—अनोति की राह पर	॥८॥	३८—शिवाजी की योग्यता	॥
१७—सीता को अग्नि-परीक्षा ।।	।।	३९—तरगित हृदय	॥
१८—कन्याशिक्षा	।।	४०—नरमेघ	॥॥
१९—कर्मयोग	॥।	४१—दुखी दुनिया	॥।
२०—कलावार की करतूत	॥।	४२—जिन्दा लाश	॥
२१—व्यावहारिक सम्यता	॥।	४३—आत्म-कथा (गांधीजी)	॥॥
२२—अंधेरे में उजाला	॥।	४४—(अप्राप्य)	

४५—जीवन-विकास	१), १॥)	६७—हमारे राष्ट्र-निर्मांता	२॥)
४६—(अप्राप्य)		६८—स्वतंत्रता की ओर—	१॥)
४७—फाँसो !	१॥)	६९—आगे बढ़ो !	॥)
४८—श्रनासक्तियोग—गीताचोष (दै० नवजीवनमाला)		७०—बुद्ध-वाणी	॥॥)
४९—(अप्राप्य)		७१—कांग्रेस का इतिहास	२॥)
५०—मराठों का उत्थान-पतन २॥)		७२—हमारे राष्ट्रपति	१)
५१—भाई के पत्र	१)	७३—मेरी कहानी (ज० नेहरू) २॥)	
५२—स्वरात	१॥)	७४—विश्व-इतिहास की खलक (जवाहरलाल नेहरू)	६)
५३—(अप्राप्य)		७५—(दै० नवजीवन माला)	
५४—छो-समस्या	१॥॥)	७६—नया शासन विधान—१ ॥॥)	
५५—विदेशी करणे का सुकाबिला	॥॥)	७७—(१) गांधो की कहानी	॥)
५६—चित्रपट	१॥)	७८—(२-९) महाभारत के पात्र १)	
५७—(अप्राप्य)		७९—सुधार और सगठन	१)
५८—इंग्लॅण्ड में महात्माजी	३॥)	८०—(३) संतवाणी	॥)
५९—रोटी का सवाल	१)	८१—विनाश या इलाज	॥॥)
६०—दैवी सम्पद	१॥)	८२—(४) अग्रेजी राज्य में हमारी आर्थिक दशा	॥)
६१—जीवन-सूत्र	३॥)	८३—(५) लोक-जीवन	॥)
६२—हमारा कलक	॥॥)	८४—गीता मथन	१॥)
६३—बुद्धुद	३॥)	८५—(६) राजनीति प्रवेशिका	॥)
६४—सर्व या सहयोग १	१॥)	८६—(७) अधिकार और कर्तव्य	॥)
६५—गांधी-विचार-दोहन	३॥)	८७—गांधीवाद : समाजवाद	॥॥)
६६—(अप्राप्य)		८८—स्वदेशी और ग्रामोद्योग	॥)

आगे होनेवाले प्रकाशन

१. जीवन शोधन—किशोरलाल मशरूवाला
२. समाजशास्त्रः पंजीयाद—
३. केसिस्टवाद
४. नथा शासन विधान—(फेडरेशन)
५. हमारे गांव—(चौ० मुख्तारसिंह)
६. हमारी आज़ादी को लड़ाई(२ भाग)—(हरिभाऊ उपाध्याय)
७. सरल विज्ञान—१ (चन्द्रगुप्त वाण्येय)
८. सुगम चिकित्सा—(चतुरसेन वैद्य)
९. गांधी साहित्य माला—(इसमे गांधीजी के चुने हुए लेखों का सम्बन्ध होगा—इस माला मे २० पुस्तके निकलेगी । प्रत्येक का दाम ॥) होगा । पृष्ठ सख्ता २००-२५०)
१०. टाल्स्टाय ग्रन्थावलि—(टाल्स्टाय के चुने हुए निवन्धो, लेखों और कहानियों का सम्बन्ध । यह १५ भागों मे होगा । प्रत्येक का मूल्य ॥), पृष्ठ सख्ता २००-२५०)
११. बाल साहित्य माला—(बालोपयोगी पुस्तके)
१२. लोक साहित्य माला—(इसमे भिन्न-भिन्न विषयों पर २०० पुस्तके निकलेगी । मूल्य प्रत्येक का ॥) होगा और पृष्ठ सख्ता २००-२५० होगी । इसकी ५ पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है ।)
१३. नवराष्ट्र माला—इसमे ससार के प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र-निर्माताओं और राष्ट्रों का परिचय है । इस माला की पुस्तके २००-२५० पृष्ठों की और सचित्र होगी । मूल्य ॥॥)
१४. नवजीवनमाला—छोटी-छोटी नवजीवनदायी पुस्तके ।

गांधी साहित्य-माला

'मण्डल' का यह सौभाग्य रहा है कि महात्माजी की पुस्तकों को हिन्दी में प्रकाशित करने की स्वीकृति और सुविधा महात्माजी की ओर से उसे मिली है। और हिन्दी में गांधीजी की पुस्तके मण्डल ने ही ज्यादा सख्ता में निकाली भी है। 'मण्डल' का सर्वप्रथम प्रकाशन महात्माजी का लिखा 'दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह', 'अनीति की राह पर', और 'हमारा कलक' आदि हमने प्रकाशित किये। लेकिन फिर भी अबतक हम एक बात नहीं कर पाये। बहुत दिनों से हमारी डच्छा थी कि महात्माजी के सारे लेखों और भाषणों का विषय-वार सुसंपादित सस्करण निकाल जाय। अब पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष हम इस काम को प्रधानरूप से हाथ में ले रहे हैं और महात्माजी के चुने हुए खास-खास लेखों को १५-२० भागों में उपरोक्त माला के रूप में निकाल रहे हैं। यह 'स्वदेशी और ग्रामोद्योग' इस माला की पहली पुस्तक है। इस माला के प्रत्येक भाग की पृष्ठ सख्ता २०० और दाम ॥) होगा।

नवजीवन माला

श्री महावीरप्रसाद पोद्दार सन् १९३०-३१ में कलकत्ता में 'शुद्ध खादी भण्डार' सचालन का काम करते थे। वहाँ से उन्होंने 'नवजीवन माला' नाम की एक पुस्तकमाला निकाली थी। उसका उद्देश्य, करोड़ो हिन्दी भाषी गरीब लोगों में महात्मा गांधी और ससार के दूसरे सत्पुरुषों के नवजीवनदायी विचारों को सस्ते-से-सस्ते मूल्य में फैलाना और उनको भारत की आजादी के महायज्ञ के लिए तैयार करना था। इस माला में कलकत्ते से लगभग ३० छोटी-छोटी पुस्तकें निकली थीं। उसका बड़ा

प्रचार हुआ और महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री जमनालाल बजाज आदि ने इन पुस्तकों की बहुत प्रशंसा की। बाद में श्री पोद्धारजी दूसरे कामों में लग गये और माला का प्रकाशन बन्द होगया। अब श्री पोद्धारजी ने इस माला का प्रकाशन 'सस्ता साहित्य मण्डल' के सिपुर्द कर दिया है और यह माला, पुरानी पुस्तकों के क्रम में कुछ हेर-फेर के साथ, मण्डल से नियमित रूप में प्रकाशित होती रहेगी। इसकी पुरानी पुस्तकें जो प्राप्य होगीं वे भी मण्डल से मिल सकेंगी।

'मण्डल' से इस माला में निम्नलिखित पुस्तके प्रकाशित होगई हैं। उनका क्रम तथा परिचय इस प्रकार है —

१. गीतावोध	(गांधीजी)	८॥
२. मगलप्रभात	"	८॥
३. अनासवित्योग (गांधीजी) ≈j : श्लोकसहित ≈j सजिल्द	४	४
४. सर्वोदय	(गांधीजी)	८
५. नवयुवको से दो बातें	(क्रोपाटकिन)	८
६. हिन्दू स्वराज्य	(गांधीजी)	४
७. छूतछात की माया	(आनन्द कौसल्यायन)	८
८. किसानों का सवाल	(डा० अहमद)	४
९. ग्राम सेवा	(गांधीजी)	८
१०. खादी-गादी की लडाई	(विनोदा)	४

